खण्ड-237, अंक-3
शुक्रवार, 16 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(7 दिसम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	३३९–३४३
प्रश्नोत्तर	३४३–३९२
प्रश्नों के उत्तर के लिये प्रार्थना	३९२
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	३९२
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	३९२
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	३९२
इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन स्टैंडिंग काउन्सिलों द्वारा त्याग-पत्र देने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत मंत्री का वक्तव्य ..	३९३–३९५
२४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न १२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३९५–३९६
७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न २२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३९६–३९७
शनिवार, ८ दिसम्बर, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के संबंध में संकल्प (स्वीकृत)	३९७
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	३९८–४४७
नत्थियां	४४८–४७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रनसिंह, श्री
चन्दजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री

झारखंडे राय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहिरवार, श्री
पितईराम, श्री

पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीनाथ, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल सिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अचंल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंहराठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा श्री
लखोसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री

श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर,
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरज पाल सिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बुन्देलखण्ड के डाकुओं के आतंक के विषय में नोटिस

१—श्री कृष्णपालसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के गत उपवेशन के अन्तिम दिन श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत बुन्देलखन्ड में डाकुओं के आतंक के विषय में नोटिस दी गई थी जिसे कि माननीय अध्यक्ष ने आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित मंत्री महोदय को दे दिया था, उस संबंध में अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है तथा क्या और किये जाने की योजना है ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां । उक्त नोटिस में अंकित आरोपों के विषय में जांच कराने के लिये जिलाधीश झांसी को लिखा गया है । जिलाधीश से आख्या प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

श्री कृष्णपालसिंह—श्रीमन्, यह नियम ५२ के अन्तर्गत २ नवम्बर, १९६२ को, जिस दिन सेशन समाप्त हो रहा था, दिया गया था । उसके बाद जिलाधीश को नोटिस कब दी गई इसकी भी सूचना इसमें नहीं है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---यह १५ नवम्बर को प्राप्त हुआ था और उसके तुरन्त बाद ही जिलाधीश को लिखा है, अभी सूचना नहीं आई है। कल फिर उनको रिमाइन्ड किया गया है कि जल्द सूचना भेज दें।

श्री कृष्णपालसिंह---श्रीमन्, उत्तर आने तक के लिये पोस्टपोन किया जाय। उत्तर आ जाय तो पूरा विवरण दिया जाय। यह लेप्स तो नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न पूछ लीजियेगा, क्या मालूम प्रोरोग हो जाय।

श्री कृष्णपालसिंह---जब इत्तला और उत्तर ही नहीं आया तो क्या पूछ लूं ? श्री रघुनाथ सिंह को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया क्योंकि उन्होंने देवीसिंह डाकू को मारने में सहायता पहुंचाई थी और वहां अब भी डाकुओं को कुछ लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---तो आप दूसरा प्रश्न फिर पूछ लें। उसी संदर्भ में आप पुनः प्रश्न कर लें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

जिला अन्तरिम परिषद् गोंडा में नियुक्तियों के संबंध में आदेश

*१---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित), **श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), **श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), **श्री हलीमुद्दीन** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित), **श्री नवरंगसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री भानुप्रतापसिंह** (जिला बस्ती)---क्या सरकार को यह मालूम है कि गोंडा जिले में जिला विद्यालय उप-निरीक्षक ने अध्यक्ष के आदेशानुसार दिनांक २० तथा २२ अक्तूबर को ऐसा आदेश निकाला है कि जिससे जिला अन्तिम परिषद् के उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक १६ अक्तूबर से १८ अक्तूबर तक और अध्यक्ष द्वारा १ अक्तूबर से १५ अक्तूबर तक जो नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण तथा परिषद् के अन्य कार्य अपने पद के अनुसार उन्होंने क्रम से किये थे, वह रद्द किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम)---इस अवधि में भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा बहुत सी नियुक्तियां एवं स्थानान्तरण अवैधानिक रूप से कर दिये गये थे। अतः वर्तमान अध्यक्ष ने इस अवधि में दिये गये आदेशों को रोक दिया है और स्वयं जांच कर रहे हैं।

*२---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (अनुपस्थित), **श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित), **श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित), **श्री हलीमुद्दीन** (अनुपस्थित), **श्री नवरंगसिंह** तथा **श्री भानुप्रतापसिंह**---क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त आदेशों के कारण सैकड़ों अध्यापकों की रोजी पर धक्का पहुंच रहा है और बोर्ड के कार्य में बाधा पड़ रही है जिसक कारण जिले में बड़ा असन्तोष है ?

श्री अजीज इमाम---प्रश्न संख्या १ के उत्तर के अनुसार यह प्रश्न नहीं उठता।

*३---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (अनुपस्थित) **श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित), **श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित), **श्री हलीमुद्दीन** (अनुपस्थित), **श्री नवरंगसिंह** तथा **श्री भानु, प्रतापसिंह**---यदि उपरोक्त बातें सही हैं, तो सरकार इन आदेशों को रद्द कर व्यवस्था कायम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री अजीज इमाम––अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् , जांच के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों की सहमति से उचित कार्यवाही स्वयं करेंगे ।

श्री नवरंगसिंह––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर यह अवैधानिक करार दिया गया ?

श्री अजीज इमाम––असल में पहले सन्त बख्श जी अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष चुने गये थे। उस पर महेश्वरीप्रसाद ने एलेक्शन पेटीशन किया और मुंसिफी से वह उनके फेवर में हो गया और संत बख्श जी से अध्यक्ष का चार्ज लिया गया, लेकिन उस पर भी सन्त बख्श जी ने हाई कोर्ट में रिट किया उसका फैसला १६ अक्तूबर, सन् १९६२ को हुआ और १८ अक्तूबर को महेश्वरीप्रसाद आर्डर ले आये और उस पर डी० एम० ने उन्हें चार्ज दे दिया। लेकिन १६ और १८ अक्तूबर के बीच में श्री नवरंगसिंह जी जो एम० एल० ए० भी हैं, वह उस अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष हैं, १६ अक्तूबर को श्री महेश्वरी प्रसाद जी ने उनको अपने अध्यक्ष पद का चार्ज दे दिया। १६ और १८ अक्तूबर के बीच में श्री नवरंगसिंह ने ऐसी नियुक्तियां अवैधानिक रूप से मास्टरों की कीं। असल में रूल यह है कि ४० रुपये तक के टीचर्स की नियुक्तियां डिप्टी इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल करते हैं और अध्यक्ष नहीं करते हैं। मगर इन्होंने बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी जांच के इन मास्टरों को रख लिया, न कोई इन्टरव्यू हुआ न जांच पड़ताल हुई, न इम्तहान हुआ। उसी तरह से ट्रांसफर की भी बात है। पहले डी० आई० एस० स्थानान्तरण के लिये अपनी सूची बना करके अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के सामने रखता है और उस पर अंतरिम जिला परिषद् अपने उचित आर्डर्स पास करती है। मगर बगैर किसी राय के श्री नवरंगसिंह जी ने स्थानान्तरण किया। इस वजह से जो नियुक्तियां या स्थानान्तरण १६–१८ अक्तूबर के बीच में हुए वे सब अवैधानिक हैं ।

श्री नवरंगसिंह––श्रीमन्, हमने पूछा था कि किस आधार पर अवैधानिक हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला अन्तरिम परिषद् का जो ऐक्ट है उसके किस नियम के अनुसार ४० रुपये से कम के लोगों की तकर्रुरी डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल करेगा ?

श्री अजीज इमाम––अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट, १९५८ के सेक्शन ६, सब-सेक्शन (६) के मातहत है और जिला परिषद ऐक्ट के ६३ (ए) और नियम ८२ के मातहत यह नियुक्तियां और ट्रांसफर्स होते हैं ?

श्री नवरंगसिंह––जो ऐक्ट बताया गया अन्तरिम जिला परिषद् का, जब आर्डिनेन्स हुआ और उसके बाद ऐक्ट बना तब वह खत्म कर दिया गया है, क्या मंत्री जी इसको देखने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीज इमाम––मैंने पहले बता दिया कि जिला परिषद् के ऐक्ट के मातहत यह हुआ ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)––जो १६ से १८ अक्तूबर के बीच में नियुक्तियां हुई थी उनकी कुल कितनी संख्या है ?

श्री अजीज इमाम––१६६ मास्टरों की नियुक्तियाँ कीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोंडा जिले में उन दिनों, जिन दिनों नियुक्तियां की गईं सरकार की ओर से कितने अध्यापकों के नियुक्त करने के लिये आदेश गये थे ?

श्री अजीज इमाम---सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं गया, उसका कोई सवाल नहीं उठता।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)---मंत्री जी बतायेंगे जो अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी और बजट उसको एलाऊ नहीं करता था तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है और तनख्वाह कौन देगा?

श्री अजीज इमाम---मेरा खयाल यह है कि जिसने नियुक्ति की है वही इसका जिम्मेदार है।

श्री अध्यक्ष---क्या आवश्यकता से अधिक संख्या में नियुक्तियां की गयीं?

श्री अजीज इमाम---अभी मेरे पास यह फीगर्स तो नहीं हैं कि कितनी आवश्यकता थी मगर यह फीगर्स हैं कि १६६ उस्तादों की नियुक्ति हुई और २६९ उस्तादों को ट्रांसफर किया गया।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ये नियुक्तियां योजना नम्बर ४ के अन्तर्गत की गयीं? यदि हां, तो कब से नियुक्तियां होनी चाहिये थीं?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो कहा कितनी संख्या निर्धारित थी, यह नहीं मालूम।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब १५ तारीख को हाई कोर्ट ने श्री सन्तबख्शसिंह की रिट मंजूर कर ली तो १६ तारीख को श्री नवरंगसिंह को कैसे चार्ज दे दिया गया जब कि वह कायदे से चेयरमैन नहीं रहे?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---चार्ज देना उनके लिये जरूरी था जब वह चेयरमैन नहीं रह गये और नवरंगसिंह वाइस चेयरमैन थे इसलिये उनको दे दिया, तो क्या बेजा किया?

श्री मैनेजरसिंह---क्या कोई इस प्रकार का सरकारी आदेश या निर्देश जिला परिषदों में गया है कि अध्यक्ष के हेडक्वार्टर्स से अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे?

श्री अजीज इमाम---कोई ऐसा प्रश्न तो उठता नहीं है इस सवाल से।

श्री मैनेजरसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री जी आप का कार्य कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो यह समझा कि उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजीज इमाम---आपने सही फरमाया।

श्री अध्यक्ष---तो सूचना की आवश्यकता है कहा कीजिये।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---इसमें सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, यह रूल्स हैं।

श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह सूचना मान कर कि श्री महेश्वरीप्रसाद जो वहां के अध्यक्ष हैं उन्होंने जितनी आवश्यकता थी, करीब ३०० अध्यापकों की नियुक्ति ऐडवर्टवाइज करा के पहले ही कर रखी थीं फिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि उपाध्यक्ष महोदय ने रिट का फैसला होने के बाद १६६ अध्यापकों की और नियुक्ति कर ली?

श्री अजीज इमाम--इसकी इन्क्वायरी अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं और दूसरे आफिशल्स कन्सर्न्ड से राय लेकर वे ऐक्शन लेंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

शिवदयालगंज--सरजू पुल सड़क

*१--**श्री विष्णुप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में शिवदयालगंज बाजार से जिस कच्चे बांध का निर्माण सूर्य नदी पर जो पुल बन रहा है उस पर सामान यानी पत्थर लोहा इत्यादि पहुंचाने के लिये किया गया है, उससे मौजा दुर्गागंज, माझा इब्राहीमपुर माझा एवं कनकपुर की जनता को कितनी भीषण क्षति उठानी पड़ रही है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--यहां किसी बांध का निर्माण नहीं हो रहा है । एक सड़क शिवदयाल गंज से सरयू नदी के पुल तक बन रही है, उसके निर्माण से कथित मौजों की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इसलिये किसी क्षति का प्रश्न नहीं उठता ।

*२--**श्री विष्णुप्रतापसिंह** (अनुपस्थित)--क्या सरकार उपरोक्त बांध से पानी निकलने के लिये कोई पुलिया इत्यादि बनवाने को सोच रही है जिससे बाढ़ का पानी शीघ्र निकल कर नदी में जा सके और उपरोक्त मौजों की डेढ़ हजार एकड़ जमीन की फसल नष्ट होने से बच जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--उपरोक्त सड़क से पानी निकालने के सम्बन्ध में विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है। उसके बाद पुलियों के निर्माण का निश्चय किया जायगा ।

कोआपरेटिव हायर सेकेन्डरी स्कूल, पिपराइच कमेटी के प्रस्ताव

*३--**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सहकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिपराइच, जिला गोरखपुर को चलाने के लिये गन्ना किसानों से केन सोसाइटी जो १२ नये पैसे तथा २५ नये पैसे क्रमशः प्रति बैलगाड़ी और प्रति डनलप काटती है, उसमें से प्रति वर्ष जो रुपया खर्च हुआ उसको खर्च करने की स्वीकृति किस बैठक में कमेटी ने दी और किस-किस मद के लिये तथा कितना-कितना धन प्रत्येक वर्ष के लिये स्वीकृत किया ?

श्री अजीज इमाम--अपेक्षित †सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री बांकेलाल--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह लाखों रुपया किसानों से कटौती करके केन डेवलपमेंट यूनियन द्वारा शिक्षा की मद में खर्च किया गया है या स्कूल की कार्य समिति द्वारा खर्च किया गया है ?

श्री अजीज इमाम--असल में यह है कि सहकारी सोसाइटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को चलाने के लिये गन्ना किसानों से प्रति गाड़ी १२ नये पैसे और प्रति डनलप २५ नये पैसे की दर से काटती है जो उस जोन के विभिन्न विद्यालयों को बंटता है ।

श्री बांकेलाल--श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि किसानों की कटौती का पैसा जो केन डेवलपमेंट यूनियन द्वारा शिक्षा की मद में खर्च करने के लिये जमा हुआ है वह यूनियन द्वारा खर्च किया गया है या स्कूल की कार्य समिति द्वारा खर्च किया गया है ?

---

† छापी नहीं गई है।

श्री अजीज इमाम--जो कागज मैंने आपके पास भेजा है उससे साफ जाहिर है कि जो रुपया खर्च हुआ है उसका पूरा विवरण है यानी प्रस्ताव करके तब रुपया खर्च किया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १२ नये पैसे प्रति गाड़ी और २५ नये पैसे प्रति डनलप जो गन्ना किसानों की कटौती केन डेवलपमेंट द्वारा हुई है वह किस प्रस्ताव द्वारा की गई है?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव हुआ है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--श्रीमन्, वही तो पूछ रहा हूं कि कहां यह रुपया इस्तेमाल किया जाय इसके लिये किस महीने और किस तारीख को प्रस्ताव हुआ?

श्री अध्यक्ष--यह पूछा है कि प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ?

श्री अजीज इमाम--श्रीमन्, प्रस्ताव के बारे में मुझे मालूम नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब इस क्षेत्र में गन्ना सहकारी समिति के विभिन्न स्कूलों के लिये रुपये की कटौती होती है तो यह रुपया एक ही स्कूल को क्यों दिया जाता है और दूसरे स्कूलों को क्यों नहीं बांटा जाता?

श्री अजीज इमाम--इस क्षेत्र में कई स्कूल हैं।

श्री अध्यक्ष--यह रुपया कई स्कूलों को दिया गया है या एक ही स्कूल को?

श्री अजीज इमाम--जो हां, १२ नये पैसे प्रति गाड़ी और २५ नये पैसे प्रति डनलप जो रुपया काटा जाता है वह कई स्कूलों को बांटा जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन स्कूल हैं जिनको रुपया दिया गया है और कितना-कितना रुपया दिया गया है?

श्री अध्यक्ष--यह सूचना आपके पास है कि किस-किस स्कूल को रुपया दिया गया है?

श्री अजीज इमाम--जी नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--क्या मन्त्री जी इसको सूचना मानकर कि केवल एक ही स्कूल को सारा रुपया दिया गया है और जैसा कि उनके उत्तर से स्पष्ट है वे इस बात की जांच कराने का आश्वासन देंगे कि अन्य स्कूलों को रुपया नहीं दिया गया है और उनको दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष--किस स्कूल को दिया गया यह बता दीजिये?

श्री कल्पनाथसिंह--पिपराइच केन सोसाइटी का स्कूल है।

श्री अजीज इमाम--लिख कर दे देंगे तो मैं मालूम कर लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जब उनके पास यह जानकारी नहीं है कि किन-किन स्कूलों को इसमें से पैसा दिया गया तो किस आधार पर उन्होंने सप्लीमेंट्री में जवाब दिया कि कई स्कूलों को दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कायदा बताया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--यह जो उत्तर है इसमें साफ मालूम हो रहा है कि केवल एक ही स्कूल को पैसा दिया गया और उन्होंने सप्लीमेंट्री में कह दिया कि कई स्कूलों को दे दिया।

श्री अजीज इमाम---इसमें मैं सदन से और अध्यक्ष से अपने लफ्ज वापस लेता हूं। एक ही स्कूल को दिया गया यह देखने के बाद मालूम हुआ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि इस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो चलाने वाले मैनेजर हैं, वह श्री विचित्रनारायण जी, वहां एक कांग्रेस के नेता हैं और वही उस केन डेवलपमेंट सोसाइटी के भी चेयरमैन हैं और जब प्रस्ताव पास किया गया तो उसमें इस बात की व्यवस्था थी कि यह पिछड़े हुए क्षेत्रों के विद्यालयों के लिये कटौती की जा रही है, इस लिये कटौती की गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी पूर्णरूपेण जांच करवाने की कृपा करेंगे कि पैसा और स्कूलों को न दे कर केवल उस स्कूल को क्यों दिया गया ?

श्री अजीज इमाम---अगर आप लिख कर दे देंगे तो मालूम कर लूंगा।

श्री मैनेजरसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने को कृपा करेंगे कि यह जो किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा, १२ पैसा व २५ पैसा प्रति गाड़ी काटा जाता है, वह किसानों के किस प्रस्ताव से काटा जाता है ?

श्री अजीज इमाम---यह कटौती जो है, कोआपरेटिव सोसाइटी के रूल्स और बाईलाज के मातहत होती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं श्रीमन्, एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी जब मैंने प्रश्न किया तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि लिख कर दे दिया जाय तो जांच करवा लूंगा। तो इस सदन में जो बातें कही जाती हैं, क्या सदन में कहना काफी नहीं जांच करवाने के लिये ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मन्त्रि-परिषद् की तरफ से हमेशा जवाब दिया जाता है कि लिख कर दे दीजिये। सदन में हजारों रुपया खर्च होता है उसके बाद लिख कर दे दिया जाय यह बात क्यों कही जाती है ? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं जिससे आगे मन्त्रिगण ऐसा न करें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सदन में बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जिनको कई बार सीरियसली न लेते हुए कहा जाता है। अगर सचमुच गम्भीरता से सोचते हैं, तो लिख कर दे दें।

श्री अध्यक्ष---मैं एक निवेदन कर दूं। इस प्रश्न पर कई मर्तबा आपत्ति हुई है.....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---इसी बारे में मुझे एक निवेदन करना था। उसे सुनने के बाद आप आज्ञा देते तो बड़ी कृपा होती। मुझे यह निवेदन करना था कि जैसा लिखित मांगते हैं तो वह इसलिये मांगते हैं कि जबानी कहने से उस पर जांच तो हो नहीं सकती है, किसी न किसी को लिख के देना ही पड़ेगा। तो मन्त्री अगर लिखें तो जिम्मेदारी मन्त्री की होती है, इसलिये शायद वह यह चाहते हैं कि जो यह प्रश्न करना चाहते हैं वह इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें।

श्री अध्यक्ष---देखिये, यह आपत्ति कई मर्तबा आयी। मैं समझता हूं कि लिखकर देने से बात स्पेसिफिक हो जाती है और साफ हो जाती है और मैं समझता हूं कि मन्त्रियों को अगर सूचना मांगनी है तो लिखित रूप में ही मांगनी चाहिये वरना इस सदन में तो एक नहीं पचासों मर्तबा इस किस्म के प्रश्न आते हैं कि इस बात को सूचना मानकर आप यह करियेगा, तो कितनी बातों को वह सूचना मानें और उसके अनुसार करें और फिर माननीय श्रीपालसिंह कोई मामूली चेयरमैन एश्योरेंसेज कमेटी के नहीं हैं, वह जब मन्त्रियों के पीछे पड़ जायेंगे तो उनको भी परेशानी होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--आप चाहते हैं श्रीमन्, कि आश्वासन भी न दें मन्त्री लोग ?

श्री अध्यक्ष--नहीं, यह मैं नहीं चाहता, लेकिन कुंवर श्रीपालसिंह से घबड़ाते हैं मन्त्री लोग।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, बांकेलाल जी के प्रश्न में था कि रुपया देने का प्रस्ताव केन यूनियन सोसाइटी ने स्वीकृत किया था ? आप इस सूचना को पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कोआपरेटिव हायर सेकेन्ड्री स्कूल पिपराइच, गोरखपुर कमेटी का प्रस्ताव था। मन्त्री जी ने कहा है कि केन यूनियन, पिपराइच ने प्रस्ताव पास किया है, यह गलत कहा है। केन यूनियन पिपराइच ने नहीं बल्कि हायर सेकेन्ड्री स्कूल कमेटी ने ही प्रस्ताव पास करके बिना केन यूनियन को बताये हुए रुपये को खर्च किया है, क्या इसकी इन्क्वायरी मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री अजीज इमाम--वह रुपया केन यूनियन हायर सेकेन्ड्री स्कूल को दे देता है और हायर सेकेन्ड्री स्कूल उसको खर्च करता है और उसका हिसाब केन यूनियन को देता है, तो केन यूनियन के पास उसके आय-व्यय का पूरा हिसाब रहता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता हूं कि जो मन्त्री लिखित जवाब हाथ में पाने के बाद भी बार-बार गलत जवाब देता है ऐसे आदमी को मन्त्रि-परिषद् में रखने से क्या सदन के समय का अपव्यय नहीं होता है ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

[७ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नदियों के कटाव से पीड़ितों को सहायता

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में प्रदेश की नदियों के कटाव से पीड़ित जनों की सुख-सुविधा के लिये सरकार की ओर से कौन-कौन कार्य किये गये हैं तथा कितना-कितना प्रत्येक मद में व्यय हुआ है ?

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)--वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में प्रदेश की नदियों के कटाव से पीड़ित व्यक्तियों में ६,८८,३६० रुपये तकावी बांटी गई, ५६,७२० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में तथा ७९,४१९ रुपये गृह निर्माण सहायता के रूप में दिये गये। राजस्व कर में ९,०६,०४७ रुपये की कटौती भी की गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह निर्माण के लिये जो सहायता दी गई है क्या इस सहायता में जिनकी जमीन कट गई है और जिनके रहने का घर कट गया है; उनको घर बनाने के लिये जमीन भी दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी स्कीम है कि जहां जमीन नहीं होती वहां दूसरी साइट दी जाती है और कलेक्ट्रों को आदेश है कि वह साइट तलाश करके उनको वहां रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, सही बात जो हमारी जानकारी में है वह यह है कि जिनके घर कट गये हैं उनमें से ९९ फीसदी व्यक्तियों को अब तक घर बनाने के लिये जमीन सरकार की ओर से नहीं दी गई है, वह सब के सब पेड़ों के तले अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर में मैंने स्वयं जा जाकर देखा है कि ऐसे लोग पेड़ों तले जिन्दगी बसर कर रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई तात्कालिक कार्यवाही की जायगी कि जिनके घर कट गये हैं उनको बसाने के लिये जमीन दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका जवाब हम दे चुके हैं।

श्री कल्पनार्थासिंह---क्या माननीय राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के मकान कट गये हैं उनको बसाने के लिये राजस्व मन्त्री ने क्या व्यवस्था की है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका भी जवाब मैं दे चुका हूं अभी सप्लीमेंट्री में।

श्री कल्पनार्थासिंह---मैं व्यवस्था जानना चाहता हूं कि क्या की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह मैं बतला चुका हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---सहारनपुर जिले में मुहम्मदपुर गांव में हरिजनों की बस्ती दो साल हुए नदी के बहाव के कारण उजड़ गई और वे लोग जाकर पास वाले बाग में बस गये। कलेक्टर ने उनको बसाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया। उनके दरख्वास्त देने पर भी कोई इन्तजाम सरकार की तरफ से नहीं किया गया। अब सेशन कोर्ट से १ १/२ महीने की सजा और ७५-७५ रुपये जुर्माना ४१ आदमियों पर हुआ है। क्या सरकार उनको अब बसाने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---इसमें यह है कि क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में प्रदेश की नदियों के कटाव से पीड़ित जनों की सुख सुविधा के लिये सरकार की ओर से कौन-कौन कार्य किये गये हैं तथा कितना-कितना प्रत्येक मद में व्यय हुआ है। अब अगर आप किसी स्पेसिक स्थान के लिये पूछना चाहते हैं कि अमुक स्थान पर क्या हुआ तो उसके लिये सूचना दे दीजिये, उसका उत्तर आपको मिल जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---क्या राजस्व मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी सरकार क्या इस सिद्धान्त से सहमत है कि उत्तर प्रदेश में नदियों के कटाव से जिन लोगों के घर गिर गये हैं या उजड़ गये हैं उनको सरकारी खर्चे से जमीन देकर उनके घर बनवाये जायं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जमीन तलाश करके उनके लिये मुहय्या की जाती है और मकान बनाने के लिये सबसिडी दी जाती है। यह हम करते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---इस बात को देखते हुए कि हर वर्ष यह प्रश्न नदियों के कटाव से घर गिरने के सम्बन्ध में आता है, क्या माननीय मन्त्री जी इसके लिये कोई विशेष योजना बनाने की कृपा करेंगे जिससे नदियों के कटाव के बारे में जांच की जा सके और जांच करके भविष्य में कोई एक सुदृढ़ योजना बनाई जा सके जिससे लोगों के जो घर कटते हैं वे आगे न कटने पायें और उनको बसाया जा सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस इमरजेंसी के समय में यह सम्भव प्रतीत नहीं होता।

श्री कल्पनार्थासिंह---इस बात को देखते हुए कि सन् १९४८ का एक ऐसा ऐक्ट लैंड एक्वायर करने के लिये मौजूद है जिसके मातहत जल्द से जल्द जमीन एक्वायर कर ली जाती है और वह फ्लड से सम्बन्धित है, तो क्या सरकार इस बात का निश्चित आश्वासन देने के लिये तैयार है कि जितने गांव कटे हैं उनके गांव वालों को किसी निश्चित तिथि तक बसा देने की व्यवस्था करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा तजुर्बे में आया है कि बाज वक्त लोग वहां से दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं जहां उनको जमीन मुहय्या करके दी जाती है। ऐसी सूरत में आश्वासन देना असम्भव प्रतीत होता है।

श्री मैनेजरसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार का कोई निर्देश जिलाधीशों को देने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के घर कटान से कट जाते हैं, या विलीन हो जाते हैं उनको बसाने के लिये वह तत्काल जमीन दें? जैसा कि बलिया में २ १/२ मील का एरिया शिवपुर और दुर्जनपुर का कटा है ये लोग अभी तक बिना जमीन के हैं। क्या उनको तत्काल जमीन मुहय्या करके दी जायगी क्योंकि वे लोग दूसरी जगह जाना चाहते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार के ये स्टैंडिंग आर्डर्स हैं। कलेक्टर को बराबर ताकीद करना उचित नहीं है। आशा की जाती है कि वे जरूर सतर्कता बरतेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी, जिन लोगों की खेती-बारी सब कट जाती है, ऐसे परिवारों के गुजारे के लिये जिलाधीश को कोई आदेश देंगे कि दूसरी जगह उनको जमीन दी जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां पर जो नजदीक में जमीन होती है उसको देने का प्रयास किया जाता है। जहां तक होता है उस जमीन को एक्वायर करने का प्रयास किया जाता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--मन्त्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट के स्टैंडिंग आर्डर्स हैं। इधर से यह कहा जा रहा है कि उस आर्डर के बावजूद बहुत से गांव जो कट गये उनके रहने वाले लोगों को बसाया नहीं जा सका। तो क्या जिन जिलाधीशों ने गवर्नमेंट के स्टैंडिंग आर्डर्स की उपेक्षा की है या उसके रहते हुए भी उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अगर स्पेसिफिक केस दिया जायगा तो मैं उसे एग्जामिन कर लूंगा।

जूनियर हाई स्कूल, मंगारी, वाराणसी को मान्यता न मिलना

*२--**श्री ऊदल**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगारी, नेवादा, तहसील व जिला वाराणसी जो प्राइवेट तरीके से गत दो वर्षों से चल रहा है, मान्यता हेतु १९६०-६१ व १९६१-६२ में सरकार या माध्यमिक एजूकेशन बोर्ड को लिखा था? यदि हां, तो क्या मान्यता दे दी गई?

श्री अजीज इमाम--जूनियर हाई स्कूल, मंगारी नेवादा (वाराणसी) ने परिषद् की १९६४ की हाई स्कूल परीक्षा से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र २८ जुलाई, १९६१ को प्रथम बार भेजा था। उसे परिषद् ने अस्वीकार कर दिया।

*३--**श्री ऊदल**--क्या सरकार उक्त विद्यालय को कुछ सहायता दे रही है या आगे देने पर विचार कर रही है?

श्री अजीज इमाम--जी नहीं।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि स्कूल ने अब हाई स्कूल तक पढ़ाई शुरू कर दी है तो अगले वर्षों में उनको परीक्षा में बैठने की मान्यता न देने का क्या कारण है और क्या इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे कि उसको मान्यता दे दी जाय?

श्री अजीज इमाम--असल में यह जूनियर स्कूल के रूप में स्थायी रूप से रिकग्नाइज नहीं हुआ है और इसलिये उनकी यह दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गयी। जैसे ही वह स्थायी रूप से रिकग्नाइज हो जायगा उसके बाद अगर वह दरख्वास्त देंगे तो उस पर गौर किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जूनियर हाई स्कूल की मुस्तिकल मान्यता का आवेदन-पत्र खारिज कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थायी मान्यता के लिये कौन-कौन सी शर्तें स्कूल ने पूरी नहीं कीं जिसके कारण उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---यह मान्यता एजूकेशन बोर्ड देता है सरकार नहीं देती।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के लिये इंस्पेक्टर आफ स्कूल रेकमेंड करते हैं और फिर वह ऊपर से दी जाती है। हायर सेकेन्डरी स्कूल की मान्यता बोर्ड देता है।

श्री अध्यक्ष---(मंत्री से) वह पूछते हैं कि किन-किन कारणों से उनको मान्यता नहीं मिलती ?

श्री अजीज इमाम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि माध्यमिक स्कूल को मान्यता देने के कौन-कौन आधार हैं ?

श्री अजीज इमाम---सब से पहला आधार यह है कि जूनियर हाई स्कूल की मान्यता उसे प्राप्त हो। उसके अलावा फिर उसमें १५,००० रुपये की सेक्योरिटी जमा होती है। इसके अलावा क्वालाफाइड टीचर्स होते हैं, कमरे होते हैं और उन सब को देख कर ही मान्यता दी जाती है। मैं डिटेल में इस समय नहीं बतला सकता, लेकिन कार्फा ऐसी ही चीजें हैं।

चकबन्दी

*४---**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी) तथा **श्री नरोत्तमसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसे जिले कौन-कौन से हैं जिनमें सभी तहसीलों में चकबन्दी हो चुकी है, और ऐसे जिले कौन से हैं जिनमें कि कुछ तहसीलों में चकबन्दी हो चुकी है और ऐसे जिले कौन से हैं जिनमें अभी बिल्कुल चकबन्दी नहीं हुई है ?

श्री बृजबिहारी---प्रदेश के किसी भी जिले का सभी तहसीलों में चकबन्दी कार्य पूर्णतया अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ३८ जिलों में चकबन्दी क्रियायें आंशिक रूप से समाप्त हो चुकी हैं। इन जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष जिलों में चकबन्दी कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४८ पर)

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किसी एक जिले में भी पूरे जिले में चकबन्दी नहीं हो सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---धनाभाव।

जिला परिषद्, वाराणसी को बेसिक शिक्षा के लिये अनुदान

*५---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, वाराणसी को बेसिक शिक्षा के लिये सन् १९६१-६२ व १९६२-६३ में कितना रुपया दिया गया ?

श्री अजीज इमाम---

सन् १९६१-६२ में कुल २४,९७,७३४ रुपया

सन् १९६२-६३ में, अगस्त, ३१, १९६२ तक कुल ११,६६,५९१ रुपया।

श्री ऊदल--क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो २४,९७,७३४ रुपये सन् १९६१-६२ में बेसिक शिक्षा के लिये था तो उसके अलावा कितने पये शिक्षा फंड में अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी को दिये गये थे ?

श्री अजीज इमाम--श्रीमन्, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि सूचना एकत्रित नहीं हुई है ।

बाढ़ एवं सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*६--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिले बाढ़ तथा सूखे से पीड़ित हैं और सरकार उस संबंध में गांवों में किसानों को भुखमरी आदि से बचाने हेतु क्या संरक्षात्मक कार्यवाही कर रही है ?

श्री बृजबिहारी--प्रदेश में जो जिले बाढ़पीड़ित हुए उनका विस्तृत विवरण मेरे द्वारा दिये गये बाढ़ संबंधी वक्तव्यों में दिया जा चुका है । सूखा से पीड़ित होने की सूचना किसी भी जिले से नहीं प्राप्त हुई ।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को भुखमरी से बचाने के लिये इस वर्ष भी अन्य वर्षों की भांति निम्न संरक्षात्मक कार्यवाहियां की गईं ।

१--खाद्यान्न, वस्त्र आदि के रूप में अथवा नकदी के रूप में अहेतुक सहायता बांटी गई ।
२--किसानों को डिस्ट्रेस तकावी दी गई ।
३--गृह निर्माण हेतु ऋण दिया गया ।
४--सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं ।
५--भीषण बाढ़ से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में टेस्ट वर्क भी खोले गये ।
६--अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में भूमि कर की वसूली १५ नवम्बर तक स्थगित कर दी गई ।
७--वास्तविक क्षति के मूल्यांकन के पश्चात् नियम के अन्तर्गत आने पर भूमि कर में छूट भी दी जायेगी ।
८--खादी हुंडी के लिये धनराशि दी गई ।
९--चिकित्सा आदि के लिये औषधियां वितरित की गईं ।

*७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नारायणी की बाढ़ से गोरखपुर जिले के महाराजगंज, शहर फरेंदा तथा देवरिया जिले के हाटा, पडरौना आदि तहसीलों के कितने गांव प्रभावित हुये और कितने धन-जन की हानि हुई ?

श्री बृजबिहारी (१)--नारायणी नदी की बाढ़ से गोरखपुर जिले की केवल महाराजगंज तहसील प्रभावित हुई, जिसमें ३१ गांवों की १०,९२८ एकड़ भूमि जलमग्न हो गई । उसमें से ७,०४९ एकड़ भूमि की फसल क्षतिग्रस्त हुई । फसल को लगभग १२ नये पैसे से ८५ नये पैसे तक हानि हुई ।

(२) इस नदी की बाढ़ से देवरिया जिले की हाटा तहसील के ३९ ग्रामों की ५,०२० एकड़ भूमि प्रभावित हुई । पडरौना तहसील के २० ग्रामों में २०० एकड़ भूमि की फसल क्षतिग्रस्त हुई । इसके अतिरिक्त इस नदी की बाढ़ से तहसील हाटा में ४४५ घर तथा पडरौना के २१३ घर क्षति ग्रस्त हुए । फसल को ३७ नये पैसे से १०० नये पैसे तक की क्षति हुई ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो उन्होंने प्रश्न संख्या ६ से संबंधित १ से ९ तक तालिका दी और उसमें जो बाढ़ की संरक्षात्मक कार्यवाही के संबंध में अनुदान दिया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल अनुदान कितना दिया गया और उसमें अहेतुक सहायता कितनी दी गई और डिस्ट्रेस तकाबी के लिये कितना दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—यदि इसका ब्यौरा हो तो कृपया मंत्री जी पढ़ दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इसको पढ़े देता हूं । वह इस प्रकार है । गोरखपुर में ५ लाख १० हजार और देवरिया में ४ लाख ३ हजार । अदर रिलीफ में—गोरखपुर को ५ लाख ५५ हजार, देवरिया में ३ लाख १० हजार । टेस्ट वर्क में—गोरखपुर में ६ लाख ६० हजार, देवरिया में २५ हजार । तकावी—गोरखपुर में १३ लाख २० हजार, देवरिया में ७ लाख १० हजार ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—४४५ घर हाटा तहसील में और २१३ घर पडरौना तहसील में क्षति-ग्रस्त हुये । तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन घरवालों को कितनी सहायता अलग-अलग दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—देवरिया और गोरखपुर में जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी गयी है उसमें वह मुफ्त रकम कितनी है जिसको वसूल नहीं किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह मैं बोर्ड की रिपोर्ट आने पर बता सकता हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—जब पिछली बार माननीय राजस्व मंत्री ने बाढ़ की रिपोर्ट दी थी तो देवरिया में सबसे ज्यादा नुकसान बताया था । तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां सबसे ज्यादा नुकसान था तो वहां गोरखपुर से कम सहायता देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो कलेक्टर जो मांगते हैं वह हम देते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी उन लोगों के लिये जो बहुत गरीब हैं और पंगु हो गये हैं तथा जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिस तरह से डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने अपने समय में दो तीन महीने का राशन मुफ्त देने की व्यवस्था की थी और उनको कार्ड दिया गया था उसके लिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो खाद्य मंत्री करेंगे अगर जरूरत समझेंगे तो ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर और देवरिया जिले में अलग-अलग कितने रुपये की मालगुजारी में छूट दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बोर्ड आफ रेवेन्यू से फाइनल प्रोपोजल्स अभी नहीं आये हैं, उनके आने पर ही यह बताया जा सकता है ।

ग्राम समाज, मन्सूरपुर आलापुर संबंधित भूमि की गलत पड़ताल करने की शिकायत

*८—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़)—क्या राजस्व मंत्री ३ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन व्यक्तियों को भूमि कितनी-कितनी दी गई है और उनके पास इस भूमि के अलावा और कितनी-कितनी है ?

श्री बृजबिहारी—सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४९ पर)

*९—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री मंगलदेव**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १३६९ फसली की खरीफ एवं रबी की फसल की परताल किस अधिकारी द्वारा इस गांव की हुई है और क्या परताल पूरे गांव के नम्बरों की सही पायी गयी है ? यदि गलत पायी गयी है तो किन-किन नम्बरों की और उसके मालिक कौन-कौन हैं ?

श्री बृजबिहारी—सुपरवाइजर कानूनगो ने नियमानुसार हर फसल में ७ प्रतिशत नम्बरों की पड़ताल की। जो त्रुटियां पायी गयीं उनकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सूची में १२ वें नम्बर पर एक व्यक्ति को ५ एकड़ जमीन दी गई है जबकि उसके पास २ एकड़ जमीन पहले से मौजूद थी, और गांव समाज मैनुअल में यह लिखा है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसे गांव समाज की जमीन दी जाय, और जो उस गांव में भूमिहीन हैं तो ऐसे व्यक्ति को जमीन देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लैंडलैस को भी देनी चाहिये और जिसके पास अनइकानामिक होल्डिंग है उसे भी देनी चाहिये । किस लिये इन्हें दी गई उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष जी हमने यह सवाल किया है कि इस गांव में भूमिहीनों को जमीन न देकर.....

श्री अध्यक्ष—लैंडलैस जैसे डिफाइन किया है जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में और जैसे सरकार मानती है, २ एकड़ अनइकानामिक होल्डिंग है । इस वजह से उन्हें भी लैंडलैस में गिन लिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—लेकिन प्राथमिकता तो उसे मिलनी चाहिये जिसके पास बिलकुल जमीन नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे सूचना नहीं है कि वह लैंडलैस हैं या नहीं । अगर मेरे मित्र लिखकर देंगे तो हम पता लगवाने की कोशिश करेंगे ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर में ठेकेदारों के इकरारनामें

*१०—**श्री कल्पनाथसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० टेम्पोरेरी डिवीजन, गोरखपुर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा जनवरी, १९६२ से अब तक कितने ठेकेदारों को ऐग्रीमेंट बांड रद्द कर दिये गये हैं और क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त कारणों की एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—चार। दो की प्रगति बहुत धीमी थी। एक कार्य नहीं पूर्ण कर पाया तथा एक ने कार्य बन्द कर दिया।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक ठेकेदार के काम को पूरा करने की अन्तिम तिथियां क्या थीं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—अन्तिम तिथियां मेरे पास नहीं हैं । श्री रामप्रसन्न पांडेय और श्री विजयप्रताप ओझा की प्रगति कम थी, इसलिये इनका बांड कैंसिल कर दिया गया । श्री मानचन्द कंसल और मेसर्स नार्दन कंस्ट्रक्शन कम्पनी न्यू दिल्ली, की प्रगति कम थी और वे एक नया बांड चाहते थे इसलिये इनका बांड भी कैंसिल कर दिया गया ।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्री विजयप्रताप ओझा ने कितने पत्र लिखे हैं जिनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और ओवरसियर की ज्यादती का जिक्र किया है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---यह सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन इन्होंने दोष लगाया था कि इनका काम रुका है चूंकि इन्हें मैटीरियल नहीं ईश्यू हुआ। जब इनसे कहा गया तो यह मैटीरियल लेने के लिये नहीं आये और न डिपार्टमेंट के किसी आदमी से कंटैक्ट किया ।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्री विजयप्रताप ओझा ने बराबर पत्र लिखे कि उन्हें मैटीरियल नहीं दिया गया और उन्हें हैरैस किया जा रहा है, क्या मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे ।

श्री गनेशीलालचौधरी---इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्री विजयप्रताप ओझा की शिकायतों में एक प्रमुख शिकायत यह थी कि ओवरसीयर इंजीनियर और एकाउन्टैंट ये सब ७॥ और १० परसेंट जितने रुपये का ठेका था उसका मांगते थे और चूंकि उन्होंने नहीं दिया तो उन्हें मैटीरियल देना बन्द कर दिया गया और बार-बार जब वह मैटीरियल मांगते रहे तो इस बीच में उनका बांड कैंसिल कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---यह ओझा ने आपसे तो बतलाया नहीं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं जानता हूं, इसलिये मैं कह रहा हूं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

रेलवे लाइन्स के निकट की परती भूमि

*११---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार के रेलवे विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने प्रदेश में रेलवे रोड के पास की परती भूमि को खेती के लिये देने की व्यवस्था करने का अधिकार दिया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बृजबिहारी---जी हां । सितम्बर, १९६१ में ।

*१२---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सरकार इस संबंध में कब तक आदेश जारी कर रही है तथा उसके समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री बृजबिहारी---उक्त भूमि को खेतिहरों को देने के संबंध में समुचित योजना तथा पट्टों का प्रालेख विचाराधीन है । निर्णय हो जाने पर आवश्यक आदेश यथाशीघ्र जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री रामचन्द्रविकल---क्या माननीय माल मंत्री जी बतलावेंगे कि सितम्बर, १९६१ से अब तक निर्णय लेने में क्या मुख्य कठिनाइयां सरकार को रही हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---पहले तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के रेलवे विभाग से टर्म्स और कंडीशन्स तय करने में कुछ समय लगा । जब उसमें तय हुआ तो बोर्ड आफ रेवेन्यू को एक ड्राफ्ट स्कीम और लीज डीड का मस्विदा बनाने के लिये कहा गया । वह एक मर्तबा आया, उससे गवर्नमेंट मुतमइयन नहीं हुई । फिर भेजा, और २९ नवम्बर को ड्राफ्ट स्कीम फाइनल आ गई है । उसके एग्जामिन होने के बाद मुनासिब कार्यवाही जल्द की जायगी ।

श्री रामचन्द्र विकल---रेलवे से मिली भूमि का वितरण होने की कब तक आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होगा, वैसे ही देने के आर्डर्स जारी हो जावेंगे ।

स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितछात्रों को छात्रवृत्ति

*१३—**श्री काशीनाथ मिश्र**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६०-६१ और १९६१-६२ में लखनऊ जिले के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों के कितने आश्रितों को छात्रवृत्तियां दी गयीं और कितने ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत तो हुई लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिली ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अजीज इमाम—(अ) १९६०-६१ में ९० एवं १९६१-६२ में ७९ छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई ।

(आ) दोनों वर्षों में केवल एक-एक छात्र को छात्रवृत्ति का भुगतान न हो सका ।

(ई) १९६०-६१ में भुगतान छात्र के विद्यालय छोड़ देने और १९६१-६२ में संबंधित विद्यालय के वर्ष के भीतर राज्यकोष से रुपया न निकालने के कारण न हो सका ।

*१४—**श्री काशीनाथ मिश्र**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रित छात्रों को छात्रवृत्तियां किस दर से दी जाती हैं और निर्णय करने का आधार क्या रखा गया है ?

श्री अजीज इमाम—(क) छात्रवृत्तियों के दर की तालिका सदन की मेज पर है ।

(ख) निर्णय राजाज्ञा संख्या ए ३०६/१५-३००४-५७-५८, दिनांक मार्च १०, १९६१ के आधार पर होता है । प्रतिलिपि† सदन की मेज पर है ।

श्री अध्यक्ष—इमाम साहब, मुझे आपसे निवेदन करना था कि आप २, ३ मर्तबा पढ़ कर आया कीजिये ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो वरना बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १, १ छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली उनके नाम क्या थे और वे कहां के हैं ?

श्री अजीज इमाम—१९६०-६१ में प्रकाशचन्द्र मिश्र, कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ के थे और १९६१-६२ में वीरेन्द्रप्रतापसिंह, कक्षा ७, कान्यकुब्ज वोकेशनल कालेज, लखनऊ, के थे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—स्वीकृति के बाद जब उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली तो उसका कारण क्या था और उस रुपये का क्या हुआ ?

श्री अजीज इमाम—सन् १९६०-६१ में छात्र प्रकाशचन्द्र मिश्र कालेज छोड़ कर चले गये थे, इसलिये उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी । १९६१-६२ में छात्र वीरेन्द्रप्रतापसिंह को इसलिये छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी कि कालेज ने समय के भीतर उस रुपये को नहीं निकाला । अब वह १९६२-६३ में रिएलाट किया जा रहा है ।

लखनऊ मण्डल के प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक को आदेश

*१५—**श्री श्रीराम तिवारी** (जिला उन्नाव)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मंडल के प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों को कोई ऐसे आदेश दिये गये हैं कि वह अपने-अपने विकास खंड के मुख्यालयों पर रहें ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कोई नियम बन गये हैं ?

---

†छापी नहीं गयी ।

नोट :—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---जी हां । यह आदेश, क्षेत्रीय समिति अधिनियम को लखनऊ कमिश्नरी में लागू करने के लिये दिया गया है ।

*१६---**श्री श्रीराम तिवारी**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६१ में उप-जिला विद्यालय निरीक्षकों के चयन के लिये जो लिखित परीक्षा हुई थी और उससे संबंधित जनवरी, सन् १९६२ में जो साक्षात्कार हुआ था उसमें कितने उप-विद्यालय निरीक्षकों का चयन हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर---सात का ।

संस्कृत विद्यालयों को अनुदान

*१७---**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला चमोली)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय इंटर कालेजों को अधिक से अधिक अनुदान कितना तक दिया जा रहा है और जिस संस्कृत महाविद्यालय को उत्तर मध्यमा तक की स्वीकृति है उसको अधिक से अधिक कितना अनुदान दिया जाता है जब कि संस्कृत की उत्तर मध्यमा और इंटर की परीक्षा की समानता है तो अनुदान देने में यह वैषम्य क्यों है ?

*१८---उत्तर प्रदेश में संस्कृत डिग्री कालेजों और अन्य डिग्री कालेजों को अधिक से अधिक कितना अनुदान दिया जा रहा है ? क्या इनके अनुदान में भी वैषम्य है ? यदि हां, तो वह क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर---इन संस्थाओं को नियमतः अनुपालन अनुदान के रूप में उनके स्वीकृत अनुपालन व्यय के आधार से अधिक धनराशि साधारणतः नहीं दी जाती है । विभिन्न संस्थाओं के व्यय विभिन्न होते हैं । अस्तु, उनके भुगतान में वैषम्य होना स्वाभाविक ही है ।

*१९---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---[१९ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२०---**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)---[हटा दिया गया ।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का प्रतिनिधित्व

*२१---**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**---क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद् में शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि भी लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब इस पर अमल होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर---माध्यमिक शिक्षा परिषद् में सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के हेडमास्टर और प्रधानाचार्य तथा ट्रेनिंग कालेजों के अध्यापक एवं विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि रहते हैं । इस प्रकार यह परिषद् शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ही एक संस्था है । प्रश्न के अन्य भागों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*२२---**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**---क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (इंटर बोर्ड) की परीक्षाओं की सनदें परीक्षाफल के घोषित होने के ६ माह के अन्दर दिलाने की व्यवस्था करेगी क्योंकि यह सनदें अब १५ मास बाद मिलती हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं । वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना संभव नहीं है ।

झांसी जिले के कुछ गांवों में लगान वसूली रोकना

*२३—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव नहोना, नगदा, नगदा मबई, झंडा, ननौराकलां, ननौरा खुर्द, कसोधन, उदेतपुरा (नया खोर), ललौंज, डुबकी, कुटेरा, रतौली, ट्रंका, भंडरा कलां, भंडरा खुर्द, निचरौली, रायपुर, छमकन, रसोई, हीरापुर, बबीना, जिला झांसी के गांवों के किसानों से वह जुलाई, सन् १९५५ तक लगान की वसूली करती थी और वह लेखपालों द्वारा सरकारी कागजात में इन्दराज भी कराती रही? यदि हां, तो लगान की वसूली तथा सरकारी रिकार्ड बाद में क्यों बन्द करना पड़ा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, परन्तु ग्राम नगदा मबई, झंडा, ननौरा बुजुर्ग, ननौरा खुर्द, कसोधन, उदितपुरा, ललौंज और डुबकी में लगान की वसूली जुलाई, १९५४ से ही बन्द कर दी गई थी। चूंकि इन समस्त ग्रामों की भूमि भारत सरकार के आदेशानुसार हस्तगत कर ली गयी थी इसलिए लगान की वसूली बन्द करनी पड़ी और पुराने इन्दराज बन्द करने पड़े।

जो लगान भूमि के हस्तगत किये जाने की तिथि के बाद वसूल किया गया था उसकी वापसी के आदेश जारी कर दिये गये थे। फलस्वरूप अधिकतर खातेदारों का लगान वापिस भी कर दिया गया है और शेष लोगों का लगान वापिस किया जा रहा है।

*२४—**श्री विजयपालसिंह** तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के लोगों को अब वहां से हटा दिया गया है? यदि हां, तो उनको कहां बसाया गया और क्या उनको सारा मुआवजा दे दिया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपरोक्त ग्रामों की भूमि रिक्वीजीशन (requisition) के समय खाली करा कर भारत सरकार के अधिकार में दे दी गई थी। परन्तु कुछ लोग अनधिकृत ढंग से फिर आ बसे हैं। इन लोगों को हटाने के लिए भारत सरकार का प्रतिरक्षा मंत्रालय वैधानिक कार्यवाही कर रहा है। जहां तक लोगों को पुनर्वासित करने का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने उनको बसाने के लिये आवश्यक भूमि सुरक्षित कर दी है और जिलाधीश को आवश्यक आदेश बहुत समय पहले ही जारी कर दिये हैं। इसके फलस्वरूप ३७५ परिवार नई भूमि पर बस भी गये हैं। प्रभावित लोगों को मुआवजा नियम के अनुसार प्रस्तावित किया गया है और अधिकतर लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। जिन लोगों ने अभी तक मुआवजा नहीं लिया है उनके मामले मध्यस्थ (arbitrator) के निर्णय के लिये भेजे जा रहे हैं।

*२५—**श्री विजयपालसिंह** तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपरोक्त गांवों को सिर्फ पिछले महायुद्ध के सम्बन्ध में लड़ाई खत्म होने के ६ माह बाद के लिये ही हटाया गया था? यदि हां, तो नवम्बर, १९४८ में दूसरा नोटीफिकेशन क्यों किया गया और जमीन जायदाद का एक्वीजीशन कब किया गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—पिछले महायुद्ध के समय रक्षा विभाग के आदेशानुसार उपरोक्त ग्रामों की भूमि के अतिरिक्त और भी भूमि नियम ७५ ए भारत रक्षा कानून, १९३९ के अन्तर्गत लड़ाई के दौरान तथा उसके ६ मास पश्चात् तक के लिये रिक्वीजीशन (requisition) कर ली गई थी। लड़ाई समाप्त होने के पश्चात् प्रतिरक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार उपरोत ग्रामों की भूमि फील्ड फायरिंग रेन्जेज, बबीना के हेतु लैन्ड रिक्वीजिशन (कन्टीनुएन्स आफ पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के अधिनियम ५ के अन्तर्गत नवम्बर, १९४८ में हस्तगत कर ली गई। इस विज्ञप्ति की तिथि से इन ग्रामों की सारी सम्पत्ति भारत सरकार में निहित हो गई।

अग्रवाल इन्टर कालेज, मोतीनगर, लखनऊ में फीस माफी के मामले

*२६—**श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता में यह नियम होते हुये कि यदि किसी एक विद्यालय में दो सगे भाई बहिन शिक्षा प्राप्त करते हों, तो उनमें किसी एक भाई अथवा बहिन को शिक्षा शुल्क में सहायता होनी चाहिये फिर भी अग्रवाल इन्टर कालेज, मोतीनगर, लखनऊ में शिक्षा प्राप्त करने वाले कक्षा ११ और ९ के विद्यार्थियों को यह सहायता नहीं दी जाती ? क्या लखनऊ नगर के अन्य किसी और कालिज में भी उक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह सही है कि अग्रवाल इन्टर कालेज, मोतीनगर में एक ही अभिभावक के एक से अधिक बच्चे या आश्रित होने पर भी कुछ मामलों में शिक्षा संहिता के पैरा १०६ के अनुसार आधी फीस माफ नहीं की गई है किन्तु उक्त नियम के अन्तर्गत यह अनिवार्य भी नहीं है कि ऐसे सभी मामलों में फीस माफी दी जाय। अतः नियम की अवहेलना नहीं हुई है। अन्य विद्यालयों में भी नियम का इसी प्रकार पालन किया जाता है।

क्षति पूर्ति अनुदान न पाने वाले बस्ती जिले के जूनियर हाई स्कूल

*२७—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में ऐसे कितने जूनियर हाई स्कूल हैं जिनको अपने प्रारम्भ काल से आज तक कक्षा ६ तक की निःशुल्क शिक्षा की पूर्ति (धन) अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला बस्ती में ऐसे चार जूनियर हाई स्कूल हैं। इनमें से तीन स्कूलों ने क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए सन् १९६१-६२ तक प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था और एक स्कूल को ३१ मार्च, १९६२ तक मान्यता नहीं दी गई थी, इस कारण अनुदान नहीं दिया गया।

तहसीलदारों की आवास व्यवस्था

*२८—**श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन तहसीलों में तहसीलदारों के रहने के लिये सरकारी मकानों की सुविधा प्राप्त है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश की २३० तहसीलों में से २१० तहसीलों में, जिनकी सूची† संलग्न है, तहसीलदारों के रहने के लिये सरकारी मकानों की सुविधा प्राप्त है।

*२९—**श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन तहसीलों में सरकारी मकान की सुविधायें तहसीलदारों को नहीं प्राप्त हैं उन्हें मकान बनवाकर देने की वह व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा करने का विचार अवश्य है। परन्तु वर्तमान समय इसके लिये उपयुक्त नहीं है।

*३०—**श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदारों के वेतन-क्रम कब के बनाये हुये हैं ? क्या वर्तमान वेतन-क्रम में वह कुछ हेर-फेर करने के प्रश्न पर विचार करने का मन्तव्य रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहसीलदारों का वर्तमान वेतन-क्रम १ अप्रैल, १९४७ से चालू है। उसमें परिवर्तन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है क्योंकि परिवर्तन के लिये समुचित कारण नहीं हैं।

बरौत-छपरौली मार्ग की मरम्मत

*३१---**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बरौत से छपरौली केवल ९ मील (जिला मेरठ) पक्की सड़क जो कहीं-कहीं टूटी-फूटी शक्ल में थी उसकी १९६० में कहीं-कहीं पिटाई और मरम्मत करने में ६ लाख रुपये से भी ज्यादा खर्च किये गये ?

श्री गिरधारीलाल---बरौत-छपरौली मार्ग की मरम्मत पर १९६० में कुछ भी व्यय नहीं किया गया।

*३२---**श्री श्यामलाल**---यदि यह बात सत्य है, तो क्या सरकार ६ लाख रुपये के खर्चे का अलग-अलग पूरे ब्यौरे की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी।

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद व आजमगढ़ जिलों में एक्सटेन्शन टीचर्स

*३३---**श्री इन्द्रासनसिंह** (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ व फैजाबाद जिले में सरकारी और एडेड स्कूलों में कितने एक्सटेन्शन टीचर्स इस समय सन् १९६२ से हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हुये भी सी० टी० ग्रेड में हैं और एल० टी० ग्रेड में नहीं हैं। ऐसा क्यों है ?

*३४---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने कितने ऐसे व्यक्तियों के नाम विभाग में एल० टी० ग्रेड के निमित्त भेजे हैं ? सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है और निर्णय कब तक हो जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़--फैजाबाद सड़क की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*३५---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर) तथा **श्री इन्द्रासनसिंह**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़-फैजाबाद रोड पर आजमगढ़ से पच्छिम मील ५ व मील ६ के बीच कंधरापुर मधुबन गोदाम पर मधुबन ग्राम में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर कुछ व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा किये थे जिन्हें १९५९, १९६०, तथा १९६१ के किसी वर्ष में विभाग द्वारा कोर्ट से बेदखल किया गया ? यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन-कौन थे ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां। श्री बल्ली हलवाई को बेदखल किया गया था।

*३६---**श्री माताप्रसाद** तथा **श्री इन्द्रासन सिंह**---क्या यह सही है कि बेदखल की हुई भूमि पर इस समय किसी दूसरे व्यक्ति ने पुनः कब्जा जमा लिया है और निर्माण-कार्य करा कर दूसरे से किराया वसूल कर रहा है और स्वयं रह रहा है ? यदि हां, तो किस के आदेश से और क्यों ? सरकार इसकी जांच कराकर पूरा ब्यौरा सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं। बेदखल की गई भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का इस समय कब्जा नहीं है।

जालौन जिले में सड़कें

*३७—**श्री शिवसंपत्ति शर्मा** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब पहली, दूसरी पंचवर्षीय योजना से तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की सड़कों के निर्माण के लिये कई गुना अधिक धन रखा गया है तो उस अनुपात में जालौन जिले को पक्की सड़कें नहीं दी गयी हैं? इसका क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—यह सही नहीं है कि तृतीय पंजचवर्षीय योजना में पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना से कई गुना अधिक धन पक्की सड़कों के निर्माण के लिये रक्खा गया है। जिला जालौन में सड़कों की आवश्यकता को, तथा तृतीय योजना में पक्की सड़कों के लिये रक्खे गये धन को, ध्यान में रख कर, इस जिले में पक्की सड़कों के निर्माण का आयोजन किया गया है।

*३८—**श्री शिवसंपत्ति शर्मा**—क्या सरकार जालौन जिले को जिसे नागपुर के मतानुसार ६६ मील पक्की सड़क और मिलना चाहिये, देने पर विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण, इस समय जिला जालौन में और सड़कों का निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का ओवर पेमेंट

*३९—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ सितम्बर, १९५९ और मार्च, १९६० को समाप्त होने वाली समयावधि के बारे में दी गई चीफ टेक्निकल इग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार ४.९७ लाख रुपये का जो Over Payment हो गया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, उसके बारे में सरकार ने उक्त राशि को वापस बसूलने के लिये क्या कदम उठाये?

श्री गिरधारीलाल—चीफ टेकनिकल इग्जामिनर की रिपोर्ट में कही गई बातों पर विचार किया गया। उसमें जितने मामले बताए गये थे उनमें से कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद चीफ टेक्निकल इग्जामिनर ने उनको समाप्त कर दिया, कुछ मामलों पर अभी विचार हो रहा है। कुछ मामलों में वसूली करने का निश्चय हो गया है और वह वसूली की जा रही है।

*४०—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त Over Payment के लिये कौन-कौन उत्तरदायी था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—इसकी अभी जांच हो रही है।

*४१—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त धनराशि में सब वापस वसूल हो गई या अभी तक बाकी पड़ी है? यदि हां, तो कितनी और क्यों?

श्री गिरधारीलाल—अभी तक ४,७१,००० रुपये में से १,३२,४२६ रुपये की वापस वसूल हो पाई है। शेष धनराशि के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जिले में इन्टरमीडिएट का परीक्षा-फल रोकना

*४२—**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती) तथा **श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा १९६२ में बस्ती जिले में कितने परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया और उसके बारे में क्या निर्णय किया गया?

आचार्य जुगलकिशोर---२७ परीक्षार्थियों का परीक्षा-फल रोका गया था । निर्णय निम्नवत हुआ ---

(१) परीक्षा फल घोषित	८
(२) इन्टर परीक्षा १९६२ रद्द	५
(३) इन्टर परीक्षा १९६२ रद्द तथा १९६३ की परीक्षा से वंचित	११
(४) विचाराधीन मामले	३
कुल योग ..	२७

*४३---**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** तथा **श्री हिम्मतसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद, जिला बस्ती के हीरालाल रामनिवास इन्टर कालेज के श्री बद्रीप्रसाद का परीक्षा फल भी रोका गया था ? यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, जांच के बाद निर्दोष पाये गये । अतः उनका परीक्षा-फल घोषित कर दिया गया है ।

खीरी जिले में लगान वसूली कार्य में हरिजन

*४४---**श्री बंशीधर मिश्र** (जिला खीरी), **श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी) तथा **श्री बंकटासिंह** (जिला खीरी)--- क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले की मोहम्मदी, लखीमपुर तथा निघासन तहसीलों में कलेक्शन अमीन (उगाही कर्मचारियों) और उनके सहायक चपरासियों की संख्या अलग-अलग क्या है तथा उसमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ४५१ पर)

*४५---**श्री बंशीधर मिश्र, श्री छेदालाल चौधरी** तथा **श्री बंकटासिंह**---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत पिछली दो रबी खरीफ फसलों (सीजन) में खीरी जिले की मोहम्मदी, लखीमपुर तथा निघासन तहसीलों से कुल मतालबा मालगुजारी उगाही के लिये क्या था जिसमें कितना अब वसूल हुआ, कितना पिछला मिला कर शेष है और कितना राइट आफ कर दिया गया और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गत पिछली रबी व खरीफ १३६९ फसली में जिला खीरी की मोहम्मदी, लखीमपुर तथा निघासन तहसीलों में कुल ६०,५०,२८२ रु० मालगुजारी उगाही के लिये था । जिसमें से ५०,७४,३४७ रु० वसूल हुआ । रबी १३६९ फसली के अन्त में उगाही के लिये पिछला मिला कर ८,५८,६३७ रु० बाकी रहा । कोई मतालबा राइट आफ नहीं किया गया ।

माडल स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*४६---**चौधरी अब्दुल हसीब खां** (जिला बहराइच) तथा **श्री मंगलप्रसाद आर्य** (जिला बहराइच)---उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट माडल स्कूलों के अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन ४५ रु० जो सन् १९५७ ई० से बराबर चला आ रहा है उसमें कोई बढ़ाव नहीं किया जब कि और दूसरे अध्यापकों के वेतन में कई बार बढ़ोत्तरी हो चुकी है ? अगर यह सच है तो क्या सरकार माडल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय माडल स्कूलों के अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन अब ४५ से बढ़कर ५० रुपये प्रतिमास हो गया है। ५ रुपये प्रतिमास की वृद्धि १ जनवरी, १९६२ से राज्य के सभी राजकीय कर्मचारियों को, जिनका वेतन २४९ रुपये प्रतिमास तक है, दी गई है। इनमें राजकीय माडल स्कूलों के अध्यापकों तथा अन्य राजकीय विद्यालयों के अध्यापक भी शामिल हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरी के लिये महिलाओं का प्रमोशन

*४७—**श्री चन्द्रबलीसिंह** (जिला देवरिया)—क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जिला परिषद् एवं सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के हेड मास्टर, जिनकी योग्यता बी० ए० के समकक्ष नहीं है, वे सब-डिप्टी इंस्पेक्टर हो सकते हैं? यदि हां, तो उसी योग्यता की महिलायें ए० आई० जी० एस० क्यों नहीं हो पाती हैं? उन्हें इस सुविधा से वंचित करने का कारण क्या है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, १० प्रतिशत हो सकते हैं किन्तु अभी उसी योग्यता की महिलायें ए० आई० जी० एस० नहीं होती हैं क्योंकि इनके सर्विस रूल्स अभी नहीं बने हैं।

*४८—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षकगण प्रदेश भर में एक ही क्षेत्र में लगभग १ १/२ फर्लांग के भीतर तक कई स्कूलों को मान्यता देने लगे हैं? यदि हां, तो क्या ऐसा करने के आदेश दिये गये हैं? यदि नहीं, तो ऐसा हापुड़, मेरठ में क्यों किया जा रहा है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, आवश्यकता पड़ने पर १ १/२ फर्लांग के अन्दर ही कई पूर्व-माध्यमिक स्कूलों को मान्यता दी जा सकती है।

आजमगढ़ जिले में चकबन्दी तथा लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*४९—**श्री सुरजनराम विशारद** (जिला आजमगढ़)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ग्राम पियरोपुर, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना के हलका लेखपाल श्री मिश्रीलाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार कागज सम्बन्ध अनियमितता आदि को लेकर उक्त गांव के प्रधान तथा जनता ने जनवरी, सन् १९६२ से जून, सन् १९६२ तक कितने आवेदन-पत्र दिये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५०—**श्री सुरजनराम विशारद**—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुहम्मदाबाद तहसील, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी सेंटर सिकटी शाह मोहम्मद द्वारा मुस्तफाबाद सोनावर, सलारपुर, सिकटी सराय मुबारक, सोनपार, आदि गांव में आबादी, सहन, खलिहान आदि के लिये कुल कितनी जमीन छोड़ी गई है? उनका अलग-अलग नम्बर तथा रकबा क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र सिकटी शाह मुहम्मदपुर में केवल मुस्तफाबाद, सालारपुर, सिकटी और सराय मुबारक ग्राम हैं। शेष ग्राम सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र अमिलो में हैं। इन ग्रामों में आबादी, सहन खलिहान आदि के लिये छोड़ी गई जमीन से सम्बन्धित सूचना मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

*५१—**श्री सुरजनराम विशारद**—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में चकबन्दी सेंटर, शाहगढ़ द्वारा, शाहगढ़ महलिया, दौलतपुर, बैठौली, बिहरोजपुर, समेंदा, पैकवली, रघुनाथपुर, मुहब्बतपुर, नौबी आदि गांव में कुल कितने भूमि सार्वजनिक कार्यों (आबादी सहन, मुर्दा मवेशियों के रखने, खलिहान आदि) के लिये छोड़ी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र शाहगढ़ में केवल शाहगढ़, बठौली, बिहराजपुर, सनेदा, पैकवली ग्राम हैं। ग्राम दौलतपुर चकबन्दी से बाहर है ? शेष ग्राम सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र भगवानपुर में है। ग्राम शाहगढ़, बिहरोजपुर, सनेदा, सुहब्बतपुर तथा नीबो में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये छोड़ी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि सिद्धान्तों का विवरण-पत्र इन ग्रामों में अभी नहीं बना है। अन्य ग्रामों के सम्बन्ध में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये छोड़ी गई भूमि का विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है।

गाजीपुर जिले में नये स्कूल

*५२—**श्री राजनाथसिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में तृतीय पंचवर्षीय योजना में लड़के तथा लड़कियों के कितने जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है और यह प्रस्तावित स्कूल कब और कहां खोले जायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में लड़कियों के ६ राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है इनमें से दो लड़कियों के राजकीय जूनियर हाई स्कूल जमानियां और दिलदार नगर में खोले जा चुके हैं। शेष चार स्कूल अगले वर्षों में खोलने को प्रस्तावित हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में गाजीपुर जिले में लड़कों के लिये कोई जूनियर हाई स्कूल खोलने का सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है।

शिक्षा दल में स्टाफ इन्स्पेक्टर

*५३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेशीय शिक्षा दल में स्टाफ इंस्पेक्टरों की संख्या इस समय क्यों है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस समय १८४ स्टाफ इंस्पेक्टर है।

*५४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के शिक्षा दल में स्टाफ इंस्पेक्टर के वेतन तथा एलाउन्स का क्रम क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—वेतन प्रतिमास ७५ रुपये (अंचल) तथा महंगाई भत्ता ३५ रुपये दिया जाता है।

शराब बन्दी अभियान

*५५—**श्री होरीलाल यादव** (जिल इटावा), **श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री नौनिहाल चौधरी** (जिला इलाहाबाद)—क्या आबकार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण शराब बन्दी के लिये प्रदेश के मुख्य मन्त्री के नाम खुला पत्र शराब बन्दी अभियान (उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल) के संयोजक का अभी-अभी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां। उस पर इस समय कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

लखनऊ में गोमती बांध का निर्माण

*५६—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में गोमती के किनारे बन्धा बनाने की योजना कब से प्रारम्भ होने वाली है ?

श्री गिरधारीलाल—यह योजना अगस्त, १९६१ से चालू हो गई है।

*५७—**श्री भीखालाल**—उपयुक्त योजना के अन्तर्गत जो जमीन प्राप्त की जायेगी तथा जो इमारतें उसके घेरे में आयेंगी उनका मुआवजा किस रीति से आंका जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—योजना के अन्तर्गत नदी के किनारे के मन्दिरों तथा घाटों के मुआवजे की नीति अभी विचाराधीन है। दूसरे प्रकार की इमारतें आदि का मुआवजा वर्त्तमान प्रचलित नियमानुसार दिया जायगा।

खीरी जिले में प्राइमरी स्कूल

*५८—**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी-लखीमपुर जिले में इस समय कुल कितने प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं? अभी जिले में ऐसी कितनी और कौन-कौन ग्राम पंचायतें हैं जिनमें एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है?

आचार्य जुगलकिशोर—कुल ६०५ प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं।

४५२ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है इनके नाम संलग्न तालिका† में दिये हैं।

लखनऊ कमिश्नरी में प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों का मुख्यावास

*५९—**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि लखनऊ कमिश्नरी के प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों एवं उनके चपरासियों का हेडक्वार्टर जिले के हेडक्वार्टर से हटा कर विकास खंडों में कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। क्षेत्रीय समिति अधिनियम को लखनऊ कमिश्नरी में लागू करने की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

*६०—**श्री दीपनारायणसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना को पूरे राज्य में लागू न करके केवल लखनऊ कमिश्नरी में ही लागू करने का क्या कारण है?

आचार्य जुगलकिशोर—सारे प्रान्त में अधिनियम को लागू करने में कुछ कठिनाइयां हैं। इसलिये अभी लखनऊ कमिश्नरी के ६ जिलों में ही विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों का मुख्यावास खण्ड में ६ माह के लिये प्रयोगात्मक रूप में किया गया है।

प्राइमरी स्कूल सत्र के समय में परिवर्तन पर विचार

*६१—**श्री दयाराम शाक्य** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मन्त्री इस विषय में विचार करने की कृपा करेंगे कि शिशु तथा बालकों की कोमलता को ध्यान में रखते हुये प्राइमरी विद्यालय प्रचलित वर्तमान समय में कुछ समय बाद सत्र के प्रारम्भ में खुला करें तथा गर्मियों में कुछ दिनों पूर्व बन्द हो जाया करें?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

मोहम्मदपुर विकास खण्ड में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन

*६२—**श्री काशीनाथ मिश्र**—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मोहम्मदपुर विकास खंड में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु किन-किन गांव सभाओं को कितनी-कितनी रकम १९६१-६२ में अग्रिम दी गई और कितनी बाकी है और क्यों?

---

†छापी नहीं गयी।

आचार्य जुगलकिशोर---मोहम्मदपुर विकास खंड के अन्तर्गत १९६१-६२ में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु जिन ग्राम सभाओं को अग्रिम धन दिया गया था उनकी सूची संलग्न है। केवल १ विद्यालय को २५० रुपये देना शेष है जो कि अभियन्ता के निरीक्षण के पश्चात् भवन पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र देने के बाद चुका दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४५२-४५३ पर)

*६३---**श्री काशीनाथ मिश्र**---क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पाठशालाओं के कितने भवनों का निर्माण हो चुका है और कितने का बाकी है और क्यों? और न बनने वाले भवनों के अग्रिम धनराशि का क्या हुआ?

आचार्य जुगलकिशोर---इनमें से १० भवनों का निर्माण हो चुका है और ४ में निर्माण कार्य हो रहा है। केवल ५ में अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। बताया जाता है कि कुछ स्थानों पर बरसात में आवागमन की असुविधा के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका। इन्हीं में से दो स्कूलों में भवन बनाये जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। ३ स्कूलों का धन प्रधान के पास पासबुक में जमा है, एक का धन प्रधान के पास जमा है तथा एक स्कूल में सामान खरीद कर रखा है।

आदर्श इन्टर कालेज, सराय आकिल, इलाहाबाद के विद्यार्थियों की मांगें

*६४---**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी** (जिला इलाहाबाद)---क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श इंटर कालेज, सराय आकिल, इलाहाबाद में विद्यार्थियों ने हड़ताल तथा अनशन कर रखा है? विद्यार्थियों ने क्या मांगें रक्खी हैं और उन्हें पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

आचार्य जुगलकिशोर---आदर्श इंटर कालेज, सराय आकिल, इलाहाबाद में विद्यार्थियों ने दिनांक २०-९-६२ से २६-९-६२ तक हड़ताल रखी थी तथा दिनांक २७-९-६२ से हड़ताल समाप्त हो गई है। विद्यार्थियों ने अनशन नहीं किया था।

विद्यार्थियों ने जो मांगें प्रस्तुत कीं और उन्हें पूरा करने के लिये जो कार्यवाही की गई है उसकी†सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

*६५---**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी**---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या हड़ताल का एक कारण यह भी है कि उक्त विद्यालय के प्रबन्धक ने महालेखा जोखा के निरीक्षक द्वारा इंगित की गई कमियों को दूर नहीं किया एवं भवन सम्बन्धी प्राप्त सहायता का उपयोग नहीं किया? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता, तंदोला विद्यालय के अध्यापकों की शिकायत

*६६---**श्री द्विजेन्द्रनारायण** (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिसम्बर, १९६१ में कितने माध्यमिक विद्यालयों को स्थायी मान्यता प्रदान की गई?

---

†छापी नहीं गई।

आचार्य जुगलकिशोर---६ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को।

*६७---**श्री द्विजेन्द्रनारायण**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालयों द्वारा वह सभी शर्तें पूरी कर दी गई थीं जो मान्यता प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं ? यदि नहीं, तो वह कौन-कौन से विद्यालय हैं जिन्होंने शर्तें पूरी नहीं कीं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जांच की जा रही है।

*६८---**श्री द्विजेन्द्रनारायण**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास माध्यमिक विद्यालय, तन्दोला (बाराबंकी) के अध्यापकों द्वारा कई मास का वेतन न प्राप्त होने के कारण कोई शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को गत ६ महीनों में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, जांच की जा रही है।

जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*६९---**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों का वेतन ५०-२-६० द० रो० ३-७५ रु० और जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों को जो जे० टी० सी० हैं उनको ७०-३-१०० द० रो० -४-१२० रु० दिया जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, स्थानीय निकायों के जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक जो जे० टी० सी० हैं, उनका वेतन-क्रम ७०-३-१०० द० रो०-४-१२० रुपये है और जो अध्यापक जे० टी० सी० नहीं हैं उनका वेतन क्रम ५०-२-६०-द० रो०-३-७५ रु० है।

नेशनल इन्टर कालेज, भोगांव के अध्यापकों की मांगें

*७०---**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि नेशनल इंटर कालेज, भोगांव (मैनपुरी) के अध्यापकों ने अपने प्रबन्धक मन्डल की कार्यवाहियों से असन्तुष्ट होकर ६ दिसम्बर, १९५९ को भूख हड़ताल की थी तथा कोई ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक, जिलाधीश आदि को दिया था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

मुख्य-मुख्य मांगें और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४५४ पर)

*७१---**श्री मन्नालाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालय को विज्ञान भवन बनवाने हेतु सरकार की ओर से कितना रुपया दिया गया है ? क्या विज्ञान भवन बन गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस रुपये की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---सरकार की ओर से १५,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी जो अभी डाकखाने में जमा है। विज्ञान भवन का निर्माण-कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

हाई स्कूल परीक्षाफल रोका जाना

*७२—श्री दयाराम शाक्य—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में हैं जिनकी हाई स्कूल परीक्षा का फल १९५५ तथा १९५६ से रोक रखा गया है और उसके क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९५५ का एक भी नहीं ।

१९५६ की एक परीक्षार्थिनी का परीक्षाफल पूर्व अध्ययन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, शिक्षा विभाग । बिहार से सत्यापित न होने के कारण रुका है ।

*७३-७४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री मंगल देव—[हटा दिये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*७५—श्री होरीलाल यादव—क्या शिक्षा मन्त्री प्रश्न संख्या ७३ दिनांक १ जून, १९६२ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक को अन्तरिम जिला परिषद् के पत्र या स्मृति-पत्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों के ग्रेड के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में मिले हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—अन्तरिम जिला परिषद्, फर्रुखाबाद ने अपने जूनियर हाई स्कूलों के कुछ अध्यापकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के विषय पर निदेशालय को लिखा था । इस विषय पर शासन विचार कर रहा है ।

छाता तहसील में चकबन्दी के मुकदमें

*७६—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील में कितने गांवों में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है और कितने गांवों में चकबन्दी करनी बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला मथुरा की तहसील छाता में २३ गांवों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका है और १४८ गांवों में अभी कार्य चल रहा है ।

*७७—श्री लखीसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गलत इन्दराज होने के कारण किसानों को कितने मुकदमें चलाने पड़े ? यदि हां, तो उक्त तहसील के किसानों को चकबन्दी के कार्य से कब तक मुक्त किया जायगा और तहसील के किसानों के चकबन्दी टैक्स का कितना रुपया वसूल किया जायगा और कितना रुपया सरकार व्यय करेगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन —तहसील छाता, जिला मथुरा में कुल ६५,९३३ गलतियां कागजात में मिलीं जिनमें से ५७,८६२ गलतियां आपसी समझौते के आधार पर सहायक चकबन्दी अधिकारियों द्वारा तय की गईं और केवल ८,०७१ विवादित मुकदमों के रूप में चकबन्दी अधिकारियों को भेजी गई ।

इस तहसील में चकबन्दी कार्य के दिसम्बर, १९६३ तक समाप्त होने की सम्भावना है ।

अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि इस तहसील में चकबन्दी कार्य पर सरकार का कितना रुपया व्यय होगा और चकबन्दी व्यय के रूप में कुल कितना रुपया किसानों से वसूल किया जायगा ।

*७८--श्री लखीसिंह--क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चकबन्दी अधिकारी के यहां कितनी अपीलें अब तक छाता तहसील की दायर हो चुकीं तथा फैसले दिये जा चुके हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहसील छाता में अब तक १,२७२ अपीलें बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के यहां दायर हो चुकी हैं जिनमें से १,१४९ में फैसले दिये जा चुके हैं ।

रायबरेली जिले में सड़क निर्माण में गोलमाल की शिकायत

*७९--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--क्या सरकार को ज्ञात है कि आज से करीब दो महीने पहले रायबरेली जिले की भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष को वहां के किसी विधायक ने सई नदी के राजघाट के पुल के पास बन रही कटी सड़क के सम्बन्ध में होने वाले हजारों रुपये के गोलमाल के रोकने हेतु कोई पत्र दिया गया था और प्रार्थना की गई थी कि तुरन्त कार्यवाही करने पर रुपयों का गोलमाल करने वाले पकड़े जा सकते हैं? इसी पत्र की प्रतिलिपि P. W. D. के जिला इंजीनियर को भी दी गई थी? यदि यह सही है, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां । मामले की जांच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने की पर शिकायत को निराधार पाया ।

*८०--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--[हटा दिया गया ।]

हरिजन प्रशिक्षार्थी अध्यापक

*८१--श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष H. T. C., J. T. C, तथा L. T. की कक्षाओं में कितने-कितने व्यक्ति मनोनीत किये गये हैं और उनमें हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८२--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--[हटा दिया गया ।]

कौवापुर-महराजगंज सड़क

*८३--श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौवापुर रेलवे स्टेशन से महराजगंज तराई तक के सड़क को बनाने की स्वीकृति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुई थी ? यदि हां, तो वह सड़क क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं । इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है ।

*८४--श्री सुखदेवप्रसाद--क्या सरकार को मालूम है कि इस समय उस सड़क की दशा अत्यन्त खराब है और ३ पुलियां भी टूट गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क की शीघ्र मरम्मत एवं निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--यह सड़क इस समय अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत है और उसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व परिषद् पर है ।

नैनीताल जिले में नवीन स्कूल

*८५—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कितने प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल जिला नैनीताल में स्वीकृत हुये हैं और उनमें से अब तक कितने-कितने स्कूल क्रमशः खुल चुके हैं और किन-किन स्थानों में खुले हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला नैनीताल में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत किये गये स्कूल निम्नवत् हैं :—

वर्ष १९६१-६२ में ४९ प्राइमरी स्कूल तथा वर्ष १९६२-६३ में १८ प्राइमरी एवं २ जूनियर हाई स्कूल। उक्त सब स्कूल्स खुल गये हैं उनके स्थानों की सूची संलग्न है।

वर्ष १९६३-६४ के लिये जिला नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बालिकाओं के ६ प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हुए हैं। अन्य स्कूल १९६३-६४ के लिये और किसी प्रकार के स्कूल आगामी वर्षों के लिये अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४५५-४५६ पर)

पाठ्य पुस्तकें

*८६—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि वार्षिक परीक्षा होने से पूर्व आगे की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकें घोषित हो जायें ताकि छात्रों की गर्मी की छुट्टियां व्यर्थ न बरबाद हो सकें ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं एवं कक्षा १० व १२ के लिये इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही है।

९वीं तथा ११वीं कक्षाओं के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है।

ककराघाट, राप्ती नदी

*८७—श्री मंगलप्रसाद आर्य—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच, विकास क्षेत्र, इकौनासे जो सड़क ककराघाट होकर लक्षमनपुर बाजार जाती है तो ककराघाट राप्ती नदी पर पुल व सड़क पक्की बनवाने की व्यवस्था इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई है ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

रायबरेली जिले में आबकारी मुकदमे

*८८—श्री रतीपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में प्रत्येक थाने से अलग-अलग कुल कितने मुकदमें गांजा, भांग, शराब आदि मादक वस्तुओं को रखने या बेचने के चलाये गये ? इनमें कितने मुकदमों में सजा हुई और कितने मुकदमें छूटे ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४५७ पर)

*८९—श्री रतीपाल—क्या अवैध गांजा, भांग, शराब के उपर्युक्त मुकदमों में कुछ औरतों पर भी मुकदमें चले थे ? यदि हां, तो औरतों की संख्या कितनी थी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। औरतों की संख्या ६५ थी।

*९०-९१--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--[१५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में निम्न वर्ग के कर्मचारियों का वेतन

*९२--श्री महादेव (जिला फैजाबाद)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में (सहायता प्राप्त स्कूल) निम्नवर्ग के कर्मचारियों का वेतन-क्रम निश्चित है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

कथित विद्यालयों के निम्नवर्ग के कर्मचारियों का वेतन-क्रम शासन द्वारा नहीं निश्चित किया गया है।

*९३--श्री महादेव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मैनेजर एसोसियेशन (सहायता प्राप्त स्कूलों के) तथा माध्यमिक शिक्षक संघ दोनों ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश सरकार के पास भेजी है कि उक्त कर्मचारियों को प्राविडेन्ट फंड की सुविधा दी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या गौर हो रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सहायता प्राप्त स्कूल के मैनेजर एसोसिएशन तथा माध्यमिक शिक्षक संघ दोनों की सर्वसम्मति से कोई ऐसी सिफारिश शासन के पास नहीं प्राप्त हुई है, किन्तु कथित विद्यालयों के निम्न कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फन्ड की व्यवस्था इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा १६-जी के अन्तर्गत बनाये गए विनियम ७७ में है।

कुमायूं डिवीजन के पटवारी एसोसियेशन की मांगें

*९४--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या यह सही है कि पटवारी एसोसियेशन, कुमाऊं डिवीजन ने अपने दिनांक १५ मार्च, १९६२ की बैठक में कुछ मांगें पारित कर सरकार को पेश की हैं? यदि हां, तो वे मांगें क्या थीं ? और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। मांगें सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं। ये विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४५८ पर)

कालिंजर-चित्रकूट सड़क

*९५--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपनी हद की कच्ची सड़क को जो कालिंजर, जिला बांदा से चित्रकूट तक जाती है पक्की कराने का विचार रखती है ? अगर है, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--तृतीय पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण इस सड़क को पक्का कराना इस समय सम्भव नहीं है।

हमीरपुर जिले के लिये चकबन्दी

*९६--श्री मदनपालसिंह--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में चकबन्दी योजना कब से चालू होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*९७--श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)--[६ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न संख्या १५६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को बी० एड०, एल० टी० कक्षाओं के लिये अनुदान

*९८—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालिजों को बी० एड० तथा एल० टी० कक्षाओं के लिये १९६०–६१ और १९६१–६२ में सरकार द्वारा कितना अनुदान आवर्तक तथा अनावर्तक दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—यदि सरकार द्वारा बी० एड० के लिये अनुदान नहीं दिया जाता है तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के पुराने कर्मचारी

*१००—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या राजस्व मंत्री प्रश्न संख्या २२–२३ दिनांक ५ अक्तूबर, १९६२ के उत्तर के सम्बन्ध में कृपया बतलावेंगे कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के एकाउन्ट्स कार्यालय में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो १० वर्षों से अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—६९ ।

*१०१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलावेंगे कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका Annual Increment रुक रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई नहीं ।

बड़हलगंज ब्लाक बनाने का ठेका

*१०२—श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री १४ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१ के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि २० जनवरी, १९६१ को टेन्डर लेने के बाद ४ अगस्त, १९६१ को इतने दिनों के बाद बांड क्यों बनाया गया तथा १ मार्च, १९६२ को जो पीस वर्क ऐग्रीमेन्ट बना, उसका अन्तिम रूप देने के लिये २५ जुलाई, १९६२ तक क्यों रुकना पड़ा ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४५९ पर)

*१०३—श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम बांड के ठेकेदार ने २२ सितम्बर, १९६२ को कोई पत्र अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियंता को लिखा था ? जिसके द्वारा बांड न मिलने के कारण काम बन्द होने की सूचना देते हुये बांड की मांग की थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र का क्या जवाब दिया गया और ठेकेदार को बांड दिया गया या नहीं? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसा कोई पत्र ठेकेदार ने २२–९–६२ को नहीं भेजा ।

रायबरेली सार्वजनिक निर्माण विभाग में गिट्टी की सप्लाई

*१०४--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली सार्वजनिक निर्माण विभाग में श्री जगदीशनारायण मेहरोत्रा ने सन् १९५८, १९५९, १९६०, १९६१ तथा १९६२ में कितनी गिट्टी सप्लाई की और रेलवे में कितने घनफुट गिट्टी इनको हल्द्वानी व झांसी से ढोकर दी? अनुमान है जितनी घनफुट गिट्टी रेलवे ने दी उससे ३७ प्रतिशत अधिक का पेमेंट श्री जगदीशनारायण मेहरोत्रा को किया गया जिससे बड़े भारी घपले की सम्भावना प्रतीत होती है ?

श्री गिरधारीलाल--सन् १९५८ में इस ठेकेदार के द्वारा गिट्टी सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उसे ठेका सन् १९५९ में दिया गया था। तब से अब तक उसने कुल १,३६,२६० घनफुट गिट्टी सप्लाई की है। जितनी गिट्टी उसने इस विभाग को दी है उतने का ही उसे भुगतान किया गया है। यह ठेकेदार रेलवे से कितनी गिट्टी लाया, इसकी ठीक-ठीक सूचना इस विभाग के पास नहीं है।

*१०५--श्री मेवालाल (जिला इलाहाबाद)--[१६वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नवाबगंज में लड़कियों का स्कूल न होना

*१०६--श्री मेवालाल--क्या शिक्षा मंत्री इलाहाबाद जिला, सोराम तहसील के पश्चिमी क्षेत्र में नवाबगंज कस्बे में लड़कियों का स्कूल खुलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर--ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने का कार्य जिला परिषद् द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इस कस्बे में स्कूल खोलना सम्भव नहीं है। वर्तमान संकटकालीन परिस्थिति में भविष्य में भी स्कूल खोला जाना सम्भव नहीं दीखता।

कानपुर में विश्वविद्यालय खोलने की मांग

*१०७--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर में विद्यार्थियों की जन-संख्या देखते हुये कानपुर में विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) खोलने की कार्यवाही वह कब तक कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर--इस पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*१०८--श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विश्वविद्यालय आयोग (युनिवर्सिटी कमीशन) ने कानपुर में विश्वविद्यालय खोलना निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो कब ?

आचार्य जुगलकिशोर--विश्वविद्यालय की स्थापना करने या न करने का निर्णय प्रदेशीय शासन करेगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केवल राय ली गयी थी जो उपलब्ध हो गई है।

डुमरियागंज तहसील में दुरुस्ती कागजात

*१०९--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में चकबन्दी समाप्त हुये लगभग दो साल हो गया है ? यदि हां, तो कागजात अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं हुये हैं? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपरोक्त कागजात के दुरुस्त न होने के कारण इस तहसील की जनता को भूमि बेचने, तबादला इत्यादि में कितनी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहसील डुमरियागंज और नौगढ़ के कुछ भाग को मिलाकर १,०३३ ग्रामों में चकबन्दी योजना प्रारम्भ की गई थी जिनमें से अब तक केवल ९२० ग्रामों में चकबन्दी अधिनियम की धारा ५२ के प्रकाशन के साथ चकबन्दी कार्य समाप्त हो चुका है इन सभी १,०३३ ग्रामों में दुरुस्ती कागजात का कार्य बहुत पहिले ही समाप्त हो चुका है। अतएव प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

कानपुर जिले में शराब की अवैध भट्ठी

*११०--**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)--क्या यह सत्य है कि कानपुर जिले की गजनेर पुलिस ने सितम्बर, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में शराब बनाने का कोई अवैध कारखाना बरामद किया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम--जी हां। शराब की भट्ठी पकड़ी गई। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

दोहरीघाट का ठेका

*१११--**श्री श्रीराम** (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट बड़हलगंज का १९६१-६२ का ठेका पं० दर्शनेश्वरनाथ उपाध्याय के पास है? यदि हां, तो इस घाट पर कितनी नावें हैं और इस घाट पर कितने कर्मचारी काम करते हैं उनका कब से वेतन बाकी है? और उसके अब तक न देने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, इस समय घाट का ठेका पं० दर्शनेश्वर नाथ उपाध्याय के पास है। घाट पर ११ नावें और ३ पावर बार्जेस हैं, जिसमें ४ नावें और ३ पावर बार्जेस ठेकेदार के हैं, शेष, ७ नावें मल्लाहों की हैं। घाट पर ६३ कर्मचारी काम पर हैं, जिनको ३० सितम्बर, १९६२ तक का वेतन दिया जा चुका है।

नगसिया कृषि सहकारी समिति

*११२--**श्री मुरलीधर कुरील**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगसिया, तहसील पुखरायां, कानपुर, ग्राम सभा के अन्तर्गत कितने एकड़ परती भूमि है तथा उस भूमि में से नगसिया कृषि सहकारी समिति ने कितनी भूमि के लिये मांग की है और वह कब तक एलाट कर दी जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है।

बर्डघाट पर महिला द्वारा आत्म-हत्या

*११३--**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि गत जुलाई में कोई औरत गोरखपुर के बर्डघाट पर डूब कर मर गई?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*११४--**श्री कमलासिंह यादव**--क्या घाट के अधिकारियों ने उसे बचाने की कोई तरकीब की? यदि हां, तो क्या?

श्री गिरधारीलाल--स्टीमर और मोटर बोट लेकर लोग तुरन्त दौड़े लेकिन जब तक पहुंचे औरत डूब गई और दिखाई नहीं पड़ी।

*११५—श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि मोटर बोट रहने के बावजूद उसका इस्तेमाल इसलिये नहीं किया गया कि उसको डुबाने में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का हाथ था?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। मोटर बोट का इस्तेमाल किया गया। औरत के डूबने में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कोई हाथ नहीं था। Magisterial Inquiry से मालूम हुआ है कि इस स्त्री ने आत्महत्या की।

*११६—श्री रतीपाल—[१६ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२७ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

*११७—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—[हटा दिया गया।]

शादियाबाद परगने में सड़क

*११८—श्री राजनार्थासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले के शादियाबाद परगने में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने मील पक्की सड़क की योजना विचाराधीन है और उन पर कब से कार्य आरम्भ होने की संभावना है?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना के सीमित आकार होने के कारण इस परगने में किसी नई सड़क का निर्माण इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

हरदोई जिले में वर्षा-पीड़ितों को सहायता

२—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—क्या यह देखते हुए कि २३ से लगायत २५ सितम्बर, १९६२ की निरन्तर भीषण वर्षा के कारण हरदोई जिले की गर्रा नदी व उससे सम्बन्धित सुखेता आदि छोटी धाराओं में भीषण बाढ़ आने के कारण उनसे त्रसित जनता में शाहाबाद व शिरोमननगर और पाली कटियारी क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मच गई है, सरकार वहां के अफसरों से जांच करवा कर क्या उनको सरकारी सहायता देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हरदोई जिले में दिनांक २३ सितम्बर से २५ सितम्बर, १९६२ के बीच वर्षा तो हुई परन्तु उससे नहीं वरन् उसके पूर्व की वर्षा के कारण गर्रा, सुखेता आदि नदियों में बाढ़ आई जिससे सदर, शाहाबाद तथा बिलग्राम की तहसीलें प्रभावित हुईं।

इन तहसीलों के प्रभावित क्षेत्रों में, जिसमें शाहाबाद, शिरोमननगर, पाली क्षेत्र, कटियारी क्षेत्र भी शामिल हैं, गेहूं, कपड़ा, चावल आदि के अतिरिक्त अभी तक २५० रु० की अहेतुक सहायता तथा ७,९९० रु० की तकावी बांटी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो और भी तकावी बांटी जायेगी तथा यदि क्षति रुपये में ५० न० पै० या अधिक हुई तो मालगुजारी में छट भी दी जायेगी।

दहगवां ब्लाक में टिड्डी आक्रमण से बचाव

३—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं के कर्मचारियों ने टिड्डियों के आक्रमण से बचने के लिये सन् १९६१-६२ में क्या-क्या प्रयत्न किये?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त वर्ष में टिड्डियों से बचाव के लिये ब्लाक दहगवां के कर्मचारियों ने कृषि रक्षा सेवा एवं माल विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से टिड्डी-विनाशक-विष का छिड़काव तथा गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाया।

४---**श्री उल्फतसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टिड्डियों के बारे में कोई शिकायत सरकार को १९६१-६२ में ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं से प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

बलिया-बैरिया बांध सड़क, पिपराघाट पुल

५---**श्री काशीनाथ मिश्र**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को पता है कि गत दो योजनाओं में बलिया-बैरिया बांध वाली सड़क केवल ६ मील तक ही पक्की बन पायी है जब कि इसके लिये राज्य सरकार द्वारा बहुत पहले ही धनराशि स्वीकृत हो चुकी है? इस विलम्ब का कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल---इस सड़क का निर्माण-कार्य १९५८-५९ में प्रारम्भ किया गया था। कोयले, पक्की ईंटों तथा मजदूरों की कमी के कारण इस कार्य की प्रगति धीमी रही।

६---**श्री काशीनाथ मिश्र**---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया-उजियार रोड पर पीपराघाट और नरही पर पुल का निर्माण इतनी मन्द गति से क्यों चल रहा है? जब कि वह सड़क एक ओर से तो वाराणसी और दूसरी ओर बिहार सीमा से जुड़ी है?

श्री गिरधारीलाल---आवश्यक मात्रा में मजदूरों का न मिलना तथा मिट्टी और बालू के प्रबन्ध में कठिनाई के कारण इन पुलों के निर्माण-कार्य की प्रगति कुछ धीमी रही है।

चमोली जिले में संस्कृत परीक्षा केन्द्र स्थापित करने पर विचार

७---**श्री गंगाधर मैठाणी**---क्या यह सच है कि चमोली जिले में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का कोई केन्द्र नहीं है?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

८---**श्री गंगाधर मैठाणी**---क्या यह सही है कि चमोली जिले में परीक्षा केन्द्र बनाने के लिये कई वर्षों से प्रस्तोता महोदय संस्कृत विश्वविद्यालय को कोई प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक क्यों विचार नहीं किया गया है?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

प्रश्न विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

९---**श्री रामभजन** (जिला खीरी)---[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

छाछा-अलीपुर खेड़ा सड़क

१०---**श्री सूबेदारसिंह** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मैनपुरी जिले की छाछा से अलीपुर खेड़ा तक जाने वाली सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग (P.W. D.) के अन्तर्गत है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सड़क पर कितने अर्से से मरम्मत का कार्य चल रहा है?

श्री गिरधारीलाल---जी हां। इस सड़क पर निर्माण-कार्य सन् १९६१ में आरम्भ हुआ था।

११---**श्री सूबेदारसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त सड़क कितनी मील लम्बी है? अब तक सड़क की मरम्मत में कितनी मरम्मत हो पायी है? कितनी शेष है?

श्री गिरधारीलाल---यह सड़क साढ़े तीन मील लम्बी है। इसके २ मीलों में काम प्रगति पर है और शेष में कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

१२---**श्री सूबेदारसिंह**---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इस सड़क पर क्या सरकार कोई बाईपास बनाने की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कितना और कहां-कहां? अभी तक इस दिशा में कितना कार्य सम्पन्न हो सका और शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल---जी हां। इस सड़क पर दो बाईपास बनाने की व्यवस्था है, जिसमें से एक छाछा गांव के पास और दूसरा अलीपुर खेड़ा के पास बनाया जायगा। इन के बनाने की व्यवस्था की जा रही है और आशा है कि यह कार्य एक वर्ष के अन्दर पूरा हो जायगा।

१३-१४---**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया**---[हटा दिये गये।]

निधपुर परगने में सड़कों व पुलों की कमी

१५---**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि परगना निधपुर, तहसील अलीगंज, जिला एटा का क्षेत्र गंगा एवं बुढ़गंगा के बीच स्थित है और वहां एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है तथा नदियों पर पुल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार परगना निधपुर के लिये सड़कें एवं पुल निर्माण हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल---जी हां। सड़कों तथा पुलों की तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का सीमित आकार होने के कारण परगना निधपुर में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये किसी विशेष योजना का बनाना इस समय सम्भव नहीं है।

बलिया जिले में बाढ़पीड़ित छात्रों की फीस

१६---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---क्या शिक्षा मन्त्री बलिया जिला के अन्तर्गत बाढ़ तथा अतिवृष्टि से तबाह क्षेत्र वाले जूनियर हाई स्कूलों तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों के छात्रों की फीस माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आपदाकालीन छात्रवृत्ति देने तथा पुस्तकें क्रय करने के हेतु सहायता देने के लिये जिलाधीश बलिया को २०,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है अतः फीस माफ करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

१७---**श्री जगन्नाथ चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला के अन्तर्गत ब्लाक नवानगर, पन्दह तथा मनियर में भीषण बाढ़ तथा अतिवृष्टि से तबाह प्रत्येक गांवों को अलग-अलग सरकार की तरफ से अब तक कौन-कौन-सी सहायता तथा कितनी-कितनी पहुंचाई गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बलिया जिले में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से नवानगर, पन्दह तथा मनियर ब्लाक के क्रमशः ९,१८३ एवं १२५ ग्राम क्षतिग्रस्त हुये। उक्त विकास क्षेत्रों में दी गई विभिन्न सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है। प्रत्येक ग्राम में दी गई सहायता की सूची अत्यन्त विस्तृत है जो मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४६० पर)

धरथनिया-ऊजान सड़क

१८---**श्री रामभजन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के अन्तर्गत धरथनिया तथा ऊजान (सी० सी० टैंक) रोड पर जो नाला है उस पर पुलिया बनवाने के लिये कब तक व्यवस्था की जावेगी?

श्री गिरधारीलाल---कथित मार्ग पर पुलिया बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

मेरठ जिले की सकौती सड़क

१९---**श्री विजयपालसिंह, श्री जमादारसिंह** (जिला मेरठ) तथा **श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सकौती ज्वालागढ़ राड़धना जिला मेरठ में पी० डब्लू० डी० की सड़क का कच्चा काम हो चुका है और अब जिन खेतों में सड़क निकालने का निश्चय किया था उन खेतों को बचा कर दूसरे काश्तकार के खेतों के बीच सड़क निकालने का निश्चय कर लिया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया है?

श्री गिरधारीलाल---सड़क का निर्माण स्वीकृत संरेखण के अनुसार हुआ है तथा उसी पर होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी के पेड़

२०---**श्री हिम्मतसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी की स्थापना के समय विद्यालय की सीमा में कितने वृक्ष लगे हुये थे और इस समय उनमें से कितने हैं? शेष पेड़ों की लकड़ी से क्या आय हुई? क्या वह कैश बुक में जमा है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

२१---**श्री हिम्मतसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालय द्वारा १९६२ में आमों की नीलामी में सबसे कम की बोली किसकी थी और ठेका किसको दिया गया?

आचार्य जुगलकिशोर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

निघासन तहसील का राजस्व विभाग

२२---**श्री रामचरण शाह**---क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ वर्षों में तहसील निघासन (खीरी) से राजस्व विभाग को कुल कितनी आय हुई और उक्त वर्ष में विभाग पर कितना खर्च हुआ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना निम्न प्रकार है :--

वर्ष	आय	खर्च वसूली Collection Staff पर।
	रु०	रु०
१९५९-६०	.. ..	१४,५१,५५५ ८५,९८५
१९६०-६१	.. ..	१३,४५,५४६ ९८,०३३
१९६१-६२	.. ..	१३,२६,१०५ १,०७,५३८
योग	..	४१,२३,२०६ २,९१,५५६

शिक्षा विभाग में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी

२३--श्री श्यामलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में यू० पी० ट्रेनिंग कालेजों से कुल कितने ट्रेंड ग्रेजुएट व पोस्ट अध्यापक एल० टी० और बी० टी० का सर्टीफिकेट हासिल करके निकले ?

आचार्य जुगलकिशोर--सूचना एकत्रित की जा रही है।

२४--श्री श्यामलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि कितने ट्रेंड अध्यापकों को काम मिला और कितने अब भी बेकारी के शिकार हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--सूचना एकत्रित की जा रही है।

शादियाबाद क्षेत्र में सड़कें

२५--श्री राजनाथसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद की तहसील सैदपुर के अन्तर्गत क्षेत्र शादियाबाद में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितने मील पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--इस क्षेत्र में किसी नई पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इस का कारण योजनाओं का सीमित आकार था।

२६--श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)--[१९वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

२७--श्री रामलखनसिंह--[१६वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फतेहपुर जिले में इस्तकरार के मुकदमों में अमलदरामद

२८--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के जुडीशियल अफसरों द्वारा इस्तकरार के कितने मुकदमें सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष में निर्णय किये गये और कितनों के अमलदरामद के आदेश जारी हुये तथा कितने अमलदरामद नहीं हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में जिला फतेहपुर के जुडीशियल अफसरों द्वारा इस्तकरार के २९१ मुकदमें निर्णय किये गये तथा १२० मुकदमों में अमलदरामद के आदेश जारी हुए । चालू वर्ष में १८७ मुकदमें निर्णय किये गये तथा ६६ मुकदमों में अमलदरामद जारी हुआ ।

२९---**श्री रघुवीरसहाय कैथवार**---क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की तीनों तहसीलों के तहसीलदारों तथा परगनाधीशों द्वारा अलग-अलग दुरुस्ती कागजात एवं दाखिल खारिज के कितने मुकदमें सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष तथा चालू वर्ष में निर्णय किये गये और कितनों के तहसीलवार अमलदरामद किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना एक तालिका में दी हुई है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४६१ पर)

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ में अप्रशिक्षित अध्यापक

३०---**श्री रामस्वरूप भारतीय** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जिला परिषद्, प्रतापगढ़ के पास कुछ अप्रशिक्षित अध्यापक प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाने के लिये नियुक्त करने का आदेश भेजा गया है ? यदि हां, तो कब और कितने अध्यापकों की नियुक्ति का ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिनांक २९ जुलाई, १९६१ को ६८ और दिनांक ४ सितम्बर, १९६२ को १५० अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश दिये गये थे ।

३१---**श्री रामस्वरूप भारतीय**---क्या सरकार की ओर से यह भी आदेश भेजा गया है कि केवल हाई स्कूल प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण लोग ही अध्यापकों के पद पर रखे जायं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं, किन्तु ऐसे आदेश अवश्य हैं कि इन श्रेणियों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाये ।

३२---**श्री रामस्वरूप भारतीय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाने के लिये minimum qualification क्या रक्खी गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जूनियर हाई स्कूल ।

नगरपालिका, फतेहपुर में अध्यापिकाओं की नियुक्ति

३३---**श्री रघुवीरसहाय कैथवार**---प्रथम सत्र १९६२ के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित दिनांक १ जून, १९६२ के प्रश्न ८५ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार उस जी० ओ० की प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसके द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नगरपालिकाओं में सन् १९६१ के वर्ष में स्थापित कन्या पाठशालाओं के लिये नियुक्त की गई अध्यापिकाओं की संख्या एवं योग्यता का विवरण निर्धारित है ।

आचार्य जुगलकिशोर---आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है, जिसके द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कन्या पाठशालाओं में एक प्रधान अध्यापिका, एक शिक्षित और तीन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को नियुक्त किये जाने के आदेश थे ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४६२-४६४ पर)

३४---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के शिक्षा एवं स्वायत्त शासन मंत्रियों को नवम्बर, १९६१ में कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि नगरपालिका, फतेहपुर में १ अगस्त, १९६१ को स्थापित कन्या पाठशालाओं में जो अध्यापिकायें नियुक्त की गई हैं वे नगरपालिका, फतेहपुर के कर्मचारियों व अधिकारियों की निकट संबंधी हैं और उक्त कथित जी० ओ० में उल्लिखित योग्यता की पूर्ति नहीं करतीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुई थी । मामले की जांच की गई और विदित हुआ कि एक शिक्षित अध्यापिका जिसकी नियुक्ति की गई थी, नगरपालिका के एक कर्मचारी की लड़की थी और निर्धारित योग्यता की पूर्ति करती थी ।

३५---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---क्या यह सही है कि १ अगस्त, १९६१ को खुले उक्त कन्या पाठशाला में नियुक्त की गई अध्यापिकाओं के साथ ही उक्त जी० ओ० में उल्लिखित पूर्ण योग्यता रखने वाली हरिजन व बैकवर्ड वर्ग की महिलाओं ने भी प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उन्हें नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, ऐसा दो अध्यापिकाओं ने प्रार्थना-पत्र दिया था और उन्हें साक्षात्कार के लिये बुलाया भी गया था किन्तु उन्हें चुनाव समिति ने नियुक्ति के हेतु उपयुक्त नहीं समझा ।

जालौन जिले में कन्या पाठशालायें

३६---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में किन-किन स्थानों पर इस समय कन्या पाठशाला चल रही हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी और किन स्थानों पर कन्या पाठशाला खोलने की उनकी योजना है और इन स्कूलों की बिल्डिंग का निर्माण हुआ है या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर---वर्तमान स्कूलों की सूची (सूची 'अ') संलग्न है । इस सूची में वे स्कूल भी सम्मिलित हैं जो तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अब तक खोले जा चुके हैं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत ४२ और स्कूल खोलें जाने का प्रस्ताव है । इनकी सूची (सूची 'ब') संलग्न है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खोले गये उक्त स्कूलों के निजी भवन अभी तैयार नहीं हो पाये हैं । यद्यपि इनके भवन निर्माण हेतु १,००० रु० प्रति स्कूल की दर से अनुदान दिया जा चुका है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४६५-४६६ पर)

जगतपुर-ऊंचाहार सड़क

३७---श्री रतीपाल---क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में जगतपुर से ऊंचाहार जाने वाली सड़क को पक्का बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग रायबरेली ने जगतपुर विकास क्षेत्र की दो ग्राम सभाओं और ऊंचाहार की एक ग्राम सभा को उक्त सड़क बनाने को दिया था तथा इसके लिये आवश्यक security की धनराशि तीनों ग्राम सभाओं ने जमा कर दी थी ? पर क्या अब उपर्युक्त निर्माण के ठेके को ग्राम सभाओं द्वारा की गई दर से भी ऊंची दर पर किसी प्राइवेट ठेकेदार को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क पर मिट्टी डालने के काम का ठेका, अन्य लोगों के साथ, सभापति, ग्राम सभा पूरबगंज और डिलौली के पक्ष में भी स्वीकार किया गया किन्तु इन्होंने शर्तनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये, अतः टेंडर फिर से मांगे गए । नए टेंडर में जिन ठेकेदारों की दरें न्यूनतम थीं उनको ही कार्य दिया गया ।

चौरीबाजार-जौनपुर सड़क

३८—**श्री हरिगैनराम** (जिला वाराणसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के चौरीबाजार से होकर जौनपुर जिले में अड़ियार होते हुये आगे को जाने वाले सड़क पर जनहित का ख्याल करते हुए बरना नदी गांधी घाट पर पुल बनवाने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

पीलीभीत-पूरनपुर सड़क

३९—**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि पीलीभीत-पूरनपुर सड़क ७ (सात) साल से बन रही है ? यदि हां, तो अब तक पूरी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का निर्माण-कार्य १९५६-५७ से आरम्भ हुआ है । इस पर चार नदियां पड़ती हैं जिन पर पुल नहीं है व तीन मील की लम्बाई जंगल में पड़ती है । फलतः यातायात की असुविधा के कारण आवश्यक निर्माण की सामग्री एकत्रित करने व लाने और ले जाने में कठिनाइयां, मजदूरों का उपयुक्त संख्या में न मिलना इत्यादि के कारण इस सड़क के निर्माण की प्रगति में बधायें पड़ी हैं ।

शिक्षा विभाग के क्लर्कों के ग्रेड में अन्तर

४०—**श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय तथा अन्य विभागीय निदेशालय के समान स्तर के कर्मचारियों तथा लिपिकों के ग्रेड में क्या अन्तर है तथा ऐसा क्यों हैं ? क्या सरकार इस असमानता (disparity) को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा निदेशालय तथा अन्य विभागीय निदेशालयों के कर्मचारियों के ग्रेड १९४७ में वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं । प्रदेश के समस्त कार्यालयों को वेतन के मामले में एक ही स्तर पर लाना अत्यन्त कठिन समझा गया । यद्यपि सबके काम का ढंग एक ही प्रकार का है परन्तु काम की मात्रा और कुछ हद तक काम का स्तर एक दूसरे से भिन्न है । अतः असमानता दूर करना संभव नहीं है ।

४१—**श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद तथा लखनऊ के शिक्षा निदेशालय तथा शिक्षा निरीक्षकालय व उपशिक्षा निदेशालय के समान स्तर के क्लर्कों के वेतन-क्रम में क्या अन्तर है और क्यों है ? उसके आपसी तबादले क्यों नहीं होते ? क्या मंत्री जी इस असमानता को दूर कराने का प्रयत्न करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—इन कार्यालयों के क्लर्कों के वेतन क्रम भी वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं । अतः असमानता दूर करना संभव नहीं है ।

इन कार्यालयों में पारस्परिक स्थानान्तरण न होने का मुख्य कारण केडर, सेवा नियम तथा वेतन-क्रमों की भिन्नतायें हैं ।

असमानता दूर करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

एस० के० पी० इन्टर कालेज, कोंच की प्रबन्धकारिणी समिति

४२—श्री विजयसिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि S. K. P. Inter. College, कोंच, जिला जालौन की Managing Committee का चुनाव कब हुआ था और आगे कब होने जा रहा है ? यह चुनाव कितनी बार टाला गया और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—पिछला चुनाव अप्रैल, सन् १९५८ में हुआ था । पुनः चुनाव नवम्बर अथवा दिसम्बर, सन् १९६१ में होना चाहिये था परन्तु यह चुनाव अभी तक नहीं हुआ । प्रबन्धक का कथन है कि वर्तमान चुनाव संबंधी नियम में संशोधन होना है । अस्तु, संशोधन के पश्चात् प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव शीघ्र होगा ।

४३—श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकारी ग्रांट इस college को कितनी और कितने वर्षों से दी जाती रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस विद्यालय को १९६१-६२ में २३,७२८ रुपये अनुपालन अनुदान के रूप में मिले थे ।

प्रत्येक वर्ष अनुदान विद्यालय के आय व्यय की गणना पर निर्धारित किया जाता है ।

यह संस्था १९३३ से अनुदान-सूची पर है ।

निघासन तहसील में आबकारी से आय

४४—श्री रामचरण शाह—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ के वर्षों में तहसील निघासन (जिला खीरी) से आबकारी विभाग को कुल कितनी आमदनी हुई तथा उक्त वर्षों पर विभाग पर कितना खर्च हुआ ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीपुर-असोथर-इलाहाबाद सड़क

४५—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि फतेहपुर जिला के फतेहपुर व ललौली तथा बांदा पक्की सड़क पर स्थित बहुआ ग्राम से एक कच्ची सड़क गाजीपुर असोथर तथा घाता होती हुई इलाहाबाद को जोड़ती है ? क्या सरकार इस सड़क को पक्का कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क को पक्का बनवाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

४६—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—[२० वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सरजू नदी पर बरुहाघाट पुल

४७—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच शहर के निकट सरजू नदी के बरुहा घाट पर एक पुल अधूरा अधिक समय से क्यों पड़ा हुआ है तथा उसकी कितने रुपये की योजना थी और उस पर कितना व्यय किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसा कोई पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी सड़क पर स्थित नहीं है ।

मड़ियाहूं व केराकत नार्मल स्कूलों में भर्ती

४८—**श्री जगन्नाथ राव** (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ में जौनपुर जिला अन्तर्गत नार्मल स्कूल (एच० टी० सी०) मड़ियाहूं व केराकत प्रत्येक स्कूल में कितने हाई स्कूल पास व कितने ८ वीं कक्षा पास विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र दिये ? उन दोनों स्कूलों में हाई स्कूल पास कितने और ८ वीं कक्षा पास कितने विद्यार्थी लिये गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् १९६१-६२ में जौनपुर जिला अन्तर्गत नार्मल स्कूल (एच० टी० सी०) मड़ियाहूं व केराकत में प्रवेश के निमित विद्यार्थियों ने अलग-अलग आवेदन-पत्र नहीं दिये । चुनाव के निमित्त जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनमें हाई स्कूल पास ५०७, जूनियर हाई स्कूल पास ३५३ तथा ८ वीं कक्षा पास १३२ अभ्यर्थी थे । इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ४० अभ्यर्थियों ने भी आवेदन-पत्र दिये थे । इस प्रकार कुल १,०३२ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था । दोनों विद्यालयों में हाई स्कूल पास ५७ और कक्षा ८ पास २६, कुल ८३ विद्यार्थी लिये गये ।

४९—**श्री जगन्नाथ राव**—कितने विद्यार्थी नार्मल स्कूल (एच० टी० सी०) केराकत व मड़ियाहूं (जौनपुर) में चुने गये, उनमें हरिजन व पिछड़ी जातियों के अलग-अलग कितने छात्र हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—हरिजन जाति के १५ तथा पिछड़ी जाति के २४ छात्र हैं ।

५०—**श्री जगन्नाथ राव**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नार्मल स्कूल (एच० टी० सी०) केराकत व मड़ियाहूं में जो शिक्षार्थी सरकार की ओर से नामजद किये गये उनके नाम व योग्यतायें क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—शासन किसी दीक्षा विद्यालय विशेष के लिये अभ्यर्थी नामजद नहीं करती । शासन द्वारा मनोनीत अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार अपना प्रवेश दोनों विद्यालयों में लिया है प्रत्येक के नाम तथा योग्यतायें संलग्न तालिकाओं में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४६७-४६८ पर)

भूदान पट्टा

५१—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूदान का पट्टा देते समय जिसने भूमि को दान में दिया था तथा ग्राम सभापति से परामर्श आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के अनुसार भूदान समिति को पट्टा देते समय ग्राम सभापति अथवा भूमि देने वाले से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

मैनपुरी जिले में भूमि संबंधी मुकदमे

५२—**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में अप्रैल, सन् ६० से अप्रैल, ६२ तक कितने मुकदमें ११५-डी जमींदारी के विनाश व भूमि-व्यवस्था कानून के चले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१०,१०

५३—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में नीचे लिखे रकबे के अलग-अलग कितने किसान हैं :

(क) सौ एकड़,

(ख) पचास एकड़,

(ग) तीस एकड़,

(घ) बीस एकड़,

(ङ) दस एकड़,

(च) पांच एकड़,

(छ) एक एकड़ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित करने में जो समय, श्रम और धन व्यय होगा उसकी अपेक्षा लाभ बहुत कम होगा ।

मुसाफिरखाना विकास खण्ड में माध्यमिक विद्यालय की मांग

५४—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार को यह विदित है कि जिला सुल्तानपुर की तहसील तथा विकास खंड मुसाफिरखाना में एक माध्यमिक विद्यालय की अति आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या अगले वर्ष जुलाई से सरकार उसे खोलने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

५५—क्या सरकार को यह विदित है कि जिला सुल्तानपुर के विकास खंड जामों की हरगांव तथा नन्द महर (नदियावां) ग्राम सभाओं में एक माध्यमिक विद्यालय की अति आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अगले वर्ष जुलाई से उन्हें खोलने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

५६—क्या सरकार को विदित है कि जिला सुल्तानपुर के विकास खंड भेटुआ की शाहगढ़ ग्राम सभा में एक माध्यमिक विद्यालय की अति आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या अगले वर्ष जुलाई से उसे खोलने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—शासन इस मांग तथा इसकी आवश्यकता से अवगत नहीं है ।

परिवर्तित परिस्थिति में इस मांग पर सम्प्रति कोई विचार करना संभव नहीं है ।

सीतापुर तहसील में मुअत्तल लेखपाल

५७—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील सीतापुर, जिला सीतापुर के कितने लेखपाल मुअत्तल हैं ? उन्हें कब मुअत्तल किया गया और उनके नाम क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल एक । वह २७-८-६२ से मुअत्तल ह और उसका नाम रामआधार है ।

मौरावां–जवरैला–मोहनलालगंज मार्ग

५८––श्री श्रीराम तिवारी––क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मौरावां-जवरैला-मोहनलालगंज मार्ग को विभाग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ले लिया है ? यदि हां, तो इस सड़क का विभाग द्वारा पुनर्निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल––जी हां, यह मार्ग तृतीय पंच वर्षीय योजना में पुनः निर्माण के लिये सम्मिलित है । इसका आगणन स्वीकार हो चुका है और आशा है कि कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा ।

कालूखेड़ा–असोहा–कांथा मार्ग

५९––श्री श्रीराम तिवारी––क्या सरकार ३० सितम्बर, १९६१ को क्षेत्र विकास समिति, असोहा द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या ८ की ओर ध्यान दे कर और क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुये शीघ्र ही उन्नाव जिला अन्तर्गत कालूखेड़ा से असोहा हो कर कांथा तक के लिये पक्की सड़क को निर्मित कराने की योजना को कार्यान्वित करेगी ?

श्री गिरधारीलाल––ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । धनाभाव के कारण प्रस्तावित मार्ग का निर्माण इस समय संभव नहीं है ।

६०––श्री श्रीराम तिवारी––क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि उन्नाव जिले के असोहा ग्राम में विकास खंड का मुख्यालय और थाना है क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिये लखनऊ-कानपुर जन-मार्ग पर स्थित सोहरामऊ से असोहा को एक पक्की सड़क द्वारा मिला देने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल––धनाभाव के कारण प्रस्तावित मार्ग को तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में निर्माण करना सम्भव नहीं है ।

माल विभाग, इटावा के कर्मचारी

६१––श्री रामसिंह (मैनपुरी)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के कितने माल विभाग में नीचे लिखे पद पर कितने-कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? उनमें से क्रमशः कितने अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के हैं :

(क) नायब तहसीलदार,
(ख) तहसीलदार,
(ग) अमीन,
(घ) लेखपाल,
(ङ) क्लर्क कलेक्टरी,
(च) नाजिर,
(छ) वासिलबाकी नवीस ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ४६९ पर)

जूनियर कन्या पाठशाला, टूंडला के उच्चीकरण की मांग

६२––श्री सुलतानसिंह (जिला आगरा)––क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जूनियर कन्या पाठशाला, टूंडला, जिला आगरा को हाईस्कूल बनाने के लिये टूंडला की जनता तीन साल से मांग कर रही है और कागजात भी तीन साल से चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसको कब तक हाई स्कूल बनावेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। टूंडला की जनता कुछ वर्षों से राजकीय जूनियर हाई स्कूल, टूंडला (आगरा) के उच्चीकरण की मांग कर रही है परन्तु तृतीय पंच वर्षीय योजना-काल में इसका उच्चीकरण सम्भव नहीं है।

हमीरपुर जिले में सड़कें, बेतवा पर पुल

६३--**श्री मदनपालसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने मील लम्बी सड़कें पक्की बन चुकी हैं व कितने मील लम्बी सड़कें अधूरी पड़ी हैं और वह सड़कें कौन-कौन सी हैं ?

श्री गिरधारीलाल--आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी अनुसूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ४७० पर)

६४--**श्री मदनपालसिंह**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने मील लम्बी सड़कें पक्की करने का विचार है और वह सड़कें कौन-कौन सी हैं?

श्री गिरधारीलाल--तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला हमीरपुर में जैतपुर-अजनेर-नौगांव तथा मौधा-जलालापुर सड़कों के निर्माण का प्राविधान किया गया था किन्तु स्थानीय अन्तरिम जिला परिषद् के आग्रह पर इन सड़कों को काट कर बेतवा के पुल का प्राविधान तीसरी योजना में कर दिया गया है। इस प्रकार अब किसी नई सड़क के पक्का करने का कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। इस योजना काल में दूसरी योजना की अधूरी सड़कों को पूरा किया जा रहा है।

६५--**श्री मदनपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर के सदर मुकाम के समीप बेतुवा नदी पर वह पुल बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा तथा कितना समय लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। पुल के आगणन की स्वीकृति के बाद निर्माण-कार्य आरम्भ किया जायगा और इस के निर्माण में लगभग ४ वर्ष लगेंगे।

बलरामपुर में राप्ती पुल

६६--**श्री सुखदेवप्रसाद तथा सरदार बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर में राप्ती नदी पर जिला गोंडा में पुल बन जाने पर अभी तक उसका उद्घाटन नहीं कराया गया है ? कब तक उद्घाटन करा कर पुल पूर्णरूपेण खोल दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--यह पुल ७ अक्तूबर, १९६२ से यातायात के लिये खोल दिया गया है।

६७--**श्री सुखदेवप्रसाद तथा सरदार बलदेवसिंह**--उक्त पुल के बनाने में कुल व्यय कितना हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--उक्त पुल के निर्माण में ३० सितम्बर, १९६२ तक कुल व्यय ८.२३ लाख रुपया हुआ है।

६८--**श्री सुखदेवप्रसाद तथा सरदार बलदेवसिंह**--क्या इस पुल पर सरकार फेरी टैक्स लगाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--इस पुल पर टोल टैक्स लगना ७ अक्तूबर, १९६२ से आरम्भ हो गया है।

ग्राम समाज घरघुवां की सुरक्षित भूमि

*६९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के अन्तर्गत घरघुवां ग्राम में सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त, किस-किस प्रयोजन के लिये, कितनी-कितनी भूमि सुरक्षित की गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—घरघुवां ग्राम में भिन्न-भिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित की गई भूमि का विवरण इस प्रकार है :—

	बीघा	विस्वा	विस्वांसी
१—आबादी के लिये	७	४	१०
२—खलिहान के लिये	६	२	०
३—खाद के गड्ढे के लिये	२	२	०
४—चरागाह के लिए	८	९	०
५—कब्रिस्तान के लिये	१	६	०
६—पाठशाला के लिये	०	५	०
७—खेल के मैदान के लिये	२	१५	०
८—पंचायतघर के लिये	१	०	०
९—खाल बनाने के स्थान	०	२	०
१०—स्कूल फार्म के लिये	०	१६	१५
११—चकरोड व रास्ते के लिये ..	११	१८	२

७०—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज घरघुवां के चेयरमैन ने दिनांक २१ जुलाई, १९६२ को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, घाटमपुर के यहां तथा २१ अगस्त, १९६२ को चकबन्दी अधिकारी, बरीपाल के पास सुरक्षित भूमि की पैमाइश करने के प्रार्थना-पत्र दिये? यदि हां, तो क्या पैमाइश कर के रकबा पूरा कर दिया गया है? यदि पैमाइश नहीं की गई, तो उसके कौन-कौन से कारण हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस विषय में ग्राम समाज घरघुवां के चेयरमैन द्वारा दिनांक २१ जुलाई, १९६२ का कोई प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी, घाटमपुर को नहीं प्राप्त हुआ।

हां, एक प्रार्थना-पत्र इस विषय में २५ जुलाई, १९६२ को बन्दोबस्त अधिकारी को दिया गया था। इसके पूर्व भी इस विषय में एक प्रार्थना-पत्र प्रधान, ग्राम समाज, घरघुवां ने सहायक चकबन्दी अधिकारी को दिया था। इन दोनों प्रार्थना-पत्रों के फलस्वरूप चकबन्दी कर्ता द्वारा ग्राम समाज की सम्पूर्ण भूमि जुलाई, १९६२ में ही प्रधान की उपस्थिति में नाप दी गई थी और इस सुरक्षित भूमि में कोई कमी नहीं पाई गई थी।

चकबन्दी अधिकारी, बरीपाल के कार्यालय में दिनांक २१ अगस्त, १९६२ को कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि नापने हेतु नहीं दिया गया था।

रायबरेली जिले में गंगा पर "पैन्टून ब्रिज" की आवश्यकता

७१—श्री रतीपाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिला परिषद् ने कोई सुझाव डलमऊ से फतेहपुर के बीच गंगा नदी पर पीपों के पुल "पैन्टून ब्रिज" को बनाने का दिया था? यदि हां, तो सरकार कब तक पुल बनवाने का विचार करती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। अन्तरिम जिला परिषद्, रायबरेली ने ऐसा सुझाव दिया था परन्तु धनाभाव के कारण इस पुल का निर्माण इस समय सम्भव नहीं है।

प्रतापगढ़ डिग्री कालेज की इमारत

७२--श्री बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ स्थित प्रतापगढ़ डिग्री कालेज के निर्माण के समय छत की स्लेप गिर जाने से कुछ श्रमिकों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो उनको क्या मुआवजा दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। २२ सितम्बर को दीवाल गिरने से हरी नाम का व्यक्ति घायल हुआ और अस्पताल में मर गया। उसको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

७३---श्री बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह---क्या यह भवन राजकीय अनुदान से बन रहा है ? अस्तु, क्या सरकार यह समझ कर कि उसमें सीमेंट आदि का दुरुपयोग हो रहा है, जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर---कालेज भवन का निर्माण अमानी पर प्रधानाचार्य की देख-रेख में हो रहा है। सीमेंट आदि का दुरुपयोग या उपयोग का विषय प्राविधिक है, अस्तु सरकारी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में सड़कें

७४---श्री श्यामलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में कुल कितनी लम्बी पक्की सड़कें बनायी गयीं किस-किस ब्लाक में और कहां-कहां ?

श्री गिरधारीलाल---वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ४७१ पर)

७५---श्री श्यामलाल---क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुधौली ब्लाक में रुधौली से घोसियारी होती हुई मेंहदावल तक पक्की सड़क बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

ग्राम सभा, जैरामपुर, खनेवा की परती भूमि

७६---श्री शिवेन्द्रप्रताप---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सीतापुर, तहसील सिधौली, परगना सदरपुर, ग्राम सभा, जैरामपुर में प्रधानजी परती जमीन के पट्टे देने जा रहे हैं जब कि परती वहां १० प्रतिशत से बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रधान, ग्राम सभा को अविलम्ब आदेश देने की कृपा करेगी कि उस गांव में कोई अतिरिक्त पट्टे न बनाये जायं ?

७७---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला सीतापुर, तहसील सिधौली, परगना कोडरी ग्राम सभा, खनेवा में प्रधान जी परती जमीन के पट्टे देने जा रहे हैं जब कि परती वहां १० प्रतिशत से बहुत कम है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रधान, ग्राम सभा को अविलम्ब आदेश देने की कृपा करेगी कि उस गांव में कोई अतिरिक्त पट्टे न बनाये जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, प्रधान ग्रामसभा, जैरामपुर तथा खनेवा द्वारा ग्राम समाज में निहित भूमि के पट्टे दिये गये थे। जिलाधीश आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं कि जब तक १० प्रतिशत भूमि सुरक्षित न हो जावे पट्टे पर भूमि न दी जावे।

७८--८०---श्री गंगाधर मैठाणी---[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

स्वामी रामानन्द विद्यालय, फर्रुखाबाद में कृषि शिक्षा

८१--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी रामानन्द विद्यालय, फर्रुखाबाद को इंटर में कृषि की मान्यता मिल चुकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं ।

८२--श्री गंगाप्रसाद---अगर नहीं, तो इस विद्यालय ने बिना मान्यता के क्यों कृषि के क्लास खोल रखे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जांच की जा रही है ।

प्रश्नों के उत्तर के लिये प्रार्थना

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---इसी सिलसिले में मेरे ४७-४८ नंबर के प्रश्न थे उनमें से एक का उत्तर मुझे मिल गया है दूसरे का नहीं मिला है, उसको भी दिला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं बगैर देखे उसको कैसे बता सकता हूं । अगर आप आफिस में आ जायं तो मैं आपसे बातचीत कर लूंगा ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ अप्रैल, १९६२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ अगस्त, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २४ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गयी और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का अठारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० सितम्बर, १९६२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गयी और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ सितम्बर, १९६२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २७ नवम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गयी और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन स्टैंडिग काउन्सिलों द्वारा त्याग-पत्र देने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय कल्याणचन्द मोहिले की एक सूचना स्वीकार की है। माननीय न्याय मंत्री जी उसका उत्तर कब देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अभी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, तो मैं उसे पढ़ देता हूं। वह इस प्रकार है---

"इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टैंडिग काउन्सेल (सरकारी वकील) के चुनाव में अनैतिकता बरतने के कारण इलाहाबाद के हाईकोर्ट में काफी असंतोष फैल गया है जिस कारण से न्यायालय के ३ स्टैंडिग काउन्सेल ने दो माह के अन्दर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है क्रमशः २० अक्तूबर, १९६२, १६ नवम्बर, १९६२ तथा ३ दिसम्बर, १९६२ की तिथियों में और इस समय न्यायालय में स्टैंडिग काउन्सेल का स्थान रिक्त पड़ा है। इससे प्रदेश के न्यायालयों में घोर असंतोष फैल रहा है। स्टैंडिग काउन्सेल का स्थान रिक्त होने से न्यायालय के कार्य में रुकावट हो हो गयी है। इस परिस्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।"

***श्री सैयद अली जहीर**---अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार की इत्तला है कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं हुई है। यह जरूर हुआ कि वहां के स्टैंडिग काउन्सेल श्री कक्कड़ थे। उन्होंने कुछ बातों की बुनियाद पर अपना इस्तीफा १६ नवम्बर को दिया, यह कह कर कि वे ३० नवम्बर से काम नहीं करेंगे। मैंने यह मुनासिब समझा कि उनसे बातचीत करूं और मैंने उनसे बातचीत की। मुझसे वे वादा कर के गये थे कि वे गालिबन इस्तीफा नहीं देंगे, उसे वापस ले लेंगे लेकिन फिर इलाहाबाद पहुंचते-पहुंचते उन्होंने अपनी राय बदली और उन्होंने कहा कि मैं अपने इस्तीफे को वापस नहीं लूंगा और मेरे इस्तीफे को मंजूर किया जाय। चुनांचे ३० नवम्बर को उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी जगह पर जो एडिशनल काउंसेल श्री शम्भूप्रसाद जी थे, उनको चार्ज दे दिया। तीसरे स्टैंडिग काउंसेल हैं श्री शान्ति भूषण जी, तो सरकार ने यह फैसला किया कि चूंकि श्री शम्भू प्रसाद जी का टर्म खत्म होगा ७ फरवरी, सन् १९६३ को और वे ६० साल से ज्यादा हो चुके हैं लिहाजा हाई कोर्ट के हुक्म के मुतादिक श्री शान्ति भूषण जी को चार्ज दिया जाय और उन्होंने चार्ज दे दिया। इसके बाद श्री शम्भू प्रसाद जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन श्री शान्ति भूषण जी उस जगह पर काम कर रहे हैं और वे हमारे स्टैंडिग काउन्सेल हैं। लेकिन उनका आर्डर अभी जारी नहीं हुआ है, दो चार दिन में जारी हो जायगा। ३ दिसम्बर को इस्तीफा देने की बात कही गयी है लेकिन श्री शान्तिभूषण जी स्टैंडिग काउन्सेल के स्थान पर हैं।

इन लोगों की तकर्रुरी के मुताल्लिक उसकी हिस्ट्री बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। सन् १९६१ के अगस्त, सितम्बर में जिस वक्त अष्ठाना साहब हाईकोर्ट के जज हुए, उस वक्त स्टैंडिग काउन्सिल के मुकर्रर करने का सवाल पैदा हुआ। श्री शम्भू प्रसाद कक्कड़ की उम्र ६० वर्ष हो चुकी थी, तो जब हाई कोर्ट से दरियाफ्त किया गया तो वहां से पहला नाम आया पाठक जी का। दूसरा नम्बर श्री कक्कड़ का था और तीसरा नम्बर श्री शान्ति भूषण जी का था। चुनांचे जब पाठक जी को स्टैंडिग काउन्सेल बनाया गया तो उन्होंने उस पद को इन्कार कर दिया। इनके बाद दूसरा नम्बर कक्कड़ जी का था लेकिन यह सोच कर कि श्री कक्कड़ का समय सिर्फ ८ महीने ही बाकी है इसलिये उनके बजाय तीसरे नम्बर जो शान्ति भूषण जी का नाम है उन्हीं को यह पद दिया गया। लेकिन श्री शम्भूप्रसाद कक्कड़ जी ने रिप्रेजेंटेशन किया कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

जब हमारा ८ महीना, ७ फरवरी, १९६३ तक वक्त बाकी है तो उस वक्त तक के लिये हमें क्यों न रखा जाय ? इस पर उनको ८ महीने के लिये कर दिया गया। अब वे अलग हो गये हैं और हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन के मुताबिक श्री शान्ति भूषण जी स्टैंडिंग काउन्सिल की जगह पर काम कर रहे हैं। यह कहना कि वहां किसी किस्म की बेचैनी है या हाईकोर्ट में कोई घबड़ाहट है, सही नहीं है। सब काम ठीक से चल रहा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री शम्भू प्रसाद कक्कड़ ने १६ नवम्बर को इस्तीफा देते हुए स्टैंडिंग काउंसिल के एप्वायंटमेंट के सम्बन्ध में बरती गयी अनियमितता की कोई बात लिखी है ? यदि हां, तो वह बात क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, पत्र में तो बहुत सी बातें लिखी गयी हैं, उन सब को पब्लिक में बतलाना मुश्किल है। मुझसे उनकी जो बातचीत हुई थी वह तो बड़ी सन्तोषजनक रही और उनको कोई शिकायत नहीं रह गयी थी लेकिन यहां से जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शायद वे समझते हैं कि चूंकि पाठक जी हाई कोर्ट के जज हो गये हैं इसलिये हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने से उनको ज्यादा आमदनी होगी बनिस्बत स्टैंडिंग काउंसिल बने रहने के। असल वजह तो यही है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---श्री कक्कड़ ने अपने इस्तीफे में जो मुख्य मुख्य कारण बतलाये हैं उनको माननीय मंत्री जी सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---एक कारण तो मैंने अभी बतला दिया।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---अगर माननीय मंत्री जी उस पत्र की सारी बातों को नहीं बतला सकते तो क्या उस पत्र में इस एप्वायंटमेंट में कोई इर्रेगुलरिटी बरते जाने की बात है, और उसे वे बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, वह तो आपस में वर्किंग की बातचीत थी, तीनों में एक स्टैंन्डिग कौंसिल और २ 'एडीशनल स्टैंडिंग कौंसिल थे। उस पर यह हुआ कि उन्होंने कहा कि यह 'एडीशनल' नाम के साथ न रखा जाय और हमें भी स्टैंन्डिग कौंसिल कहा जाय। इस पर हमने भी मुनासिब समझा कि वह इसरार कर रहे हैं तो हमने श्री कक्कड़ को स्टैंन्डिग कौंसिल इन्चार्ज रखा क्योंकि उन को केसेज का डिस्ट्रिब्यूशन और बैन्क एकाउन्ट वगैरह का काम रहता है और उनके नाम से फिर एडीशनल का लफ्ज ड्राप कर दिया। वह समझते थे कि 'एडीशनल' लगने से कुछ प्रेस्टीज में असर पड़ता है और इस वजह से वह उसको नहीं लगाना चाहते थे लेकिन जब उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको सब बातें समझायीं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और उन को सन्तोष हो गया था लेकिन उनके इसरार पर यह नतीजा निकला जो मैंने अभी बताया।

श्री हरिनाथ तिवारी---वह अप्वाइंटमेन्ट में क्या इर्रेगुलेरिटी थी जो बरती गई।

श्री अध्यक्ष---वह इर्रेगुलेरिटी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर---उन्होंने कहा कि 'एडीशनल' उन के साथी के नाम से निकाला गया लिहाजा उनके खयाल में इर्रेगुलेरिटी हुई।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो खत उनको लिखा गया था उसमें इस बात की भी शिकायत थी कि जब कि पेनल बनता है और उसमें से सीनियर पोस्ट का अप्वाइंटमेन्ट सरकार करती है तो जूनियर का अप्वाइंटमेंट क्यों हो जाता है और सीनियर का रह जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर---शायद माननीय सदस्य लीगल प्रोफेशन से वाकिफ नहीं हैं, इस में सीनियर जूनियर उम्र से और प्रेक्टिस से नहीं होते बल्कि और भी बहुत सी बातें होती हैं जिनकी बिना पर हाईकोर्ट में सीनियर जूनियर बनते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---इस संबंध में यू० पी० सरकार का कोई निश्चित नियम है स्टैंन्डिग कौंसिल और एडीशनल स्टैन्डिग कौंसिल के बारे में या उस की इच्छा पर निर्भर है ?

श्री सैयद अली जहीर---जो लीगल रिमेम्ब्रेन्सर मैनुअल है उसमें स्टैंन्डिग कौंसिल का जिक्र है लेकिन जब जरूरत हुई तो एडीशनल के नाम से भी तकर्ररी की गई, उस में सिर्फ स्टैंन्डिग कौंसिल ही है और उसी की बिना पर हमने सब को स्टैंन्डिग कौंसिल बना दिया ।

श्री कल्पनार्थासिंह (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कक्कड़ साहब के पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि शांति भूषण साहब एक जाति विशेष के ह इसलिये उनका प्रोमोशन किया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मैं समझता हूं श्री कक्कड़ साहब और श्री शांति भूषण साहब एक ही बिरादरी के हैं ।

श्री कल्पनार्थासिंह---सवाल यह नहीं था, वह एक जाति के हैं या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कल्पनार्थासिंह---श्री शांति भूषण साहब जो यहां १-३ दिसम्बर तक आये थे उनके संबंध में कक्कड़ साहब ने लिखा है कि यह मेरा इस्तीफा इसलिये है कि यहां जाति बिरादरी-वाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, उस पत्र की बात मैं जानना चाहता हूं ।

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, यह बात उन्होंने नहीं लिखी ।

२४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न १२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---अब सार्वजनिक निर्माण मंत्री शोधन वक्तव्य देंगे ।

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)---

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २४ अगस्त, १९६२ को श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह ने प्रश्न पूछा था कि "क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मनकापुर-बभनान सड़क, जिला गोंडा में बड़ी ही खराब हालत में है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क के सुधार तथा पक्की कराने की सरकार क्या विचार कर रही है ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मनकापुर-बभनान कच्ची सड़क अन्तरिम जिला परिषद् की है। इसको पक्का बनाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है :

"मनकापुर-बभनान सड़क का मनकापुर से छपिया तक का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है और कच्ची सड़क के रूप में देख-भाल किया जाता है। इस सड़क

[श्री गनेशीलाल चौधरी]

का शेष भाग अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत है। इस सड़क को पक्की बनाने की अभी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---श्रीमन्, हर रोज एक न एक भूल का सुधार किया जाता है जो कभी कभी होना चाहिये क्योंकि गलत उत्तर देने से पूरक प्रश्न करने से सारा सिलसिला बिगड़ जाता है और कोई मर्यादा नहीं रह जाती है। इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आइन्दा सरकार को हिदायत करें रोज ब रोज ऐसा काम न हो। सही उत्तर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---यह तो मेरा ख्याल है, हमारे नियम और संविधान में लिखा है कि उत्तर सही दिये जायेंगे। लेकिन अगर गलती हो जाती है तो रोज रोज का सवाल नहीं है।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्,जब मूलप्रश्न मैंने पूछा था उसके पूरक में एक सवाल उठा था कि इस सड़क पर एक नदी पड़ती है जिस पर यातायात का कोई साधन नहीं है और बरसात के महीनों में सरकार क्या सुविधा देगी? सरकार ने कहा कि चूंकि सरकार की सड़क नहीं है इसलिये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मगर अब सरकार स्वीकार करती है कि मनकापुर से छपिया तक पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क है लिहाजा सरकार बतायेगी कि बरसात के दिनों में वह रास्ता पार करने के लिये क्या सुविधा देगी?

श्री अध्यक्ष---जो हमारे नियम हैं उनके अनुसार कोई प्रश्न शोधन वक्तव्य पर नहीं होते हैं। कायदा यही है। या तो नियमों पर हम पुनः विचार करें, जो मैं स्वंय सोच रहा हूं कि शोधन वक्तव्य जब हो तो उस पर कुछ प्रश्न होने चाहिये। लेकिन वर्तमान स्थिति में यही हो सकता है। जो पूरक प्रश्न के बारे में आप पूछना चाहें वह फ़्रैश क्वेश्चन द्वारा कर सकते हैं। इस समय नियमानुसार कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह---गलत जवाब देने से....

श्री अध्यक्ष---बहस की कोई बात नहीं। नियम परिवर्तित कर दीजिये तो हो जायगा। और मैं स्वयं इस पर सोच रहा हूं।

७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न २२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---अब माननीय सिंचाई मंत्री अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

विद्युत् उपमंत्री श्री (शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक ७ अगस्त, १९६२ को श्री लखीसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२ के संबंध में श्री लखीसिंह ने अनुपरक प्रश्न पूछा था कि मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन सी १९ माइनरें जिला मथुरा के छाता क्षेत्र में रामगंगा योजना के अन्तर्गत बनाने का प्रस्ताव है।

उस समय सदन में निम्नलिखित उत्तर दिया गया था : अगराला रजबहा एक्सटेंशन, अगराला रजबहा, गढ़ी माइनर, जटवारी माइनर, बुखरारी रजबहा, हसनपुर, रजबहा, अगराला माइनर, नन्दगांव रजबहा, दहगवां माइनर, कमई माइनर, नन्दगांव रजबहा; कोसी रजबहा, शहजादपुर माइनर, बुखरारी रजबहा, सेही माइनर, बसई माइनर, सहार रजबहा, शेरग रजबहा, हलवाना माइनर।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है : जावली माइनर, दलौता माइनर, एक्सटेंशन गढ़ी माइनर, जटवारी माइनर, बुखरारी रजबहा, साहपुर माइनर, एक्सटेंशन, अगराला माइनर, कामर माइनर, लालपुर माइनर, डहरौली माइनर, नवीपुर माइनर, जाव माइनर, एक्सटेंशन, शहजादपुर माइनर, धनौता माइनर, वसई माइनर, मई माइनर, सिहाना माइनर, बिसम्बरा माइनर, महराना माइनर।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ४७२ पर)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---मैं शोधन वक्तव्य के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। आज भी दो दिये गये और कल भी दो शोधन वक्तव्य दिये गये। नियमों में संशोधन करने का सवाल अलग है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे नियम या सारे अधिकार हम लोगों की जबान बन्द करने के लिये ही हैं? जरा उधर भी कनेठी दीजिये तो फिर मंत्रीगण भी अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कनेठी देंगे।

श्री अध्यक्ष---इतनी बात करने के बजाय आप बैठ जांय और एक संशोधन दे दें कि नियमों में इस तरह से संशोधन कर दिया जाय तो ज्यादा आसान होगा। मैं स्वयं कह रहा हूं कि यह एक पोजीशन है।

श्री मैनेजरसिंह---मैं चाहता हूं कि आप जरा उधर फटकार लगायें, सही उत्तर देने का उनका कर्तव्य है। सरकार सही उत्तर दिलवाने के लिये फिर अपने अधिकारियों पर दबाव डालेगी और अधिकारी भी गलत उत्तर फिर नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष---सही उत्तर देना उनका कर्तव्य है और जब शोधन आता है तो वह अपने शोधन वक्तव्य से ही इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि उनसे गलती हुई और सदन को फिर अधिकार है कि वह समझ ले कि गलत काम हो रहा है। उसका परिशोध किस प्रकार से हो? यही हो सकता है कि हम नियमों में कुछ परिवर्तन कर लें।

शनिवार, ८ दिसम्बर, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के संबंध में संकल्प

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु कुछ आवश्यक विधायी कार्यों पर शीघ्र विचार एवं उनके पारण के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि इसकी बैठक शनिवार, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ को भी निर्धारित समय पर हो।" श्रीमन्, आपके सामने सभी दल के नेता जमा हुये थे और सबने इसके लिये स्वीकृति दी थी। इसीलिये इसे मैं रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है, परन्तु कुछ आवश्यक विधायी कार्यों पर शीघ्र विचार एवं उनके पारण के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि इसकी बैठक शनिवार, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ को भी निर्धारित समय पर हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ (क्रमागत)†

*सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---अध्यक्ष महोदय, कल आपके कमरे में सदन के सभी नेताओं की एक बैठक हुई थी और यह निश्चय किया गया था कि उत्तर-प्रदेश माल-गुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ पर तीन दिन का समय नियत किया जाय और प्रत्येक वक्ता के लिये भी लगभग आध घंटा समय नियत कर दिया जाय। अगर आप आज्ञा दें तो मैं प्रस्ताव सदन के सामने रख दूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेरा निवेदन है कि समय नियत न किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---श्रीमन्, यह जानते हैं कि आने वाले सोमवार को संसद में शांति प्रस्ताव पर बहस होने वाली है....

श्री अध्यक्ष---यह दूसरा प्रश्न हो गया। पहले यह हो जाय और जब आइटम नम्बर ११ में करलूं, तब आप कहियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---जैसा कि सूचना मंत्रीजी ने कहा, अगर २० मिनट का समय आप देंगे तो मुश्किल हो जायगी क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं.....

श्री अध्यक्ष---मैं यह चाहता था कि नेतागण २० से ३० मिनट तक लें और अन्य सदस्य १० से १५ मिनट तक। (यह ठीक है की आवाजें)

अब मद नम्बर ११।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---इस पर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष---यह तो उसी प्रकार का है जो माननीय कमलासिंह कह रहे थे।

"क्या यह उचित है कि जब लोक सभा सोमवार को शांति एवं सुरक्षा का प्रश्न विचार करने जा रही है तब तक के लिये उक्त विधेयक स्थगित किया जाय जो पूर्णतया शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है ?"

शांति और सुरक्षा से क्या मतलब है, मैं समझा नहीं ?

श्री कल्पनार्थसिंह---प्रश्न यह है कि यह लैन्ड सरचार्ज का बिल राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगर इसके उद्देश्य और कारणों को आप देखें तो यह बात स्पष्ट है। आपात स्थिति के लिये लोक सभा और केन्द्रीय सरकार पूर्णतया जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सरकार सोमवार को सदन में बहस करने जा रही है। न केवल सुरक्षा बल्कि शांति स्थापित करने के लिये भी लोक सभा में बहस होने जा रही है। तो मेरा कहना यह है कि जब सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित शांति, दोनों ही बहस में आ रहे हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा अगर पूरे देश में शांति का वातावरण उत्पन्न कर दिया जाता है तो फिर लैंड सरचार्ज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। तो क्या सोमवार तक के लिये यह प्रश्न स्थगित किया जा सकता है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---यह जो प्रस्ताव है मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*४ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

†६ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष---मैं एक निवेदन कर दूं। अगर माननीय कल्पनार्थसिंह जी या आदरणीय सदन के किसी सदस्य का यह विचार हो कि हमारी जो भूमि चीन ने आक्रमण कर के हथिया ली है उसको हम सहन कर के चुपचाप बैठ जायेंगे, तो ऐसा न तो सदन में किसी व्यक्ति का विचार है और मैं आशा करता हूं कि लोक सभा में भी किसी का नहीं है। आज के समाचार-पत्रों से भी मैंने यही अन्दाज लगाया है कि हमारे नेतागणों का भी ऐसा विचार नहीं है कि हम उस भूमि को छोड़ देंगे जो आक्रमण द्वारा चीनियों ने हस्तगत कर ली है। और अगर ऐसा करना है तो हम उसका विरोध करेंगे और उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब यह बिल चलेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह---मुझे यह स्वीकार नहीं है कि कोई भूमि.....

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनार्थसिंह---मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जो आपने यह कहा कि अगर माननीय कल्पनार्थसिंह का ऐसा खयाल है कि उस भूमि को छोड़ दिया जाय तो मेरा क्या खयाल है यह मैं सदन में कहना चाहता .....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। डिफेन्स का मामला सेन्टर का है और मेरे खयाल से इस बिल का उद्देश्य यह है कि हम को इस देश की सुरक्षा के लिये रुपये की जरूरत है लेकिन इसका ताल्लुक सेन्टर से है। आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप डिफेंस के नाम पर इस चीज को यहां लायें।

श्री अध्यक्ष---हो गया, मैंने सुन लिया। मैं इसको ओवर रूल कर रहा हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आपने जो कहा कि माननीय कल्पनार्थसिंह का यह खयाल है तो मेरा और मेरी पार्टी का यह कहना है कि....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं, मैं बोल रहा हूं। इस समय जो प्रश्न उठाया है, उसके लिये मेरा निश्चित मत है कि असामयिक है। न सदन का यह मत है और न लोक सभा का यह मत है। इसलिये इस समय समय नष्ट नहीं करना चाहिये। इस विधेयक पर विचार होगा। यह मेरी रूलिंग है।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कल जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तो उन्होंने कहा था कि इसको लाने की इसलिये जरूरत पड़ी कि जो नेशनल डिफेंस फंड में रुपया आता है वह तो सेन्ट्रल फंड में चला जाता है और हमें बहुत से सुरक्षा के कार्य करने हैं। उनको करने के लिये हमें रुपये की जरूरत है। इसलिये यह लाया गया है।

श्री अध्यक्ष---आपका प्रपोजीशन क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव---वह यह है कि जब राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं कि इसलिये इसे ला रहे हैं कि डिफेंस के लिये जितना रुपया इकट्ठा करते हैं वह सेन्ट्रल फंड में चला जाता है तो मंत्री जी को क्या अधिकार है कि यह रुपया डिफेंस फंड में नहीं भेजा जायगा ?

श्री अध्यक्ष---हो गया। मैंने सुन लिया। यदि वहां पर प्रश्न स्वीकार हो जायगा और वे कहेंगे कि हम हार गये तब हम विचार करेंगे। इस समय हमारा निश्चित मत यह है कि हम लड़ने के लिये साधन एकत्रित करें।

[× × × ×]

[× × ×] माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

श्री उग्रसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से प्रस्तुत विधेयक में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

'उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२ को ६ माह तक जनमत संग्रह हेतु घुमाया जाय ।'

यह सही है कि विधेयक कल सरकार ने अपनी हठधर्मी पर तुल कर पेश किया ।

श्री अध्यक्ष---उग्रसेन जी, एक निवेदन कर दूं। वैसे आपने शुरू कर दिया है, मुझे अधिकार नहीं है।

मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों से बहुत ही नम्रता से निवेदन करूंगा कि जितने भी माननीय सदस्यों से मुझ से बातचीत हुई और जितने माननीय नेतागण से बातचीत हुई सभी इस मत के हैं कि चीन द्वारा जो आक्रमण हुआ है उसमें हम सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। कोई भी विरोधी दल के नेता ने ऐसी भावना नहीं प्रकट की कि देश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिये बलिदान में जरा भी उनको आड़ हो या हिचक हो। तो फिर अगर हम लोग सब अपने देश की सुरक्षा के लिये सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं और तैयार हैं तो इस विधेयक पर हमें जरूर इस तरह से बहस करना चाहिये। मैं कोई आदेश नहीं देता, रूलिंग नहीं है, लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, हमारी बहस इस प्रकार की होनी चाहिये कि हम जहां यह कहते हैं कि हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिये तैयार हैं तो इस विधेयक का भी हम स्वागत कर सकते हैं। किन्तु हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो कार्य मितव्ययिता के हो सकते हैं, या धन को एकत्र करने के हो सकते हैं यह हमारे सारे साधनों को नियोजित करने में सहायक हो सकते हैं, उनका भी आश्रय लिया जाय। इस दृष्टि से अगर बहस हो तो मेरा ख्याल है कि हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारी भावनाओं की अभिव्यंजना होगी और जो लोकमत बाहर निर्माण हो रहा है, उस पर भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरा निवेदन है। फिर जैसा आप चाहें कर सकते हैं। कोई पाबन्दी नहीं है। रूलिंग नहीं है। मेरा निवेदन है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह प्रस्ताव पेश हो गया उसके बाद आपका यह भाषण करना, क्या यह कनवेसिंग नहीं है?

श्री अध्यक्ष---मेरा निवेदन है।

श्री उग्रसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी फरमाया और कल माननीय राजस्व मंत्री ने जो इस आदरणीय सदन में फरमाया था दोनों में कहां तक साम्य है यह मैं नहीं समझ पाता हूं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि आज हमारे देश पर संकट है और खासकर उत्तर प्रदेश जो सीमा प्रदेश है जिसकी ढाई सौ मील और नैपाल को मान लिया जाय तो पांच सौ मील सीमा उत्तर की चीन से लगी हुई है, हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। इस संकट को हम कैसे समझते हैं, हम सोशलिस्ट इस संकट के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं मैं आपके द्वारा और इस आदरणीय सदन के द्वारा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। हमारी राष्ट्रीय समिति की बैठक अभी गत २५ अक्तूबर को पटना में हुई और वहां बड़ा महत्वपूर्ण हिमालय बचाओ, देश बचाओ प्रस्ताव हमने पास किया.। उस प्रस्ताव की दो सतरें, एक वाक्य में पढ़ देना चाहता हूं---'समिति सरकार को चेतावनी दे देना चाहती है कि वह इस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाने के अपने रवैये से बाज आये और युद्ध के उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा करे कि अब की बार सरकार तब तक युद्ध नहीं बन्द करेगी और हथियार नहीं डालेगी जब तक वह भारत की सम्पूर्ण जमीन अपने कब्जे में नहीं कर लेती और तिब्बत को भी मुक्त नहीं करा लेती।' इसके बाद हमारी समिति ने यह प्रस्ताव किया कि इसके लिये हम सुझाव देते हैं कि सरकार को २५ और २६ वर्ष के अन्दर के नवजवानों की एक जन-सेना, जनता की सेना तैयार करनी चाहिये क्योंकि श्रीमन्, हमारा ख्याल है और दुनिया के लोगों का ख्याल है राजनीति में कि मुल्क की आजादी की लड़ाई बैरक में रहने वाली सेनाओं से नहीं लड़ी जा सकती है।

इसमें कोई दो रायें नहीं है। उसके लिये पीपुल्स मिलीशिया, जनता की सेना, जनता की फौज तैयार करनी होगी और जनता की फौज से हम दुश्मन का मुकाबला बहुत ठीक तरह से कर सकते हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं उनके सामने मैं कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। अभी श्रीमन्, इसी सदन में एक बड़ा ऐतिहासिक समय गुजर गया और मेरा उससे खास ताल्लुक है श्रीमन्। आपके ही आदेश से मैं यहां से एक महीने के लिये निलम्बित किया गया।

(इस समय १२ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से मैं पुलिस के कंधों पर टांगकर सदन के बाहर फेंका गया। उस समय मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन में जोतकर विधेयक, १९६२ आया हुआ था। मेरे अलावा और भी साथी यहां से फेंके गये। मैं तो एक दिन पहले ही निकाल दिया गया था। इस सदन में जोतकर विधेयक आया और कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने ८ एकड़ तक की छट की बात उसमें की। हम लोगों के संघर्षों के फलस्वरूप आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संघर्षों के फलस्वरूप सरकार को मजबूर होकर के संकटकालीन स्थिति को देखते हुए विधेयक को वापस लेना पड़ा और प्रदेश के करोड़ों भुखमरों की ठठरियों को जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उनको इससे नजात मिली। उसके बाद अभी पंद्रह दिन भी नहीं हुये थे, हमारे घाव भी ठीक नहीं हुए थे अब क्या बताऊं, माननीय माल मंत्री जी जा रहे हैं, हमारी बात वह सुनना भी नहीं चाहते हैं, मैं कल इनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, पंद्रह दिन के बाद ही ऐसा हुआ कि हमारी सरकार एक दूसरा मालगुजारी आपातिक कर भार विधेयक सदन के सामने लायी। मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सिनेमा पर जब टैक्स बढ़ाना हुआ तो दस प्रतिशत आपने बढ़ाया। सिनेमा कौन देखने जाता है? जिसके घर में खाने पीने भर को होता है वह ता है या जो बहुत बड़ा शौक करने वाला ऐय्याश दिमाग का आदमी होता है वह जाता है। तो उस पर आप दस प्रतिशत बढ़ायेंगे और यात्रा करने वाले पर कितना बढ़ायेंगे? यात्रा कौन करेगा? हर तरह के लोग यात्रा करते हैं। गांव का गरीब आदमी तो स्टेशन भी नहीं देखे होता। लखनऊ देखना तो बहुत बड़ी बात है, अपने पास के टाउन और छोटे-छोटे नगरों तक को भी वह नहीं देख पाता। तो अगर यात्री कर लगेगा तो वह ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत लगेगा। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि इस मालगुजारी विधेयक में २५ प्रतिशत सरचार्ज क्यों किया गया? मेरा तो यह निश्चित चार्ज है कि सरकार ने हमारे यहां किसी भी वर्ग को इतने प्रतिशत चार्ज नहीं किया है। सरकार ने इतना लम्बा तो किसी को नहीं मारा, न तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को मारा और....

एक सदस्य--एक व्यवस्था का प्रश्न है, वहां पर क्या पंचायत हो रही है?

श्री अधिष्ठाता--यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन सदन में जरा शान्ति रहनी चाहिये।

श्री उग्रसेन--तो मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी को राजमार्ग से चलना चाहिये वे संकरी गली में क्यों चले गये? इसका जवाब वह स्वयं दें क्योंकि उस पुराने विधेयक को उन्होंने बट्टेखाते में फेंक दिया। श्रीमन्, लड़ाई की बड़ी बात की जाती है कि हमारे यहां संकट है। इस बात के साथ मैं एक अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। यह लड़ाई केवल बोमडीला, वालोंग और चुसूल में ही नहीं लड़ी जायगी। आज लड़ाई यहां लड़ी जायगी। यहां पर लड़ाई के लिये हमको चाहिये मनोबल। यहां हमको राकेट नहीं चाहिये। हमको राडर नहीं चाहिये और न हमको मिग चाहिये। हमको यहां पर लड़ाई के लिये मनोबल की जरूरत है।

मैं माननीय हुकुमसिंह जी से पूछना चाहता हूं जो अपने नाम के साथ सिंह और विसेन दोनों लिखते हैं कि इन डंडेवाले किसानों के पास क्या है? जो किसान भुखमरी के शिकार हैं और जिनके

[श्री उग्रसेन]

आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं उनकी हालत क्या है ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनका एक-एक बरतन छिन जायगा और जब उनके हाथों में हथकड़ी पड़ जायगी तब उनका मनोबल कहां जायगा ? क्या उनका मनोबल उस समय नहीं टूटेगा ? क्या उस मनोबल के बिना आप इस लड़ाई को भली प्रकार से लड़ सकते हैं ? सोशलिस्ट पार्टी का एक डेपुटेशन तेजपुर गया था और जब वह लौट कर आया तो उसने हमको एक रिपोर्ट दी। उसके विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार ने वहां कोई ऐसा इन्तजाम नहीं किया था कि जिससे वहां लोगों के मनोबल को ठीक रखे। एक बहुत बड़ी और ऊंची चीज है। आप जरा किसानों के आंकड़ों को देखने की कृपा करें कि उनकी क्या दशा है। २१.५ प्रतिशत ऐसे हमारे यहां किसान हैंजो आधे एकड़ से कम जोतते हैं। १६.३ प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो एक एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। १८ प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो १।। एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। ११.६ प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो २।। एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। अगर इस कुल को जोड़जाय तो ६७.४ फीसदी किसान ऐसे हैं जो २।। एकड़ की श्रेणी में आते हैं, कम जमीन जोतते हैं। वे खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आते हैं।

माननीय चरण सिंह जी की जमींदारी अबालीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि ६। एकड़ तक की खेती अलाभकर जोत है। एक अग्रेरियन कमेटी १९३६ में बनी थी जिसमें स्वर्गीय पंत जी और टंडन जी मौजूद थे। उन्होंने एक फारमूला निकाला था कि किस हद तक लगान को लगाया जाय। उस फारमूले के अनुसार यह हुआ कि 'किसान जो बचत करे' खाना पीना करने के बाद जो उसके पास बचे, उस बचत में से सरकार को लेने का अधिकार है। वह अग्रेरियन कमेटी के अनुसार है जो हमारे नेताओं ने बैठक में तय किया था कि किसान जो बचत करे उसमें सरकार को लेने का अधिकार है और उतना लगान ही सरकार ले सकती है। इस सरकार को क्या अधिकार है कि जो किसान अलाभकर जोत रखते हैं उनसे वह लगान लेने की बात करे। सरकार कहती है कि हम संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिये यह ले रहे हैं। आप लीजिये हम कब आपको मना करते हैं। आप संकटकालीन स्थिति के लिये जरूर लें लेकिन आपके पास बहुत सी चीजें हैं और बहुत से साधन हैं। सरकार पर मेरा यह चार्ज है कि सरकार संकरी गली में जाना चाहती है, जहां जाकर जनता के मनोबल को वह तोड़ेगी।

हम जानते हैं कि कम्युनिज्म के संबंध में माओ की थ्योरी क्या है। उसने कहा था कि कम्युनिज्म बंदूक की नोक से फैलता है लेकिन इससे तो नीचे की तरफ कम्युनिज्म फैलता है लेकिन ऊपर में कम्युनिज्म फैलाने के लिये साइकलोजिकल एप्रोच चाहिये। मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिये कि बंदूक की नोक से कम्युनिज्म जरूर फैलता है लेकिन मनोविज्ञान की मार कम्युनिज्म के लिये बहुत ऊंची बात होती है क्योंकि लेनिन ने भी कहा था कि "There can be no revolution without any revolutionary theory" दुनिया में कम्युनिज्म नहीं हो सकती है अगर उसके पीछे क्रांति की विचारधारा न हो। जो आप यह कदम उठा रहे हैं इससे मनोबल टूटेगा और फिर साम्यवादी क्रांति की विचार धारा को जन्म मिलेगा, जब मनोबल टूटेगा तो आप कम्युनिज्म का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ७५ फीसदी किसान आज भुखमरी से परेशान है। हमारे यहां १,१५ ३३,८०० किसान हैं जो १,८८,४०, ४७९ एकड़ जमीन जोतते हैं जो कि सरकार के आंकड़े के अनुसार अलाभकर है। वह ऐसी जमीन नहीं है जिसमें बचत हो।

मेरा यह कहना कि १ करोड़ ६० लाख जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में प्रदेश से मिला उसमें १ करोड़ २५ लाख तो किसान का, देहात का है। हमारे जिले में एक गांव की मालगुजारी ३८० रुपया होती थी, उसका २५ फीसदी सरकार लेती, लेकिन उस गांव ने ४०० रुपया चन्दा ही दे दिया। तो आप जानते हैं कि साम्राज्यशाही हुकूमतें जो होती हैं उनका डंडा उसी पर पड़ता है जो उसे बरदाश्त करता है। वह गांव में जाते हैं, ड्रामा करते हैं और कहते हैं मुल्क पर संकट है।

यहां जो आपने ५० आदमियों की फौज बना रखी है उसका क्या औचित्य है दुनियाँ में ? कोई औचित्य नहीं है। अंग्रेजी राज में दो या तीन एडवाइजर यहां काम करते थे । आज माननीय राममूर्ति जी बंगले से कार में चढ़ कर यहां आते हैं। माननीय हुकुमसिंह जी कार में चढ़ कर यहां आते हैं। जब कि बंगले यहीं विधान भवन के पास में ही हैं। उस समय अंग्रेज होम सेक्रेटरी साइकिल पर चलता था। जब कोई मोटर वाला उन से उस समय कहता था कि कार पर आ जाइये तो वह कहता था कि नहीं भाई, यह वार इमरजेंसी है। हम तो साइकिल पर ही जायंगे। देखिये जरा इन काले अंग्रेजों की बात। यह कहते हैं कि अगर इनमें कमी की गयी तो कांप्लीकेशन बढ़ जायंगे। मैं मंत्रियों से सादर निवेदन करता हूं कि कृपा कर अपनी जगह खाली करो। अगर मुख्य मंत्री जी निकालेंगे तो ऊपर से नीचे तक बड़ा संकट पैदा हो जायगा। संजीव रेड्डी साहब कहते हैं कि जगह खाली करो, लेकिन आप देखें कि उनका खर्च पहले क्या था और अब क्या है। पहले १९३६-३७ में प्रशासन पर खर्च था ७.३५ करोड़, १९४७-४८ में हुआ १२ करोड़ और अब १९६२-६३ में हो गया है २८.४५ करोड़। क्यों नहीं आप प्रशासन का खर्च कम करते ? एक मंत्री हैं, एक उपमंत्री हैं, एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं। कमरा लिया गया है पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन का (व्यवधान) मैं बतला रहा हूं। आप जरा शांति रखिये। एक एक मंत्री के पास चार-चार कमरे हैं। तो मैं सुझाव देता हूं, यदि आप उन पर गौर करें तो काफी बचत हो सकती है।

दूसरी बात, लगान की दर देखिये। हिन्दुस्तान के अन्य प्रांतों में ढाई रुपया प्रति एकड़ लगान है जब कि हमारे यहां साढ़े चार रुपया प्रति एकड़ है। किसी अन्य प्रांत में इतनी ऊंची लगान की दर नहीं है। आप इस तरह लगान में भी मारते हैं किसान को।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—डबल आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है।

श्री अधिष्ठाता—नहीं, कुछ नहीं है। (श्री उग्रसेन से) आप भाषण जारी रखें।

श्री उग्रसेन—तो मैं कहता हूं कि लगान का अधिक भार भी किसानों पर ही है। यहां के किसान के कर्ज के आंकड़े आप जानते ही हैं। यहां का किसान सब से ज्यादा मकरूज है। इतना मकरूज महाराष्ट्र और बंगाल का किसान नहीं है, पंजाब का तो बिलकुल नहीं है। यहां के किसान की आमदनी भी घटी है। आपकी योजना के फलस्वरूप वह १९३ हो गयी और १९ प्वाइंट घट गयी। यह योजना है आपकी ४९७ करोड़ की, इसे मैं पढ़ दूं कि क्या है, तो पता चल जायगा। यह उनकी विफलता है। १५ साल तक शासन कर के आप क्या करते रहे ? दिल्ली में रह कर भाड़ झोंकते रहे ? जब तिब्बत पर चीन ने हमला किया तो क्या आपको इसका अहसास नहीं था ? जब सदन में प्रस्ताव रखा गया कि बाराहोती का मामला गंभीर है तो उस समय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड विकास कार्यक्रम है मेरे पास १९६२-६३ का, और मेरा चार्ज है कि इसमें जो पहले पैसा रखा गया था वह पूरा पूरा खर्च नहीं हुआ। सब बाकी रह गया है।

श्रीमन्, उन योजनाओं के बारे में मैं २-३ लाइनें पढ़ देना चाहता हूं कि उनकी कितनी विफलतायें हैं। "दस वर्ष से इस क्षेत्र में केवल २६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सड़कों के विकास में भी कमी हुई है, चिकित्सा और बिजली में भी कमी हुई है। उत्तर प्रदेश में ९ हजार ३ सौ व्यक्तियों पर एक डाक्टर हैं। डाक्टरों की बड़ी कमी है।"

मैं तो यह कहूंगा कि डाक्टरों की कमी की पूरी जिम्मेदारी इस सरकार पर है। मैं एक और बात कहूंगा कि पूरा मोबलाइजेशन होना चाहिये, जैसा कि मैंने सदन में कई बार कहा है। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वह मेरी बात समझ गये होंगे। आज जो देश की स्थिति है उसको देखते हुये आपको हर २५-२६ वर्ष के नौजवान को फौज में भरती करना चाहिये और यदि उस उम्र का आपका भी लड़का हो तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिये। यह होगा

[श्री उग्रसेन]

वह आदर्श जिसकी मांग इस समय देश को है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मेरा सुझाव कोई नहीं मानेगा। मैंने कई बार यहां सदन में कहा कि आप फिजूलखर्ची बन्द कीजिये और धन का अपव्यय रोकिये। मैं यह नहीं कहता कि सभी मंत्री नेफा के मोर्चे पर चले जायं पर यह इतनी बड़ी फौज जो करीब ५० की है वह तो समय की मांग को देखते हुए अवश्य कम होनी चाहिये। एक बात और बताऊं। एक अफसर ने मुझ से कहा कि कहो भाई, कहां रहे, बहुत दिन बाद दिखाई पड़े? क्या नेफा के मोर्चे पर चले गये थे? भाई, वाह यह भी खूब रही। बड़े मियां बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह।

अब मैं आपको आडिट रिपोर्ट जो कि १९६२ की है ट्यूब वेल के बारे में बताऊंगा। उसमें लिखा है कि १६.३४ करोड़ रुपया दूसरी योजना में ट्यूब वेल पर खर्च किया गया और उसमें खराब कितना हो गया-करीब ९ फीसदी जो कैपिटल आउटले पर था वह सब बरबाद हो गया। आप यह देखें कि यह धन कहां जा रहा है? मैं तो यही कहूंगा कि यह धन सब इनके घरों में जा रहा है। आज मैं बहुत मजबूर होकर यह बातें कह रहा हूं। देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थिति है परन्तु आप उससे सजग नहीं है। इसी संबंध में मैं एक श्लोक आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि प्राचीन समय में ही निर्धारित हो गई थी। वह इस प्रकार है:-

"सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा सभज्जसम्
अब्रुवन बिब्रवन वापि, नरो भवति किल्वषि"।

विधान निर्णय की सभा में पहले तो आना ही नहीं चाहिये। प्रवेश करने पर न्यायपूर्ण ही बोलना चाहिये, लेकिन जो लोग सभा में जाकर अन्याय हो जाने पर भी बोलते ही नहीं या असत्य का पक्ष लेते हैं, वे सबसे बड़े पापी हैं। तो यह आज की नहीं, पहले की चीज है, जब जनतंत्र का विकास हुआ था उस समय यह चीज लिखी गई थी।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आप इकानामी कमेटी के सुझावों पर बिलकुल गौर नहीं कर रहे हैं। इसी संबंध में माननीय नवलकिशोर जी ने कहा था कि २ से लेकर ३ करोड़ रुपये की बचत हो सकती है और कई अनावश्यक विभाग रखे हैं। परन्तु वह सब बातें कहां गईं? मैं यह नहीं कहता कि फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिये, पर उसके नाम पर जो व्यर्थ में खर्च हो रहा है वह बन्द होना चाहिये। यह जगह-जगह जो इंडस्ट्री आफिसर और इंडस्ट्री लोन की व्यवस्था की गई है तो उसकी वास्तव में भी आवश्यकता है या नहीं, इस पर आपको गौर करना चाहिये। आप देखें कि जो १९५६ में ५ फीसदी सूद पर, लोगों को कर्जा दिया गया, वह कितने लोगों ने रिटर्न किया। जो कर्जा सुरेंद्रसिंह मजीठिया पर बाकी है उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि करीब ८६ लाख रुपया सिंहानियां के ऊपर बकाया था वह नहीं लौटाया गया और डालमियां के ऊपर जो कर्जा था वह भी यों ही पड़ा हुआ है। आपका अब तक ७ करोड़ रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है वह आपने नहीं वसूल किया है। जो साढ़े २२ करोड़ के लगभग आपको मालगुजारी है वह और उसमें २५ फीसदी यह सरकार लेती है। इस तरह से करीब साढ़े ५ करोड़ रुपया यह लेंगे अगर यह पास हो जाये और इसका विरोध न हो। अब आप देखें कि ७ करोड़ रुपया कानपुर के कैपिटलिस्ट्स पर बकाया है। २ करोड़ ७५ लाख रुपया और सेल टैक्स वगैरह का बकाया है। १ फरवरी, १९५९ को ३५३ करोड़ ८० लाख रुपया केन सेस का शुगर मिल मालिकों पर बकाया था। केन्द्रीय सरकार ने २५ नया पैसा केन सेस का अधिकार दिया और आप ६ पैसा रिबेट दे रहे हैं। यह क्यों दे रहे हैं? इसमें रिबेट देने की क्या बात है? यह आपको आज जो सोना मिला है यह पदमपत सिंघानिया या आपके बड़े-बड़े पूंजीपतियों से

नहीं मिला है। यह मिला है छोटे-छोटे गरीबों से, जिन्होंने अपना लोटा थाली तक दे दिया है। आज जो कुछ उनपर बकाया है अगर उसको ही आप ले लें तो इससे ज्यादा रुपया आपको प्राप्त हो सकता है। लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल का बराबर फैसला होता था और १ करोड़ ६७ लाख रुपया मजदूरों के बोनस का बकाया था। सरकार ने क्या किया? अब वेज बोर्ड के आधार पर ३७ लाख दिया। एक लाख ३० हजार अपने रिश्तेदारों को दे दिया। अगर माननीया सुचेता जी ने जवाब दिया है, लेबर एपीलेट ट्रिब्युनल के आधार पर बोनस दिया जाता तो एक करोड़ ६७ लाख आप दिलाते। इस पर भी काशीनाथ पांडे जी ने, जो मजदूरों के नेता हैं यह कह दिया कि इस ३७ लाख में से भी चौथाई हिस्सा डिफेन्स बान्ड्स में लगा दो। इनके पास एक ही तरीका है कह देते हैं, हमारे शैड्यूल में ही नहीं है कि हम इन पर टैक्स लगायें। आप तरह तरह के और टैक्स लगाते हैं उसकी बात आप करते हैं, फैक्टरियों पर आप नहीं लगा सकते? ५० लाख रुपया मजदूरों का कमाया हुआ वेतन का नहीं मिला, वह मिल मालिकों पर बकाया है। मजदूर यूनियनों ने प्रस्ताव पास किया है कि वह रुपया उनसे वसूल करके सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दे दे।

श्रीमन्, इस तरह से ८–९ करोड़ रुपये के मैंने सुझाव दे दिये। मगर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, त्यों त्यों इस सरकार के टैक्स बढ़ते चले जाते हैं। यह संकटकालीन सेशन बुलाते हैं, संकट की बातें करते हैं, मगर इनके मंत्री आज भी जगह-जगह दौरा करते हैं। इनके मंत्री जाते हैं किराया कौन देता है? वह बुडढा देता है? हम जाते हैं तो किराया हम अपने पास से देते हैं, यह जाते हैं तो कौन देता है? क्या यह दावा कर सकते हैं कि इनको राष्ट्रीय संकट का आभास है? हमें अहसास है, हम नैपाल की सीमा पर हैं। खुदा न करे नैपाल बादशाह के दिमाग कुछ हो जाय तो हम उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। हम तो कहते हैं कि चीनियों को तिब्बत से बाहर खदेड़ दो। लेकिन जब आप तारीख ८ सितम्बर की बात करने लगे तो आप १५ अगस्त, सन् ४७ की सीमा पर क्यों नहीं आते। वहां चीनी चले जायेंगे तब समझौता होगा। महाराष्ट्र विधान सभा ने इसके लिये प्रस्ताव पास कर दिया। मैं पूछता हूं आपने क्या किया? आपने कौन-सा कदम उठाया?

गोरखपुर के कांग्रेसी साथी ने मुझे बताया कि ४ दिन उन्हें पुलिस कप्तान के पास दौड़ते हुये हो गये लेकिन परेड सिखाने के लिये कोई आदमी नहीं मिलता है। लोग अपने आप परेड सीख रहे हैं। आपका पुलिस कप्तान इस तरह से सो रहा है। क्या यही आजकल की स्थिति के प्रति उनकी जागरुकता है? उनमें चेतना नहीं है। मगर जिन लोगों में चेतना है, जिनकी ठठरी भी पिस चुकी है, जिनके घर में कुछ नहीं है उनके लिये आप ने कहा था ८ एकड़ छोड़ देंगे। किस आधार पर आप उनसे मांगते हैं? चौबे गये छब्बे होने, रह गये दुब्बे ही। पहला जोतकर विधेयक आपने वापस ले लिया लेकिन उसके बाद यह सरचार्ज आपने लगा दिया भगवान का नाम लेकर। दुनिया में बहुत से काम कुछ नामों को लेकर किये जाते हैं। पहले तो भगवान का नाम लेकर किया जाता है दूसरे डैमोक्रेसी का नाम लेकर किया जाता है, तीसरे कमेटियों का नाम लेकर किये जाते हैं और चौथे राष्ट्रीय संकट का नाम लेकर किये जाते हैं।

आप सिविल डिफेंस की बात कहते हैं। अंग्रेजों ने भी सिविल डिफेंस का कार्यक्रम बनाया था। उनको तो लोगों से खतरा था आपको किससे खतरा है? देश की जनता उसके खिलाफ बगावत कर रही थी। फिर भी उसने कागज पर सारी योजना को बना कर रखा था कहीं उसको छपवाया नहीं था गुप्त रखा था और हर जगह के लिये पूरी तैयारी हो गयी थी। इस तरह से आप तैयारी कीजिये। पैसा उगाहने के लिये विरोधी दलों के नेताओं को बुला लिया। इसके लिये उनसे नहीं पूछते हैं। यह जो कहा जाता है कि नेतागणों ने यह कहा, वह कहा, यह तो बहुत छोटी बात है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस मौके पर इस विधेयक को वापस ले लें। आप ५ करोड़ की बातें करते हैं। बहुत सा रुपया तो उनसे वसूल हो चुका है और भी रुपया वे ने वाले हैं। पूंजीपतियों से तो आप लेते नहीं हैं। फतेहपुर में मिटटी

[श्री उग्रसेन]

का तेल एक रुपया बोतल बिका, मैं पूछता हूं उनको पकड़ कर क्यों नहीं जेल में बंद किया जाता है। इसलिये मंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वे इसको वापस ले लें। झूंसी शान में वे न पड़ें। जब जवान सेना से आता है तो दिल्ली हवाई जहाज से जाता है। आप दारुल-शफा को अस्पताल बना दीजिये और केन्द्रीय सरकार को लिख दीजियें कि उनको यहां रखा जाय और जब असेम्बली हो तो हमारे लिये टेंट लगवा दीजिये। राष्ट्रीय संकट के समय हम सब कुछ करने को तैयार हैं, अपना खर्चा, भोजन सब कम करने को तैयार हैं मगर आप, ८८ बरस पहले जो अंग्रेज ने लगान लगाया था उसको १५ बरस में ही दूना करने जा रहे हैं। श्रीमन्, किसान का बेटा ही लड़ेगा और वही चीन से लड़ रहा है और मर रहा है। लेकिन किसान के ऊपर जो यह भार आप डाल रहे हैं, इसे वापस लीजिये। इन शब्दों के साथ, मैं चाहता हूं कि यह गांव-गांव में जाय, गांव सभाओं में इस पर बहस हो, गली-गली में इसपर बहस हो। जहां तक हमारे ऊपर थोथी तोहमत लगा कर जो बदनाम करने की कोशिश की जाती है, आपके द्वारा मैं सारे प्रदेश की जनता को बतला देना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी मुल्क की आजादी के लिये और चीनियों को तिब्बत के पास खदेड़ने के लिये किसी किस्म की भी कुर्बानी करने के लिये तैयार है और रहेगी।

*श्री कमलासिंह यादव---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६२, को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो ८ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। (समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में की जायगी)

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि देश के सामने जो संकट उपस्थित है उसकी वजह से यह किया गया है। लेकिन जब हम अपना ध्यान कांस्टीट्यूशन की तरफ देते हैं तो उससे यह मालूम होता है कि इस तरीके से डिफेंस के नाम पर, जो रुपया इकट्ठा होगा उसका, एक पैसा भी हम किसी रूप में नहीं खर्च कर सकेंगे, क्योंकि कास्टीटयूशन के सप्तम अनुसूची के सूची १--संघ सूची की लिस्ट १,२ और ३ को अगर आप देखें तो लिस्ट१ में यह साफ दिया हुआ है कि "भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं जो युद्ध काल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सफलता पूर्वक सैन्य नियोजन में सहायक हों।"

नं० २ में दिया हुआ है--"नौ, स्थल और विमान बल, संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल।"

नं० ३ में दिया हुआ है---"कटक-क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है)।"

तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां तक स्टेट का संबंध है डिफेंस के नाम पर जितना भी रुपया इकट्ठा किया जायगा उसको खर्च करने से वह वंजित है। उसका एक-एक पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजना होगा और वही उसे खर्च कर सकेगी। चूंकि डिफेंस के आदमियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है इसलिये वही उन पर खर्चा कर सकेगी।

दूसरी चीज यह है कि अभी सोमवार को पार्लियामेंट में संधि के संबंध में बहस होने वाली है। यह भी हो सकता है कि युद्ध स्थगित हो जाय या आगे जो भी पोजीशन हो लेकिन वहां विचार होने के बाद ही यह विधेयक यहां लाया जाता तो हम समझ सकते कि इसके लिये कितना रुपया इकट्ठा करने की जरूरत है या योजनान्तर्गत किस तरीके से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिये हम लोगों की इच्छा थी कि इसको सोमवार तक के लिये आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थगित रखें लेकिन फिर भी अगर आप इसे वापस नहीं करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग इस पर विचार करने के लिये उद्यत हैं। लेकिन साथ ही, यह भी देखने की जरूरत है कि सरकार जहां तक हो सके मितव्ययिता की ओर ध्यान दे और फिर भी अगर रुपये की कमी मालूम हो तो हम किसानों पर टैक्स लगावें। जो हमारा बजट है उसमें हम कहां तक, किस तरह से बचत कर सकते हैं उसकी कुछ मुख्य-मुख्य बातें मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो सके कि बजट में किस किस्म की कटौती करके सरकार ५–६ करोड़ रुपये की बचत कर सकती है। उसके बारे में जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सवाल है, २८.४५ करोड़ का खर्च है। अगर टी० ए० और स्टेशनरी आदि के खर्च को ही कम करें तो २ प्रतिशत कमी करने पर ही करीब ५६ लाख की बचत हो सकती है। दूसरे विकास के कामों में, शिक्षा पर, मेडिकल पर, फेमिली प्लानिंग के काम हैं, इसमें फेमिली प्लानिंग की तो इस समय कोई खास जरूरत नहीं है। या जो शिक्षा के संबंध में इमारतें बनना हैं उनको भी फिलहाल स्थगित करदें तो काफी रुपया बच सकता है। कुल रकम इस में ७४.०३ करोड़ की है, इसमें से दो तीन करोड़ तो आसानी से बचाया जा सकता है। इलाहाबाद में जो आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल की इमारत बनने वाली है वह भी रोक दी जाय तो खर्च में बचत हो सकती है। इसी तरह से गैरजरूरी निर्माण कार्यों को रोकने से काफी बचत हो सकती है। जहां तक पी० डब्लू० डी० का सवाल है अगर छोटे मरम्मत और सालाना व्हाइट-वाश ही खत्म कर दिया जाय एक-दो साल के लिये, तो काफी बचत हो सकती है। जो जरूरी पुल हैं या बहुत जरूरी इमारतें हैं केवल वही बनाई जायं और बाकी सब रोक दी जायं तो भी तीन चार करोड़ रुपया बच सकता है। इस मद में ८.५६ करोड़ रुपया है इसमें से अगर ५० प्रतिशत नहीं तो २५ प्रतिशत तो बचाया ही जा सकता है।

दूसरे यह कि जहां तक कैपिटल वर्क्स का सवाल है उसके लिये पिछले साल ३०.७१ करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन इस साल ४०.४१ करोड़ रुपया रखा गया है। तो यह करीब १० करोड़ रुपया जो अधिक हो गया है उसको आसानी से रोका जा सकता है, हस ३० करोड़ की रकम से ही इन कामों को पूरा कर सकते हैं और काफी बचत कर सकते हैं।

दूसरे गवर्नर महोदय के बंगले में भी एयरकंडीशन्ड रूम्स की जरूरत है उनको भी इस वक्त न बनाकर अगर स्थगित कर दें तो काफी बचत हो सकती है। इस तरह से बहुत सी और चीजें हैं जिनसे रुपया बचाया जा सकता है। जहां तक हमारी मिनिस्ट्री का प्रश्न है उसकी बचत के संबंध में माननीय उग्रसेन जी ने काफी कह दिया है। इस संबंध में मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं कि आज स्वेडेन के प्रधानमंत्री केवल सरकारी काम से ही मोटर का इस्तेमाल करते हैं और अपने निजी कामों के लिये वह रिक्शे पर जाते हैं और उनके बाल बच्चे भी रिक्शे का प्रयोग करते हैं। अगर इन मानों में यहां की मिनिस्ट्री भी बचत की ओर ध्यान दे तो काफी बचत की जा सकती है। सिर्फ भीतर से ही पैसा बचाने से खर्च कम न होगा बल्कि जिस तरह से भी किफायतशारी हो सके, हमें एक-एक पैसे को खर्च करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह किसान की गाढ़ी कमाई का पैसा है, अगर हम यह सोचें तो काफी उद्धार हो सकता है और बचत भी काफी हो सकती है।

इसके बाद मैं किसानों की तरफ आता हूं, आज यह मालगुजारी पर और उनके लगान पर कर लगने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं और सरकार हमें बता दे कि आज किसी भी वर्ग पर बिना किसी छूट के इस तरह का कर अभी तक लगाया गया हो और किसी भी रोजगार को टैक्स किया गया हो। रोजगार में भी ३,६०० रुपये की आय से ऊपर टैक्स लगता है लेकिन क्या वजह है कि किसानों का ही एक ऐसा रोजगार ठहराया गया है जिस पर बिना किसी छूट के कर लगाया जा रहा है। आज किसान की हालत क्या है? बराबर यह सरकार और केन्द्र की सरकार कहती है कि कृषि की हालत भी गिर रही है और बराबर सदन में मंत्रीगण यहां कहते हैं कि किसान गन्ना ज्यादा उपजा रहा है और उससे उसकी आय ज्यादा है। लेकिन मैं

[श्री कमलासिंह यादव]

बता रहा हूं, महाराष्ट्र से गन्ने का मुकाबला कर लीजिये। वहां १,५०० मन गन्ना फी एकड़ पैदा किया जाता है जब कि आपके यहां ३१० मन।

अभी आपने देखा आपके जो इंजीनियर बार्डर पर भेजे गये थे उन्होंने क्या किया, कितना विश्वासघात किया? मिलिटरी के आदमियों को कहना पड़ा इंजीनियर को बुलाओ, और वह नहीं गये, कहा थोड़ी देर में जायेंगे। लेकिन जब मिलिटरी वाला आदमी उसके घर पहुंचा तो पाया वह ताश खेल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं हमें डिफेंस के लिये काम करना है लेकिन हो क्या रहा है। इसकी आड़ में जो शिकार कर रहे हैं उसका आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। एक-एक पैसा जो आप गलत तरीके पर खर्च कर रहे हैं, जो नेग्लीजेंस आप दिखा रहे हैं उसका आपको जवाब देना होगा।

अभी एक भूमि और भवन कर विधेयक पास हुआ उसमें उद्यानीकरण के लिये एक एकड़ की छूट दी गई। लेकिन इस विधेयक में भूमि जो सेहन के रूप में है, खलिहान के रूप में है उस पर देय मालगुजारी क्या होगी, वह लगा कर टैक्स लगेगा। मैं समझता हूं सरकार को शर्म आनी चाहिये कि वह किस तरह से टैक्स लगा रही है। उद्यानीकरण, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन के लिये जो दिया गया अगर ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स ने या गांव सभाओं ने इनको किया तो आप कैसे वसूल कर सकेंगे? अगर गांव सभाओं ने खेती-बाड़ी की तो आप कैसे टैक्स लेंगे? इस विधेयक में एक भी ऐसा क्लाज नहीं है जिससे मालूम हो सके सरकारी इंस्टीट्यूशन्स, गांव समाज या शिक्षा संस्थायें हों और अगर वह इस काम को करें तो क्या होगा?

एक तरफ तो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं फौज में भर्ती हो, लेकिन इस बिल में दिक्कत यह है जब आदमी मर जाता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे विधेयक को देख कर ताज्जुब होता है। सरकार को चाहिये था कि जिसके घर के लोग मिलिटरी में होंगे हम उनको हर तरह की छूट देंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा, हम जमीन देंगे और कोशिश करेंगे उनके घर वालों को हर तरह की इमदाद दें ताकि निश्चिन्त हो कर फौज में अच्छा काम कर सकें। होगा क्या, जब वह मर जायगा तो उसके उत्तराधिकारियों को टैक्स देना पड़ेगा। जिन्दा है तब तक कुछ नहीं कर रहे हैं, हिन्दुओं में भी यही है, जिन्दा रहते हम उनके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस बिल में दो भावनायें निहित हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जो इस बिल का विरोध करेंगे उनको यह माना जायेगा कि वह देश की सुरक्षा नहीं चाहते। दूसरी तरफ हमारे ऐसे व्यक्ति यह समझते हैं कि इस तरह के बिल को पास कर के सही मानी यह होंगे कि अपने प्रदेश की गरीब जनता का श्राप लेना होगा।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने कहा था कि जिस काम को तुम करना चाहते हो और दूसरे से कराना चाहते हो, पहले उसको तुम करो, तभी तुम्हारी बातों का असर और प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा जिससे कराना चाहते हो। हमारे दो माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में बतलाया १५, २० दिन अथवा १ महीने पहले कि इस प्रकार का एक बिल इस सदन में पेश किया गया था जिसके द्वारा ८ एकड़ तक जोतने वालों को छूट दी गई थी और उससे आमदनी अपने प्रदेश में १ करोड़ से ज्यादा होने वाली थी। माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा क्या उस वक्त चीन का आक्रमण अपने देश पर नहीं था? क्या उस वक्त की परिस्थिति से आज प्रदेश में क्या रद्दोबदल हुआ है? अगर यह बात सही है कि प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों में और प्रदेश की जनता में उस बिल को ले कर विषाक्त वातावरण पैदा हो रहा था, उस वातावरण को समाप्त करने के लिये ही वह बिल स्थगित किया गया था तो फिर कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार का बिल दुबारा प्रस्तुत किया जाय। जहां तक मुझे जानकारी है..

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---आपको जानकारी बहुत है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---मुझे आशा है कि हरगोविन्दसिंह जी की बात का उत्तर देने के लिये मुझे पूरा समय दे दिया जायगा। अंग्रेज भी जब लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश से भी जबरदस्ती जंग का खर्चा वसूल किया गया था और आज भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि, अगर कोई मंत्री गांव में,छप्परों में घूमा होगा तो मेरा अन्दाज यह है कि उनका भी यही खयाल होगा जो मेरा है। मेरी जानकारी तो यह है कि जिसके पास १ बिस्वा भी खेत नहीं है उसने भी उदारतापूर्वक रुपया दिया उस को जो भी उसके दरवाजे मांगने गया लेकिन जिसके पास पैसा है उसने ऐसा नहीं किया है। यह कानून भी ऐसे ही लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल करने के लिये लाया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर यह २५ फीसदी टैक्स किस पर पड़ेगा ? १९५४ में शिकमी किसानों को सीरदार अधिवासी बनाया गया था उनसे मालगुजारी सर्किल रेट से दूनी वसूल की जा रही है। आज फिर मालगुजारी बढ़ाने की बात है। यह भी उन्हीं से वसूल की जायगी। जो बड़े जमींदार लोग थे या जिन जमींदारों के पास सीर या खुदकाश्त थी उनकी मालगुजारी आज भी वही है जो अंग्रेजों के जमाने में वे सरकार को अदा करते थे। आपके जरिये मैं राजस्व मंत्री जी से या हरगोविन्दसिंह जी को बतला दूं कि अबकी जो मालगुजारी बढ़ाई जा रही है इस बिल के जरिये वह किन को बढ़ाई जा रही है। जिनकी मालगुजारी सर्किल रेट से दूनी है उनकी बढ़ाई जा रही है या जो मुट्ठी भर, ३०–४० हजार की तादाद में ऐसे आदमी हैं जो ४ आने, ८ आने और १ रुपया बीघा मालगुजारी देते हैं उनकी बढ़ायी जा रही है। इस बिल के जरिये गरीब आदमी की मालगुजारी ज्यादा बढ़ाई जा रही है और बड़े आदमी की मालगुजारी कम बढ़ाई जा रही है और फिर आप कहते हैं कि हमें लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। सहयोग सरकार लेना नहीं चाहती है और सही माने में सरकार जनता के दिल को पहचानती नहीं है। श्रीमन्, आप शायद कमेटी में आये हों या झारखंडे-राय जी आये हों, मैंने अखबार में पढ़ा कि विरोधी दलों ने सरकार से यह मांग की है कि जो ४५ की मंत्रिपरिषद् की फौज है उसको कम किया जाय। हमको यह जानकारी हुई कि एक वरिष्ठ मंत्री ने यह कहा कि यदि मंत्रियों की फौज कम हुई तो आपस में बड़ा झगड़ा शुरू हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता---अब आप अपना भाषण २ बजे जारी रखियेगा।

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर मिलेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती-लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इसका भार अधिकतर छोटे किसानों पर पड़ेगा और इस समय प्रदेश के गांवों में जो सुरक्षा कोष की वसूली हो रही है उसका भी भार उन्हीं पर पड़ रहा है। सदन के बंद होने के बाद हम लोग गांवों में दरवाजे दरवाजे घूमे हैं और हम लोगों ने देखा है कि जो लक्ष्य बी०डी०ओ० आदि ने निर्धारित किया था उससे आगे केवल ८-१० दिन के अन्दर ही बढ़ गया और उन लोगों ने चन्दा दिया जिनके पास घर नहीं, द्वार नहीं, जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है और ऐसे अपाहिज तथा अंधे लोगों ने दिया जिनकी ६०,७० साल की थी और लोगों ने स्वेच्छा से, जी खोलकर कोष में रुपया दिया। अब मेरे सामने सवाल यह है कि पहले ६० हजार वारंट ईश्यू किये जाते थे मालगुजारी वसूल करने के लिये। अगर इनकी मालगुजारी और बढ़ा दी जायगी तो नतीजा यह होगा कि करीब एक लाख आदमियों के वारंट निकाल कर मालगुजारी वसूल होगी। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के ऊपर, जो अपनी स्वेच्छा से मालगुजारी दे रहा है उससे वसूली अगर वारंट से की जाय, तो मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ेगा ? मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं कि यह पुनीत कार्य के लिये किया जा रहा है। लेकिन इसका असर यह पड़ेगा कि उसकी भावना में कमी आयगी और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के करोड़ों आदमियों की भावनाओं में कमी होगी, असंतोष

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

बढ़ेगा तो जो पंचमांगी लोग हैं, जो राष्ट्र द्रोही हैं उनके गोद में लोग चले जायेंगे । इतिहास बताता है कि जब देश में ज्यादा लोगों में असंतोष हो जाता है सरकार के कामों से तो लोग राष्ट्र-द्रोहियों की गोद में चले जाते हैं और दुश्मनों की बात बन जाती है । इसलिये अगर सरकार चाहती है कि अपने प्रदेश में असंतोष न फैले और जो जनता की भावना सुरक्षा के प्रति जागरूक है वह और बढ़े तो अनिवार्य है कि जनता की इच्छा के विपरीत यह काम न हो ।

श्रीमन्, अभी बताया गया कि १ करोड़ और ६० लाख रुपया वसूल हुआ । मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों के लिये सरकार कोटा निर्धारित कर दे कि असेम्बली के मेम्बर अपने क्षेत्र में घूम-घूम कर जनता से सुरक्षा कोष के लिये धन वसूल करें और बोर्ड मंत्री डायरी रोजाना चैक करें या पार्टी के नेता चैक करें कि किस मेम्बर ने कितना रुपया वसूल किया है। मेरा ख्याल यह है कि इससे सिर्फ जो ५ करोड़ की आमदनी होने वाली है उससे कहीं ज्यादा १०/१५ करोड़ रुपया केवल ६ महीने में ये हस्तियां वसूल कर सकती हैं । यहां पर अपने ऊपर अविश्वास की बात हो सकती है, जनता के प्रति अविश्वास हो सकता है लेकिन लाठी के बल पर और गोली के बल पर और कानून के सहारे सुरक्षा का कार्य अच्छा नहीं हो सकेगा । मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं । शायद राजस्व मंत्री जी को मालूम न हो कि जिलों की जो हालत है और किसानों की जो दशा है, सुरक्षा के सम्बन्ध में, मेरे ख्याल से वसूल करने का जो तरीका है, वह बहुत खराब है । श्रीमन्, मैं अपने जिले की बात करता हूं, शायद दूसरे जिले में कोई और व्यवस्था हो, लेकिन आजमगढ़ जिले में यह व्यवस्था है कि जो गजटेड आफिसर हैं उन्हीं के पास सुरक्षा कोष वसूल करने के लिये रसीद बही है । अपने प्रदेश में दूसरी बात है और प्रदेशों में केवल राष्ट्रीय सुरक्षा कोष सेंटर से जो बहियां आयी हुई हैं, उन्हीं से वसूल होता है । अपने प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का अलग फंड है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अलग है । इन्हीं दोनों के बीच में राजनीतिक कार्यकर्ता और अधिकारी फंस जाते हैं । नतीजा यह है कि जितनी तेजी से चन्दे की वसूली होनी चाहिये वह नहीं हो रही है । ब्लाक के बी०डी०ओ०, तहसीलदार, हाकिम परगना के पास रसीद बही है लेकिन एम०एल०ए० और एम०पी० के पास रसीद बही नहीं है । और हो यह रहा है कि लेखपाल बिना रसीद बही के पैसा मांग रहा है ।

मैं एक गांव में गया—गांव है टमठा । मालूम हुआ कि हमारे जाने के एक दिन पहले लेखपाल ४५ रुपये मांग कर ले गया । हमने मांगा तो १०५ रुपये गांव ने दिया । तहसीलदार की अदालत में जाइये, तो वही किसान जो गांव में चन्दा देता है, वहां भी पैसा देता है । परगनाधीश की अदालत में १०७ का मुकदमा है, उसमें समझौता करना चाहते हैं, तो पैसा दीजिये, बंदूक का लाइसेंस बदलवाना है तो पैसा दीजिये । भट्ठे वाला जाता है, तो पैसे दीजिये । हर जगह किसान पैसा देता चला जा रहा है । उसके बावजूद सरकार कानून के जरिये, मालगुजारी बढ़ा कर वसूल करना चाहती है । इसका बहुत खराब असर पड़ेगा कुछ लोग समझते होंगे कि यह लोग खराब हो गये हैं । खराब आदमी नहीं हैं । आपका दिल दिमाग अंधा हो गया है । जब आदमी अंधा हो जाता है, मतवाला हो जाता है, तो सुझाव देना पड़ता है । आप इस नीयत से काम कीजिये कि प्रदेश का हर किसान आपकी मदद करना चाहता है । लेकिन उसकी स्वेच्छा पर छोड़िये । वारंट से अगर वसूल करेंगे तो आपके खिलाफ होगा और पंचमांगियों के गोद में चला गया जिसको रोकना आपके बूते के बाहर की बात होगी । नेफा में क्या है ? पंचमांगी, आपके देश में, गांव-गांव में हैं । जब किसान असंतुष्ट होगा, उनकी गोद में चला जायगा । मध्यप्रदेश में बिल आया, वापस ले लिया गया । काश्मीर में, आसाम में, लड़ाई हो रही है, वहां की सरकार को इस बात की हिम्मत नहीं हुई है ।

एक निवेदन और करना है । मंत्रियों की फौज कम कीजिये । ऐसे मंत्रियों की क्या जरूरत है जो प्रभावहीन हैं । ऐसे लोगों को हटाइये । केवल सात मंत्रियों को रखिये और प्रभावशाली आदमियों को रखिये, जो काम करने वाले हों । पंजाब के मुख्य मंत्री तादाद कम करने जा रहा है किन्तु यहां क्या हो रहा है ? केवल अपना ग्रुप ठीक रखने के लिये देश के नाम पर पैसा ले रहे

हैं। मंत्री लोग इस लड़ाई के जमाने में भी दौरे का भत्ता लेते हैं या नहीं लेते हैं? मुझे जानकारी है कि लेते हैं। पंडित बृजबिहारी जी बैठे हुये हैं। इनका घर काठतरांव गांव में है। वहां से रामपुर गांव एक मील की दूरी पर होगा। एक दिन का प्रोग्राम वहां था, फतेहपुर में एक दिन का प्रोग्राम था और दुबारी में एक दिन का प्रोग्राम था। तहसीलदार पीछे-पीछे, कानूनगो पीछे-पीछे, लेखपाल पीछे-पीछे, एक अफसर ने मुझ से कहा कि क्या करें, अगर पीछे-पीछे प्रोग्राम में न घूमें तो हमारी फजीहत हो जायगी। ये लोग श्रीमन्, सुरक्षा कोष के लिये नहीं बल्कि पार्टीबन्दी करने के लिये दौरा करते हैं। अफसर साथ हैं, जीपें हैं सरकार की, सरकारी जीपों का इस्तेमाल करते हैं। हम भी दौरा करते हैं श्रीमन्, और दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा कि माननीय वृजबिहारी जी बता दें कि अपने क्षेत्र में कितने गांवों में और कितने दरवाजे पर गये हैं जबकि वह जीपों से दौरा करते हैं और मैं पैदल घूमा हूं, साइकिल पर घूमा हूं, दरवाजे-दरवाजे गया हूं। हमारे क्षेत्र में वह जानते हैं हमने वहां यह सारी हवा फैलायी और चन्दा इकट्ठा किया। जब वह चन्दा मांगने अपने क्षेत्र में गये तो उन्हें कितना चन्दा मिला था? मैं इसको बहुत बुरा मानता हूं कि इस समय भी इस प्रकार दौरे किये जायं। यह दौरे कम किये जायं और इस आपत्काल में पैसा लेना, मार्ग-व्यय लेना बन्द किया जाय। इसका जवाब देंगे मंत्री जी कि पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता है। श्रीमन्, ज्यादा खर्च होने की बात नहीं है, मनोवैज्ञानिक असर जनता के दिमाग पर पड़ने की बात है। मंत्री उसी तादाद में हैं और जनता से हम कहते हैं कि ज्यादा काम करो, किसान से कहते हैं कि ज्यादा गल्ला पैदा करो, मजदूर से कहते हैं कि ज्यादा परिश्रम करो, तो इसका क्या असर पड़ेगा? मंत्रियों की तादाद कम न की जाय और हम जनता से कहें कि वह भूखी रहकर के लड़ाई में चन्दा दे और मंत्री लोग उसका उपयोग करें मार्ग-व्यय में तो यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो कथनी और करनी में अलग-अलग बात करे। हमारा विश्वास है, हम ईमानदारी के साथ देश की वफादारी करते आये हैं और आज भी करते हैं। हमारी पार्टी के नेता ने कहा था पहले आप मंत्रियों की तादाद कम कीजिये, भत्ता कम कीजिये, फिजूलखर्ची कम कीजिये, उद्घाटन समारोह कम कीजिये और मोटर बन्द कीजिये।

इस आपत्काल में नये-नये स्थान बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी संयुक्त शिक्षा संचालक का एक नया स्थान बना है दस दिन हुये। आप देखें ब्लाक के अन्दर बी० डी०ओ० को भत्ता मिलता है, यह सारे भत्ते भी बन्द होने चाहिये। जहां हम साइकिल पर चलते हैं, वहां बी०डी०ओ० को जीप दी गई है। बी०डी०ओ० की जीप का पेट्रोल बन्द कीजिये। इस तरह से प्रदेश में जो करोड़ों की तादाद में पैसा बचाया जा सकता है। उसको बचाकर के तब इस तरह का बिल लाना चाहिये। अगर इस तरह पैसा नहीं बचाया जाता है और किसान के ऊपर जबर्दस्ती अपने बहुमत के बल पर कानून के जरिये, वारंट के जरिये यह चीज लादी जाती है, उससे मालगुजारी वसूल करने की बात की जाती है तो इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और जनता आपके साथ नहीं रहेगी, पंचमांगियों की गोद में चली जायगी। इन पंचमांगियों की गोद में जनता न जाय इसलिये हम आपको नेक सलाह देते हैं कि पहले आप अपने यहां मितव्ययिता कर लीजिये और सब मार्ग देख लिये जायं तब आप यह बढ़ाइये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पंचमांगियों की गोद में जनता को ढकेलेंगे और इस पांच करोड़ से कुछ ज्यादा होता जाता नहीं, यह मुश्किल से तीन चार रोज का खर्चा है। तो यह न लाकर के आप ६ करोड़ किसान जो प्रदेश में बसा हुआ है उसका आशीर्वाद लीजिये और उसके लिये इस बिल को वापस लेना चाहिये।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल का केवल यह मंशा है कि प्रदेश में हम कुछ रुपया इकट्ठा करें और अपने प्रदेश की सुरक्षा में लगायें और वह कुल ५-६ करोड़ रुपया का अन्दाजा है। कहा यह जाता था कि इस सेशन में जबकि हम लोग एक ऐसी स्थिति में फंसे हुये हैं और देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा हो चुकी है वैसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

स्थिति में अब हम एकमत होकर के विचार करेंगे कि कौन सा कदम उठाया जाय जिससे देश की सुरक्षा को मजबूत कर सकें। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और उन जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति और भी ज्यादा दुख होता है कि जिस तरह से उन्होंने बजट सेशन में भाषण शुरू किया था वही सिलसिला उनके दिमाग में घर कर गया है और वह आज तक जारी है। माननीय उग्रसेन जी ने शुरू किया। हम सोचते थे कि वह एक पार्टी के नेता हैं। कुछ ऐसी ऊंची बात करेंगे जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी और देश तथा प्रदेश की सुरक्षा के सम्बन्ध में हम लोगों को कुछ ठोस राय दे सकेंगे, लेकिन उन्होंने अपने को दरअसल ऐसे नीचे स्तर से शुरू किया जिसके लिये हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। ऐसे वक्त में इस तरह की बातें करना जबकि हम परेशानी में पड़े हुये हैं हमारी आजादी खतरे में है और एक ऐसे मुल्क से मुकाबला है जिसमें इंसानियत खत्म हो चुकी है, जो बन्दूक की नोक पर सारे संसार पर हुकूमत करना चाहता है तो अच्छा नहीं मालूम होता।

माननीय उग्रसेन जी ने वही अपनी पुरानी, पिटी-पिटाई तकरीर शुरू कर दी जिससे हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने भी अपना भाषण उन पहले भाषणों की तरह शुरू किया जिससे यहां का वातावरण वैसा नहीं रहा जैसा कि हम आशा करते थे। वही बात लेखपाल के विषय में कही गई। वही बात पटवारी के विषय में कही गई और उसी तरह से गड़बड़ी का जिक्र किया गया। सब चीजों में उनको बुराई दिखाई दी। वे खुद कमल के पात्र हैं और सारी दुनियाँ बिगड़ी हुई उनको लगी। इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हरएक देशभक्त पर इसका असर होना चाहिये। देश भक्त के नाते मेरे ऊपर इसका बहुत प्रभाव है। अगर आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं है तो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव होना चाहिये हमारी बातों को सुनकर। इस समय यह स्थिति है कि आप कुछ दिन पहले वोट लेने की बात करते थे और आज भी इसी कारण यह कहते हैं कि जिससे लोग अखबारों में छाप दें और ५ साल के बाद अपने एलेक्शन मैनिफैस्टो में यह निकाल दें कि हमने जनता के लिये बहुत किया। सरकार तो लगान बढ़ाना चाहती थी लेकिन हमने उसका विरोध किया और उसको बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जब हम खतरे में हैं, हमारी आजादी खतरे में है, और हमारा देश खतरे में है और एक ऐसे बर्बरता पूर्ण देश से हमारा मुकाबला है जिसके अन्दर मनुष्यता नहीं है और जो बंदूक की नोक पर दुनियां में हुकूमत करना चाहता है तो ऐसे समय में इतनी लचर और ढीली नीति को बरतना बड़े दुख की बात है।

अभी हम लोगों के आने के पहले मुख्य मुख्य पार्टियों के नेताओं ने मिलकर यहां सलाह मशविरा किया और हमारे मुख्य मंत्री जी को आश्वासन दिया और दूसरे मंत्रियों को भी आश्वासन दिया कि हम लोग इसको ६,७ दिन के अन्दर समाप्त कर देंगे और यहां से जाकर गांवों का दौरा करेंगे, शहरों का दौरा करेंगे और हम अपने को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन यहां आने पर एक तरह की अजीब भावना पैदा हो गई। विरोधी दल के भाषण से मुझे ऐसा लगा कि उनको एक बजट पर भाषण करने का मौका मिल गया जिससे प्रचार कुछ हो सके। उन्होंने उसी तरह से भाषण किया जिस तरह से पहले कहा था कि किसानों के लिये जेल गये। उन्होंने स्वयं आकर हमारे कुछ नेताओं के मत पर अपना असर डाला और कहा कि यह अच्छा मौका है। लेकिन अब कह रहे हैं कि यह सरकार अब उस रूप में नहीं तो इस रूप में कर इकट्ठा करने जा रही है और जब उस कर का हमने विरोध किया है तो इसका भी हमको विरोध करना चाहिये और अगर यह पास हो जाता है तो हमारा पहले का परिश्रम बेकार हो जायगा। जो लोग अपने को जिम्मेदार समझते हैं, जैसे गेंदासिंह जी, उन्होंने कहा कि हमने वायदा कर लिया है और किसी के सामने वायदा कर के फिर उस से मुकर जाना मुनासिब नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। स्वतंत्र पार्टी के नेता भी कहे कि हमने भी वायदा कर लिया है और स्थिति अब ऐसी नहीं है कि हम जिसमें गड़बड़ घोटाला पैदा करें और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने भी कहा कि हमने वायदा कर लिया है और हम अपने वायदे पर कायम हैं। लेकिन हमारे

विरोधी दल के नेता का असर उग्रसेन जी पर पड़ा और कुछ हमारे पी०एस०पी० के कार्यकर्ताओं पर और साथियों पर पड़ा और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। वह एक नयी राजनीति के खिलाड़ी हैं, लेकिन उसमें भी दो दल बन गये.....

श्री उग्रसेन---वह अपने विषय पर ही बोलें, श्रीमन्, यह क्या बात है। हम पर उसका प्रभाव अच्छा ही पड़ सकता है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---क्यों तकलीफ हो रही है। कलेजा मजबूत कीजिये। (व्यवधान) राम जी की राह में भी ठेला-ठेली। मैं विरोधी दल के नेता को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने कुछ आदमियों को, अपने तरीके से इधर उधर करके, अपने अखाड़े में उतार लिया। लेकिन कुछ मजबूत किस्म के लोग थे और उनके ऊपर असर था देश का, वक्त का और उन्होंने समझा कि यह समय की मांग है कि हमको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिये और वे अपनी जगह पर कायम हैं। उनको हम ही नहीं सारा प्रदेश बधाई देने के लिये तैयार है और देगा। यह जो स्थिति पैदा हो गयी है यह बहुत दुख की बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये थी। इस वक्त हम को रुपये की जरूरत है। जो धन वसूल हो रहा है केन्द्रीय सरकार उस पर अपना पूरा-पूरा नियंत्रण रखती है और वह अपने तरीके पर उसे सुरक्षा के लिये खर्च करती है। हमारा प्रदेश भी चीन से लगभग ६,००० मील तक बार्डर पर मिलता है और उसके लिये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है....

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---६,००० मील की बात आप कह रहे हैं। उसे तो ठीक कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---सुनिये। मैं आप को बोलने नहीं दूंगा। (व्यवधान) ६०० मील के लगभग हमारा बार्डर उन से मिलता है। मामूली सी गलती का इतना नाजायज फायदा उठाने की आदत आपको छोड़ देनी चाहिये। तो इस वक्त ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमको बहुत सोच समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। कई बार यह चर्चा की गयी कि इस बिल से किसानों का मनोबल गिर जायगा। श्रीमन्, यह बात बिलकुल समझ में नहीं आती कि इससे किसानों का मनोबल किस प्रकार गिर जायगा। आप उनको रोज भुक्खड़ कहें, गरीब और कमजोर कहें, आचरणहीन कहें उससे उनका मनोबल गिरेगा अथवा अगर उन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली जाय, उनमें उनका सहयोग लिया जाय उससे उनका मनोबल गिरेगा ? आज किसानों के बच्चे फौजों में लड़ रहे हैं और वे ही चीनियों का मुकाबला कर रहे हैं। तो अगर इसकी कोई जिम्मेदारी किसानों पर न हो और केवल सेठ साहूकारों से रुपया ले कर सुरक्षा में हम खर्च करें तो उससे ही उनका मनोबल कमजोर हो सकता है। सेठों और साहूकारों का जो रुपया है और धनियों के पास जितना धन है वह देश की रक्षा के लिये लिया जायगा और उसमें लगाया जायगा। अगर वह खुशी से नहीं देंगे तो उनसे जबदस्ती लिया जायगा। देश के संकट की स्थिति में होने के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन यह बात तो है ही इसके अलावा आप ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं कि जिससे विषाद फैले। आप क्यों परेशानी पैदा कर रहे हैं। कम से कम इस संकट काल की स्थिति में तो आप कोई भ्रम न पैदा करें।

एक बात और कहूंगा कि जो भाषण माननीय उग्रसेन जी ने दिया वह यदि कहीं पब्लिक मीटिंग में हुआ होता तो वह कानून के शिकंजे में आ गये होते। यह तो कहिये कि वह असेम्बली के अन्दर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---चलिये, मैं जहां आप कहें वहां दे सकता हूं। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया और बड़े मदान्ध हो गये हैं। मैं उनका चैलेंज जो है....(व्यवधान)

श्री बैजनार्थासिंह वैद्य--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस समय जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिये, उसको ऊंचा करने के लिये हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें, जो कि गैरजिम्मेदार हों। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि....

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--यह जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं शर्म नहीं आती है। इस समय कहां लड़ाई हो रही है जो कि यह सब गलत बातें कह रहे हैं।

श्री बैजनार्थासिंह वैद्य--श्रीमन्, जनता के चरित्र को, मनोबल को, ऊंचा करनाहमारा परम कर्त्तव्य है। हम चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों। आज देश की रक्षा की पूरी २ जिम्मेदारी किसानों के ऊपर रख दें तो....

(व्यवधान)

आज देश की रक्षा का प्रश्न है और वह सर्वोपरि है। आजादी बचाने का प्रश्न है इसलिये आपको पार्टी बाजी की बात नहीं करनी चाहिये। वर्ना इससे किसान आप सबसे जवाब तलब करेगा।

(व्यवधान)

आज जनता को भ्रम में डालना बहुत अनुचित होगा और बड़ा अशोभनीय भी। आपको भले ही मेरी बातें अच्छी न लगे परन्तु सत्य तो कटु ही होता है। इसलिये यदि आप पब्लिक की नुमाइन्दगी करते हैं तो उसको आपको ठीक से निभाना चाहिये और जनता को गुमराह नहीं करना चाहिये। यह जो आप बातें करते हैं यह सब गैर जिम्मेदारी की बातें ही कही जायेंगी।

(व्यवधान)

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया, अब आप समाप्त करें।

श्री बैजनार्थासिंह वैद्य--श्रीमन्, मुझे केवल ५ मिनट का समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--आप केवल एक मिनट में ही समाप्त करें।

श्री बैजनार्थासिंह वैद्य--श्रीमन्, मैं शीघ्र ही समाप्त करता हूं। मैं यह कहूंगा कि आज यदि कितनी बुरी बातें भी कितने ही आवरण में क्यों न छिपाकर कहें वह खुल ही जाती हैं और इसी प्रकार से आप अच्छी बातें भी कितना ही क्यों न छिपाकर कहें वह भी उभर ही आती हैं। इसलिये मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि यह वक्त ऐसा नहीं है कि आप भ्रम पैदा करें।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--यह श्रीमन्, हमको गुप्त जी से कहकर नजरबन्द करवा देगें?

श्री बैजनार्थासिंह वैद्य--जब वार डिक्लेअर होगी और देश पर संकट होगा तो उस वक्त हम इस रुपये से अपने गांवों को, अपने शहरों को बचायेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उग्रसेन जी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शान्ति से सुनिये, अपनी बात आप कह सकते हैं, दूसरों के भाषण में इन्टरफियर करना ठीक नहीं है । यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री शारदाभक्तसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के बाद अपने प्रदेश और देश में जो वातावरण उत्पन्न हुआ, एकता और आत्मीयता का, उसको बनाने में विरोधी दलों ने भरसक प्रयत्न किया और जहां तक भारतीय जनसंघ का प्रश्न है आपने और प्रदेश की जनता ने इस बात को देखा कि हम एक आन्दोलन को चला रहे थे और उसी बीच में यह सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया और हमने स्वेच्छा से, दलगत स्वार्थ को छोड़ कर, देश की सुरक्षा का प्रश्न सामने रख कर, तुरन्त अपने आन्दोलन को वापस ले लिया । यही नहीं, हमने देश के सामने यह प्रश्न रखा कि देश की शक्ति और समृद्धि को बढ़ाने के लिये जो भी उपाय सम्भव हों उन्हें करना चाहिये और इस वातावरण में जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वहीं सरकार ने एक ऐसा विधेयक फिर उपस्थित कर दिया कि सारे वातावरण में एक विरोध पैदा हो रहा है । हम देश में सुरक्षा की दृष्टि से साधन उत्पन्न करने के हमेशा हामी हैं, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक साधन उत्पन्न किये जायं, परन्तु आज हमें इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है । जहां हम सहयोग देना चाहते हैं, सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना चाहते हैं, वहां उनकी इस रीति और नीति की आलोचना करना भी हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं ।

आज इस विधेयक को लाकर सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि जो अब तक हमारे देश के काश्तकारों में, साधारण जनता में, सरकार के साथ मिल कर काम करने की, त्याग और बलिदान करने की, अधिक से अधिक धन देने का उत्साह और प्रेरणा थी, उनमें अब अविश्वास पैदा हो गया है । हम आप जानते है कि भारतीय जनसंघ सदैव सुरक्षा के नाम पर अधिक से अधिक साधन जुटाने का कभी विरोधी नहीं रहा है, किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि जिन साधनों से आप यह सारे धन को इकट्ठा करना चाहते हैं वह किस काम के लिये करना चाहते हैं और हम यह चाहते थे कि अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिये जो कार्यवाहियां की जा रही हैं और जनता से जिनके लिये ही धन देने की अपेक्षा की जा रही है वह सारी रूप रेखा हमारे सामने होनी चाहिये । हम यह नहीं कह सकते कि आज हम वह रूपरेखा देश के, प्रदेश के, सामने नहीं रख सकते, हम अपनी पूरक मांग नहीं रख सकते और यह नहीं बता सकते हैं कि यह खर्चा हम किसमें करने जा रहे हैं । जहां तक सुरक्षा संबंधी बातों को गुप्त रखने का सवाल है, हम चाहते हैं कि आप उन्हें गुप्त रखें । लेकिन हमारे प्रदेश के नजदीक युद्ध हुआ और तब भी आज तक कोई रूपरेखा सदन के सामने नहीं रखी गई । मालूम ऐसा होता है कि कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई । सुरक्षा संबंधी हम क्या कार्यवाहियां करना चाहते हैं, कितना खर्चा किस मद पर करना चाहते हैं, इसका एक चित्र हमारे सामने होना चाहिये था और हम यह विश्वास कर सकते कि वाकई एक विस्तृत योजना इस तरह की बन चुकी होगी और उस सम्बन्ध में पैसे की आवश्यकता होगी । इसलिये हमने एक पत्र में अपनी ओर से सरकार को यह बात लिखी कि आप धन चाहते हैं, आप नये कर लगाना चाहते हैं और विशेषकर ऐसे वर्ग पर जिसकी देय शक्ति खत्म हो चुकी है, तो हम जानना चाहते हैं कि आप किस काम के लिये चाहते हैं, क्या रूपरेखा है आपकी, प्रान्त में विश्वास पैदा करने के लिये आप क्या कदम उठाने वाले हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, गुप्त बातों को छोड़ कर उसकी रूप रेखा आप सदन के सामने रखें ।

आज हमारा सीमा-सुरक्षा के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व है परन्तु साथ ही सदन के प्रत्येक सदस्य का यह भी उत्तरदायित्व और इच्छा है और हर प्रकार से प्रेरणा है कि वह जाने कि हमारे प्रान्त में कौन-कौन से ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिनसे हमारे भावी संकट का सामना हो सकेगा । जब हमने यह मांग सरकार से की, हमने यह आश्वासन सरकार को दिया कि अगर आप पूरा चित्र हमारे सामने रखते हैं, हमको विश्वास दिलाते हैं, प्रान्त की सारी जनता को विश्वास दिलाते हैं, तो हम आपको अपना भरसक सहयोग देंगे । लेकिन सरकार की ओर से वह रूपरेखा नहीं आ रही है । यह परम्परा है और नियम है कि अगर आप हमसे

[श्री शारदाभक्तसिंह]

धन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि विरोधी दल खुले दिल से आपके सारे विधेयकों का और कर लगाने की नीति का हर प्रकार से समर्थन करें, उनमें पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करे, तो आवश्यक है कि आप हमको अपनी रूपरेखा दें, हमें यह विश्वास दिलायें कि जो कदम आपके द्वारा उठाये जा रहे हैं, वे पर्याप्त हैं, वे जनता के हित में हैं और जो रुपया आप लेंगे वह सुरक्षा की दृष्टि से ही खर्च होगा, और कामों में खर्च नहीं होगा। लेकिन उधर से कोई ऐसी रूपरेखा नहीं आई। कोई ऐसी पूरक मांग नहीं रखी गई जिससे हम यह कह सकें कि इन ४ महीनों में, इस वित्तीय वर्ष में, इस प्रकार पैसा खर्च होगा। कहा गया है कि सरकार ने खर्च करना प्रारम्भ कर दिया है अगर ऐसा है तो आप किस योजना के अनुसार खर्च कर रहे हैं और उसे मोटे तौर से सदन के सामने रखने में क्या आपत्ति है ?

दूसरी बात हमने यह भी कही है कि अगर जनता आपको कर स्वेच्छा से और अपनी प्रेरणा से दे, तो यह आवश्यक है कि आप जनता के बीच में इस बात का वातावरण पैदा करें कि हम मितव्ययिता से एक-एक पैसा बचाकर, सारे गलत खर्चे कम करके, देश की सुरक्षा में लगाना चाहते हैं। अभी कहा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत है। करीब ५० मंत्री और उपमंत्री इत्यादि हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूं क्योंकि २, ४ या ६ आदमियों को कम करने से सुरक्षा के लिये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं मिल जायगा। लेकिन आज देश के सामने प्रथम समस्या यह है कि जनता में मनोबल बढ़ना चाहिये, भावना बढ़नी चाहिये, बलिदान और त्याग करने की लोगों की प्रेरणा होनी चाहिये। यह वातावरण आप उत्पन्न नहीं कर सके। आप देश में वह काल पैदा नहीं कर सके जिससे लोगों में स्वयं बलिदान करने की प्रेरणा पैदा हो, जब तक कि आप स्वयं उस पर न चलना चाहें। जिस समय युद्ध कालीन स्थिति आई, देश पर और प्रदेश पर संकट आया, मंत्रिमंडल के लोग स्वयं यह भाव उत्पन्न करते कि अगर मुख्य मंत्री किसी वजह से समझें कि गुट के कारण कुछ मंत्रियों को अलग नहीं कर सकते, तो स्वयं मंत्रियों की ओर से यह प्रस्ताव होना चाहिये था कि हम त्यागपत्र देने के लिये तैयार हैं, देश के सामने हम उदाहरण रखने के लिये तैयार हैं, हम अपने भत्ते नहीं लेंगे, खर्चा नहीं करेंगे और भूखे भी रह कर हम देश की सुरक्षा के लिये बलिदान करने के लिये तैयार हैं। लेकिन यह उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ। सरकार समझ नहीं सकती कि इसका कितना बड़ा प्रभाव जनता पर पड़ता और नेतृत्व के संबंध में जनता में कितना विश्वास पैदा होता। परन्तु आप तो उस विश्वास को लेना ही नहीं चाहते हैं।

अभी उधर के सदस्य ने कहा कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा और इस बर्बर ताकत का सामना कानूनों से नहीं किया जा सकता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को तैयार करना होगा। हर व्यक्ति में प्रेरणा पैदा करनी होगी, कानून से नहीं, आपके दबाव से नहीं, डर से नहीं, प्रेरणा से सर्वस्व न्यौछावर करने के लिये एक-एक बच्चे को तैयार करना होगा, तब आपको विश्वास प्राप्त होगा और उससे विजय प्राप्त होगी। धमकियों से देश तैयार नहीं होगा। पिछली चीजों से जो इस सरकार ने की हैं उनसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। पिछली गलतियों को भुलाकर भविष्य के लिये देश को तैयार करें और धमकी देने का प्रयत्न न करें। जो भी इस देश का वासी आपके सामने कोई सुझाव रखता है, अगर हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, तो आप इस बात को निश्चय समझे कि देशभक्त सभी देश के लिये हैं और अपनी दृष्टि से हर आदमी चाहता है कि सुरक्षा के कार्यों में कोई बाधा न उत्पन्न हो।

मितव्ययिता के संबंध में मैंने एक प्रश्न उठाया, हमारे दल की ओर से उठाया गया कि अगर सदन में, कर लगाने के पूर्व सरकार के कार्यों की विस्तृत रूप रेखा रखी जाय, जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जावें, कि हमने इतना पैसा बचाया है, इतने करोड़ रुपया बचा कर सुरक्षा के कार्यों में खर्च किया है, तो यह भी एक नया मार्ग-दर्शन होता और जनता में अधिक से अधिक

बलिदान करने की प्रेरणा होती। लेकिन जब हमने यह प्रश्न रखा तो उसका कोई जबाव नहीं दिया गया। इसलिये हमें ऐसा लगता है कि आप का घाटे का बजट है, ४–५ करोड़ रुपया नये करों से ले चुके हैं, और अभी आपका ८, ९ करोड़ का घाटा बाकी है। अगर आप निश्चित रूपरेखा नहीं रखते कि आप सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों पर खर्च करेंगे, तो यह सन्देह हो सकता है कि यह रुपया आप सुरक्षा के नाम पर लेकर अपने घाटे के बजट को, जिसमें फिजूलखर्ची बहुत है, उसे पूरा करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सुरक्षा की दृष्टि से आप उदासीन हैं, लेकिन हमने पिछली बार देखा कि जनता में लोगों ने भ्रम पैदा किया कि हम जानबूझ कर तैयारी नहीं कर सके, जिन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिये थी उन्हें नहीं दे सके। इसके फलस्वरूप देश को बड़ा धक्का लगा और इसलिये आज यह आवश्यक है कि भविष्य में लोगों को विश्वास होना चाहिये कि आप निश्चित रूप से कहें कि ये-ये कदम हम उठाने जा रहे हैं और एक-एक पैसा जो सुरक्षा के नाम पर लिया जायगा, और किसी चीज पर नहीं खर्च किया जायगा, उसका सदुपयोग होगा और हर प्रकार से तैयारी की जायगी।

जहां तक किसानों पर यह सरचार्ज लगाने की बात है अगर हम और आप रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं तो वार लोन्स का सवाल भी आया। देश में वार-लोन्स से काफी पैसा मिल सकता है अगर हम ऐसा वातावरण पैदा करें कि जिन परिस्थितियों में पैसा आना चाहिये वे उत्पन्न करें। अगर हम यह समझें कि किसान पर कर बढ़ाने से उत्पादन में कमी नहीं होगी तो इसमें कुछ गलती हो सकती है। आप स्वयं यह कह चुके हैं कि आप उत्पादन की किसी योजना में कटौती नहीं करना चाहते, इसलिये यह सोचने और समझने की बात है कि किसानों पर यह सरचार्ज बढ़ाने से उत्पादन में कमी होगी या नहीं और होगी, जिसके फलस्वरूप मौजूदा उत्साह के वातावरण में जिसे सरकार अभी तक भी समझ नहीं पाई है, बड़ी खलबली मच जायगी। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि गांवों में जो फौज के लिये धन देने, खून देने हर प्रकार से मदद करने का जो वातावरण है वह बना रहे। जो अपना सर्वस्व देने के लिये तैयार हैं उसके ऊपर आप कर न लगाइये। जिस दल में कर देने की शक्ति नहीं है उसी पर आप कर लगाने जा रहे हैं, इसका परिणाम भयंकर होगा। कहीं आपके इस कदम से युद्ध साधनों में, सुरक्षात्मक कार्यवाहियों में बाधा न पड़े। आज आवश्यकता तो इस बात की है कि देश का जो मनोबल है वह किसी प्रकार से कम न हो देश की एकता में कोई बाधा न पड़े। इन सब बातों को सोच कर मैं उग्रसेन जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि देश के हित में आप इसे स्वीकार कर लेंगे।

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)––उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस परिस्थिति में उपस्थित हुए हैं वह बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। यह बिल लाने की क्यों आवश्यकता हुई, यह बात बिलकुल स्पष्ट है। जब हमारे देश के ऊपर एक बर्बर, विश्वासघाती पड़ोसी ने आक्रमण कर दिया तो हमारी आजादी के लिये एक खतरा पैदा हो गया। आखिर चीन ने हमारे ऊपर ही आक्रमण क्यों किया? यह बात चीन के सामने भी थी कि हिन्दोस्तान एक बहुत बड़ा देश है लेकिन इसके साथ ही साथ वह यह समझता था कि हमारे यहां बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से धर्म है जो आपस में लड़ा करते हैं। इसीलिये पाकिस्तान या रूस पर आक्रमण करने के बजाय उसने हिन्दोस्तान पर ही आक्रमण करने की सोची। लेकिन इसके बाद हिन्दोस्तान की तवारीख में एक सबसे बड़ी चीज हुई और इस आक्रमण की वजह से बड़ी भारी जाग्रति पैदा हो गयी। हिन्दुस्तान के ४४ करोड़ नागरिक चाहें वे कम्युनिस्ट हों, जनसंघ के हों, चाहे हिन्दू सभा के हों, चाहे सोशलिस्ट हों, सबने एक ही नारा बुलन्द किया कि हम हिन्दुस्तान के लिये खून बहा देंगे। वह आवाज चीन तक पहुंची। दूसरे देशों ने भी भारत का समर्थन किया और इंगलैंड, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया आदि देश भारत की मदद करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। इसके पीछे हमारी साख है, हमारी ईमानदारी है बहादुरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

है। आज हमको इस चुनौती का जबाव देना है, नहीं तो हमारे आगे आने वाली संतानें हमसे उसका जबाव तलब करेंगी। हमने अंग्रेजों जैसी बलिष्ठ शक्ति का मुकाबला किया तो चीन का मुकाबला करना कौन मुश्किल चीज है और वह सब हमारी एकता और संगठन की शक्ति पर निर्भर है। खाली मोर्चे पर लगी फौज ही हमको नहीं जिता सकती लेकिन उसके पीछे जो जनमत होता है वह भी उसके जीतने में सहायक होता है।

आज लड़ाई का खर्चा बढ़ा है और केन्द्रीय सरकार ने अभी १ अरब १०० करोड़ रुपया का खर्चा और अधिक किया है। ३०० करोड़ रुपये का सामान दूसरे मुल्कों से मिलेगा लेकिन ६२० करोड़ का इन्तजाम हिन्दुस्तान को करना होगा। जो और योजनाओं पर खर्चा होता वह अलग चीज है और यह खर्चा अलग से हमारे ऊपर लदा है। जब हमने सरकार बनाने की जिम्मेदारी ली है प्रजातंत्र और लोकतंत्र के आधार पर, तो हमें अपने देश के लिये खर्च का मुकाबला करने के लिये बहादुरी से तैयार होना पड़ेगा। आज हमारे सामने सवाल यह है कि हम एक बहादुरी की मौत मरेंगे या एक बुजदिली की जिन्दगी बसर करेंगे? आज वही देश उठता है जो त्याग और बलिदान पर जिन्दा रहता है। जो लोग अपने धन व दौलत को बचाये रखते हैं उनका नाम दुनिया में रोशन नहीं होता। आज भी जो लोग देश के लिये अपने धन और दौलत को नहीं छोड़ना चाहते हैं, सरकार को चाहिये कि उनकी तरफ ध्यान दे। आजादी की लड़ाई में धन-जन सबका बलिदान करना होता है। मिसाल के तौर में आपके सामने जापान को रखूंगा कि जिस वक्त जापान ने चीन पर हमला किया था उस वक्त जापानी फौज के कमांडर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खाई में कूद पड़ो और हजारों की तादाद में नौजवान खाई में कूद पड़े और उसे अपनी लाशों से पाट दिया। उसी तरह से आज हमें भी अपने राष्ट्र नायक पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में चल कर दुनिया को दिखाना होगा कि हम भी किसी माने में किसी से पीछे नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमारे यहां किफायतशारी की बात नहीं की जा रही है, लेकिन हमारे बजट के ऊपर जो यहां किफायतशारी कमेटी बैठी है उसमें इस पार्टी के लोग भी हैं और विरोधी पक्ष के लोग भी हैं। अखबारों में आज यह बात देख कर निहायत खुशी हुई कि हमारे बजट में २३ करोड़ की बचत की गयी है। यहां आने पर मुझे मालूम हुआ कि दूसरी पार्टी के नेता लोगों से भी इसमें परामर्श लिया गया है। इसमें जनसंघ के उपनेता माननीय कृष्णपाल सिंह जी भी थे, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय व माननीय गेंदासिंह जी थे और कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे। उन सब की सलाह से यह योजना बनी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो बात नेताओं से सदन के बाहर हुई हो, वह अलग है तो क्या विधान सभा के अन्दर भी बाहर की बातें कही जा सकती हैं या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो अखबारों में निकल चुका है, इसलिये यह कहा जा सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा---ऐसी अवस्था में हमें स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिये और मैं कहता हूं कि यह बात बिलकुल गलत और असत्य है और किसी नेता ने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने इस तरह की कोई बात नहीं मानी और पार्टी के नेताओं के लिये आप जो चाहें कह सकते हैं लेकिन सोशलिस्ट पार्टी को उससे अलग कर दिया जाय।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त---श्रीमान् जी, मैं तो सारी बातें फैक्ट पर कह रहा हूं क्योंकि यह अखबारों में निकल चुका है और अगर आप इसको चैलेंज करते हैं तो अखबार वालों को चैलेंज कीजिये क्योंकि सारी दुनिया में इसका पर्दाफाश हो गया है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से अपने सब साथियों से बगैर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कौन किस मत या विचारधारा का है, निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश की संकटकालीन अवस्था में हमें उस देश का मुकाबला करना है जहां चंगेज खां जैसे लोग हो चुके हैं। हम जानते हैं कि चीन जैसे साम्राज्यवादी देश का मुकाबला करने के लिये इंगलैंड व अमेरिका की नीति कहीं अच्छी थी, लेकिन अगर कहीं चीन का हमला हमारे देश पर होता है तो न हमारी सभ्यता रहेगी न हमारी संस्कृति रहेगी और न हमारा देश रहेगा और न हम और आप ही यहां विचार करने के लिये रहेंगे। आज हमारी जिन्दगी व मौत का सवाल है। आज अपने सब साथियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चीन से निपटने के बाद आप एलेक्शन स्टंट कर सकते हैं, बजट स्पीच में हमने तमाम बातों पर लेक्चर सुने हैं उनमें तो हमेशा एलेक्शन की बातें ही रहती हैं, लेकिन आज उनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये। आज गांव के एक-एक नागरिक में उत्साह है। हमारे जिले में जो स्कीम लागू हुई है उसके अनुसार जहां कि ९ लाख की आबादी है और १३ ब्लाक वह १,२४८ गांव हैं उनमें कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका इस महान् संकट के समय योगदान न हो। एक लाख रुपया माहवार और १६ सेर सोना अगर दस साल तक भी लड़ाई चलेगी तो हमारा जिला देता रहेगा। इस मौके पर यह एक विधेयक नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों बिल आ सकते हैं और हमको उनका समर्थन करना होगा।

जो लोग पूंजीवाद की और सरमायेदारी की बात कहते हैं कोई भी सरमायेदारी और पूंजीवाद न रहेगा और अगर उन पर सरकार कर न भी लगाये तो उनसे ऐसे संकट में जनता छीन लेगी। आज इस संकट की बेला में हर व्यक्ति को योगदान देना है। आज सारे मतभेदों को भूल कर हमें इस बिल का समर्थन करना चाहिये। हम अपने आखिरी खून के कतरे से भी दुश्मन का मुकाबला करेंगे और अपने देश की एक-एक इंच भूमि को चीनियों से निकाल कर ही दम लेंगे। अतः मेरी सब भाइयों से प्रार्थना है कि वह इस विधेयक का समर्थन करें।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरी आदत यह है कि जब मैं समर्थन करता हूं तो मजबूती के साथ करता हूं। मैं समर्थन महज इसलिये नहीं करता कि मैंने किसी एक बैठक में वचन दे दिया था, हालांकि वह भी एक पहलू जरूर है कि जब वचन दिया जाय तो उस पर डट कर अमल किया जाय लेकिन यह तो महज एक जाब्ते का पहलू है। (व्यवधान) मैंने आपकी बात सुनी आप भी जरा मेरी बात मेहरबानी कर के सुनें।

श्री उपाध्यक्ष---शांति रखिये।

श्री जेड० ए० अहमद---मैं कह रहा था कि वह तो सिर्फ एक जाब्ते का पहलू है लेकिन जब मैंने विरोधी दलों के नेताओं की बैठक में अपनी रजामन्दी दी थी अपने दल की तरफ से तो वह मैंने काफी सोच समझकर दी थी। वहां पर माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी भी थे। मैंने वहां उनके सामने सवाल रखा कि एकोनामी होना चाहिये, कट होना चाहिये, खर्च कम होना चाहिये, अमीरों पर बोझे बढ़ने चाहिये और वहां तफसील में और विस्तार में बातचीत हुई। जब हमें यकीन हो गया कि एकोनामी के लिये संजीदगी के साथ कोशिश की जायगी और जब मुझे यह मालूम हुआ कि ऐसे कदम उठाये जायंगे जिनके द्वारा अमीर तबके पर बोझ लादा जायगा और जब मुझे अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये तैयारी की कमी मालूम हुई तब मैंने रजामन्दी दी। आज भी मैं मजबूती के साथ उसी पोजीशन पर खड़ा हूं जिस पोजीशन पर मैं उस मीटिंग में था।

[श्री जेड० ए० अहमद]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना नहीं चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की पार्टी है। अगर हमें पिछले चुनाव में १ करोड़ २० लाख वोट मिले तो वह सब गरीबों के वोट थे। अगर संसद में कम्युनिस्ट दल प्रमुख विरोधी दल है तो इसके माने यह हैं कि गरीबों का वह प्रतिनिधित्व करती है। यह ठीक है कि यह बिल उन गरीबों पर भी एक बोझ को बढ़ा रहा है लेकिन इस बात को आंख खोलकर समझते हुये भी मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं बताऊंगा कि यह समर्थन मैं क्यों करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—शांत रहिये।

श्री जेड० ए० अहमद—हमारे उधर और इधर के भाइयों को याद होगा कि पिछली बार जब यहां लैंड टैक्स बिल पेश था तो हमारे दल के उप नेता ने उसकी मुखालफत की थी और आज यह उससे कुछ ज्यादा बोझ डालने वाला बिल है, लेकिन आज मैं इसका समर्थन करता हूं। वह इसलिये कि पिछली बार जो राष्ट्रीय परिस्थितियां थीं जब लैंड टैक्स बिल आया था और आज जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उनमें मौलिक और बुनियादी फ़र्क़ पैदा हो गया है। अगर इस फ़र्क़ को नहीं देखते और इसके साथ-साथ हमारा दिमाग इस नई हकीक़त को नहीं पकड़ता, नई जिम्मेदारियों को नहीं देखता जो चीन के हमले से पैदा हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि हम पुरानी रेल्स पर हैं, हमारे खयालात बदलती हुई दुनिया के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। क्या हुआ? हमला हुआ। आज मेरे लिये और सबके लिये सबसे प्रमुख टास्क, सब से बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी नेशनल डिफेन्स की है। उस वक्त तीन महीने पहले मोटे तौर पर नेशनल डिफ़ेन्स का सवाल था, लेकिन दूसरी जिम्मेदारियां हमारे सामने थीं जो प्रायरेटी हासिल करती थीं, हम जल्दी से अपनी योजनाओं को पूरा करें, ऐसी बात थी। लेकिन आज वे सब प्रायरटीज़ बदल गई हैं, आज नेशनल डिफ़ेन्स का सवाल प्रमुख सवाल है, प्रमुख जिम्मेदारी और ड्यूटी है प्रमुख रेस्पांसिबिलिटी हो गयी है और अगर इस चीज़ को नहीं पकड़ते तो किस चीज़ को पकड़ रहे हैं। नेशनल डिफ़ेन्स का सवाल जब कहता हूं प्रमुख जिम्मेदारी हमारी हो गयी है मेरा मतलब यह नहीं है, मैं साफ़ कर देना चाहता हूं कि मेरे दिमाग़ में यह है कि कल शूटिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो जायगी, यह मेरा मतलब नहीं है। जैसा मेरे भाई ने कहा हिन्दुस्तान की फौज चढ़ कर तिब्बत में पहुंच जायगी, घुस जायगी। नहीं। मैं समझता हूं आज जो सूरते हाल पैदा हो गई है उसमें दुनिया की दूसरी ताकतें दखल देंगी निगोशियन्स की बातें होंगी, काफ़ी अर्से तक बातचीत चलेगी। मुमकिन है कोई समझौता हो न हो हम कुछ नहीं कह सकते। यह इस पर मुनहसिर है दुनियां की दूसरी ताकतें कहां तक दखल देती हैं और दुनिया का दिमाग कहां तक दुरुस्त किया जा सकता है। यह भविष्य की बातें हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात जिसके बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिये भले ही आज किसी प्रकार का समझौता हो जाय, भले ही कोई सेटिलमेंट हो जाय लेकिन हमारा यह पड़ोसी देश और उसकी सरकार एक विस्तारवादी, ऐक्सपेंशनिस्ट, मिलिटरिस्ट और एडवेन्चरिस्ट सरकार है इसको हमें पकड़ना चाहिये और जब तक वह ऐक्सपेंशनिस्ट और मिलिटरिस्ट है, और मैं समझता हूं जब कि एक इतने बड़े मुल्क की सरकार गलत रास्ते पर जाती है तो दो दिन में अपना रवैया नहीं बदलती, उसके पीछे उसकी परम्परा होती है एक राजनीतिक समझ है जिसको मैं गलत समझता हूं। वह पड़ोसी देश की सरकार जब गलत रास्ते पर जाती है तो सोचना पड़ता है, भले ही आज समझौता हो जाय शूटिंग वार न जारी रहे, लेकिन ऐसा मौका आ सकता है इस खतरनाक दुनिया में फिर हमारे सामने अपनी सीमाओं के प्रोटेक्शन का सवाल फिर से आ कर बड़े पैमाने पर खड़ा हो जाय। इसलिए सुरक्षा का सवाल और सीमाओं का खास तौर पर हमारे साथ एक लम्बे अर्से तक रहेगा और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूं डिफ़ेन्स की जिम्मेदारी इस माने में आज प्रमुख रूप में प्रमुख अहमियत हासिल कर लेती है।

मैं उन लोगों से इत्तफ़ाक़ नहीं करता, माफ़ कीजिये मैं यह भी कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरी बात सुनी जाय, कि यह विस्तारवादी सरकार इसलिये है कि यह कम्युनिस्ट है मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं देखता हूं दुनिया में दूसरे बड़े-बड़े कम्युनिस्ट देश हैं जो आज शक्ति के स्तम्भ बने बैठे हुए हैं जिनके दरमियान विस्तारवादी, ऐडवन्चरिस्ट सरकार के दरमियान मतभेद रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है और ऐसी हद तक पहुंच गया है खुल्लमखुल्ला टक्करों की नौबत पहुंच गयी है। इसलिये मैं नहीं चाहता कि इसको एक राजनीतिक जामा पहनाया जाय और उसके कुछ मानी निकाले जायं। मैं बतलाना चाहता हूं कि चयांगकाई शेक की सरकार कम्युनिस्ट नहीं है और कम्युनिस्ट विरोधी है, लेकिन खुल्लमखुल्ला ऐलान करती है कि मेकमोहन लाइन के दक्षिण का इलाका चीनियों का इलाका है, हिन्दुस्तान का इलाका नहीं है। तो यह उनकी एक परम्परा है। एक जनरेशन तक उनकी वार लाइक मेनटलिटी पैदा हो गयी है। उनका तरीका इस रास्ते चला है। इससे पहले भी वह अपने को सिलेशियल एम्पायर समझते थे। तो जो बैकग्राउन्ड है उसका असर पड़ता है। हमारी भी पृष्ठभूमि है। यह बिलकुल अलग है। अहिंसा, नर्मी, प्रेम जिसकी वजह से आज जब इस खतरनाक दुनिया के अन्दर ऐसे मसले पैदा हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम दूसरों के सामने एक तरीके से दबने लगते हैं क्योंकि हमारी परम्परा नहीं है। हमारी परम्परा शान्ति से, दूसरे पड़ोसियों के साथ मोहब्बत के साथ रहने की है। तो मैं यह कहता हूं कि इस विस्तारवादी सरकार को देख कर जो अपने को कम्युनिस्ट कहती है, मुझे शर्म आती है कि कम्युनिस्ट सरकार इस तरह से बिहेव कर सकती है। मैं कम्युनिस्ट हूं और कम्युनिस्ट ही जिन्दा रहूंगा और कम्युनिस्ट ही मरूंगा क्योंकि मुझे पूंजीवाद से नफरत है, साम्राज्यवाद से नफरत है और मार्क्सवाद अथवा लेनिनवाद ने यह नहीं सिखाया। मेरी समझ में नहीं आता कि जो अपने को कम्युनिस्ट देश कहता है वह दूसरे पड़ोसी देश में घुस आये, फौजें ले कर घुस आये और पोजीशन आफ पावर से बारगेन करने की कोशिश करे। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को शर्म आना चाहिये जो ऐसी बातें करती हैं। खैर, छोड़िये इन बातों को। यह सियासी बातें हैं।

मैं वापस आता हूं सुरक्षा पर। सुरक्षा का सवाल बहुत टेढ़ा और मुश्किल सवाल है और इस मानी में टेढ़ा और मुश्किल सवाल है कि खोखली तकरीरों से देश में सुरक्षा नहीं हो सकती। बड़े-बड़े गर्म ऐलानों से और बढ़-बढ़ कर कहने से कि हम यह कर डालेंगे और वह कर डालेंगे सुरक्षा नहीं हो सकती। डिफ़ेंस इज ए टेक्निकल जाब ऐज वेल एज पोलिटिकल जाब। दोनों पहलू हैं। इसलिये डिफेन्स की बात की जाती है तो डिफेन्स के साधनों का सवाल सब से बड़ा सवाल है। कहने के लिये हरएक आदमी लम्बी चौड़ी बात कह दे कि मैंने पहले ही यह कहा था, मैंने चार साल पहले यह कहा था। लेकिन आज सवाल चार साल पहले का नहीं है। सवाल यह नहीं है कि पहले क्या कहा था बल्कि सवाल यह है कि आज क्या कह रहे हैं। (व्यवधान) मैं हर एक को देशभक्त और देशप्रेमी तसलीम करता हूं। हर एक इंसान जो यहां बैठा है उस को लगन है लेकिन लगन काफी नहीं है। किसमें लगन ज्यादा है और किसमें कम है एक दूसरे का सीना फाड़ कर देख लिया जाय, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन इंसान की जबान पर एक भरोसा किया जाय। मैं मानता हूं कि सब को लगन है, लेकिन सिर्फ लगन से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि उस लगन के साथ अक्ल को जोड़ना चाहिये। अगर खाली लगन है और अक्ल गायब है या खाली अक्ल है और लगन गायब है तो मामला गड़बड़ा जायगा, दोनों चीजें लगन और अक्ल होना चाहिये। हमारी लगन जो देश की सुरक्षा के लिये है इसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाय, अमली कदम कैसे उठाया जाय यह मुख्य सवाल है, कोई और दूसरा सवाल नहीं है।

अब डिफेन्स का सवाल लीजिये। यह एक टेक्निकल सवाल है। डिफेन्स का मतलब है हथियार, वर्दी, ट्रान्सपोर्ट, पुल, सड़कें, खाद्य पदार्थ। यह इन्तजाम करना है। अच्छा डिफ़ेन्स तभी सम्भव है जब उसके लिये मजबूत साधन आप के हाथ में हों, नम्बर १। नम्बर २, डिफ़ेन्स का

[श्री जेड० ए० अहमद]

मतलब यह है कि न सिर्फ लड़ाई के मोर्चे पर और अगर लड़ाई न हो रही हो तो न सिर्फ उन स्थानों पर जहां लड़ाई के इमकानात हों आपकी फौजें हों, आपके हथियार हों, आपकी तैयारी हो, बल्कि पीछे आपकी अर्थ व्यवस्था मजबूत हो, आपकी पैदावार बढ़े, आपके पास ऐसे साधन हों कि वक्त पर आप को भीख न मांगनी पड़े। डिफ़ेन्स के दो पहलू हैं, यानी हमारे पास वह साधन हों जिससे फ़ौजी तरीके से अपने देश की रक्षा की जा सके और साथ-साथ हमारी अर्थ व्यवस्था मजबूत होती चली जाय ताकि हम दोनों को मिलाकर मुल्क के डिफ़ेन्स पोटेन्शल को एक ऊंचे स्तर पर ले जायं। इसका मतलब यह है कि आप को खर्चा वहां भी करना है और यहां भी करना है। आप यह नहीं कर सकते कि डिफ़ेन्स का सवाल प्रमुख सवाल है तो पूरी प्लान को काट डालिये पैदावार के लिये जो रुपया दिया जाता है उससे बन्दूकें खरीदिये, हथियार बनाइये। नहीं, दोनों चीजें साथ-साथ चलेंगी। क्योंकि एक लांग रेंज डिफेन्स की हमारी पालिसी है, दो दिन की तनन्वेशाजी नहीं है। इसलिये डिफ़ेन्स पोटेन्शल को बढ़ाने के लिये खर्चा आप को उन सीमाओं पर करना पड़ेगा और देश के अन्दर भी पैदावार बढ़ाने और प्लानिंग में खर्च करना पड़ेगा। इसके लिये साधन चाहिये, महज अल्फाज से काम नहीं चलेगा।

मैं जानता हूं कि साधन का सवाल मुश्किल है। अगर हम एक अमीर मुल्क होते तो हमारे लिये कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक गरीब मुल्क जहां एक-एक एकड़ जमीन एक-एक कुटुम्ब के पास है और जहां आम तौर पर पैदावार का स्तर ऊंचा नहीं है, अमीर तबका भी बहुत बड़ा नहीं है, ८०—८५ फीसदी उजड़े लोग हैं मैं मानता हूं कि वहां साधन जुटाने का सवाल एक मुश्किल सवाल बन जाता है। लेकिन चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, साधन जुटाने हैं और साधनों को हासिल करने के लिये पूरे राष्ट्र को खड़ा करना है। गरीबी और अमीरी का सवाल आये और आना चाहिये, मैं समझता हूं कि अगर मेरे भाई गरीबी और अमीरी का सवाल उठाते हैं तो यह सही है कि गरीब की बनिस्बत अमीर के ऊपर ज्यादा बोझ लादना चाहिये। लेकिन साधन का सवाल एक तबके का सवाल नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का सवाल है। जब तक गरीब और अमीर अपनी-अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं देता है तब तक वह साधन जुटाये नहीं जा सकते। पूरे मुल्क को उठाने की जरूरत है। ऐसा न हो कि वहां की फौजें आयें और हम पीछे हटने लगें क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। हम यह भी करेंगे और गरीबी और अमीरी के सवाल को भी हल करेंगे। लेकिन दोनों काम साथ-साथ चलेंगे। आज इस चीज की जरूरत है कि गरीबी और अमीरी के सवाल को रखेंगे जरूर लेकिन प्राथमिकता हम देश की सुरक्षा को देंगे।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सियासी पहलू को भी देखा जाय। मैं चाहता हूं कि सुरक्षा के सवाल पर गरीब लपक कर आये और राजनीतिक तथा सियासी दृष्टिकोण से सुरक्षा का सवाल गरीब अपने हाथ में ले तभी राष्ट्रीय सुरक्षा को हम असली सुरक्षा की शक्ल देंगे। इसके साथ ही गरीब को चौकन्ना करें, उसमें हिम्मत पैदा करें, उमंग पैदा करें और कुरबानी का जजबा पैदा करें कि तुम्हें भी २/४/८ आने देने पड़ेंगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कौम और तुम्हारा देश जिन्दा रहे और वह दुनिया के सामने अपना सीना तानकर चल सके। गरीब का राजनीतिक महत्व है, मनोबल टूट जायगा, क्या चवन्नी देने से टूट जायगा? हिटलर का जब रूस पर हमला हुआ तो आठ मिलियन आदमी मारे गये थे यानी ८० लाख आदमी मारे गये थे। लेनिन ग्राड में ६ लाख आदमी भूख से मर गये थे। हमारा दुनिया में एक नया राष्ट्र पैदा हुआ है। अभी इसने जन्म लिया है, मैचोरिटी पर नहीं आया है अभी लोगों में इसके लिये जजबा पैदा नहीं हुआ है और गांवों में आज लोगों में राष्ट्र का जजबा नहीं है जातपांति का जजबा है और हमारे बहुत से लोग इलेक्शन के लिये उसे उछाला करते हैं। लेकिन इस मौके पर हमें राष्ट्र का जजबा हमें एक-एक बच्चे में पैदा करना है। यह उस वक्त पैदा होगा जब हम एक वक्त खाना खायेंगे और कहेंगे कि हमने इसलिये एक वक्त खाना नहीं खाया कि हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---असम की कम्युनिस्ट पार्टी ने चायना फोर्सेज की अगवानी की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

श्री जेड० ए० अहमद---उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर लांछन नहीं करता, भले ही कोई कम्युनिस्ट पार्टी को गाली दे।

श्री काशीनाथ मिश्र---ऐसे आदमी का भाषण मैं सदन में सुनने के लिये तैयार नहीं हूं जिस तरह की गद्दारी इन्होंने की है। (व्यवधान) ये लोग ताली बजाते हैं, शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष---आप गाली नहीं दे सकते, बैठ जाइये। आपको पसन्द नहीं है तो न सही।

श्री जेड० ए० अहमद---इस मौके पर वे सुनें, इतना घबराते क्यों है, आपको भी वक्त मिलेगा, आप बोलें। बहुत से लोग कहते हैं कि सुरक्षा के लिये इधर से साधन लाओ उधर से साधन लाओ। मैं कहता हूं कि हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिये बाहर से हथियार तो जरूर लेने हैं। जब तक कि हमारी अन्दर की शक्ति नहीं बढ़ती तब तक जरूर लेंगे। असली बात तब होगी जब हिन्दुस्तान का एक-एक बच्चा कहेगा कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिये कुरबानी करता हूं। आखरी बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई जरा इतमीनान से सुने। राष्ट्र की सुरक्षा किसी सरकार के इर्द-गिर्द होती है। राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल सरकार के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री काशीनाथ मिश्र---आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से तालियां बजाई जा रही हैं, वही लोग तालियां बजा रहे हैं जो मेनन साहब के समर्थक थे।

श्री उपाध्यक्ष---बिलकुल कायदे के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये, आप बार-बार इंटरफियर कर रहे हैं। बैठ जाइये।

श्री जेड० ए० अहमद---मैं जरा सफाई से बोल रहा हूं इस लिए कुछ लोगों को गुस्सा आया। राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल सरकार की एस्टैबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---चुप रहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। बैठ जाइये। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं बहुत नम्र तरीके से। श्रीमन्, यह कोई तरीका नहीं है। हम लोग क्या स्कूल के बच्चे हैं जो आप इस तरह से गुस्सा दिखाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप बिलकुल बच्चों की तरह से बात करते हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---आप मुझे डांट रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप बैठ जाइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं नहीं बैठूंगा, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---बैठ जाइये, नहीं तो इंगित किये जायेंगे। देखिये, शोर न मचाइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप अध्यक्ष हो कर, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस तरह से मत डाटा कीजिये। मैं आप से बार-बार कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—बैठ जाइये, नहीं तो मैं इंगित करूंगा।

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री जेड० ए० अहमद—उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी मेरा प्वाइंट यह है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—जो साहब नहीं सुनना चाहते हैं, वह बाहर जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप इस तरह से डांटना बन्द कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये, शान्ति से सुनिये।

श्री जेड० ए० अहमद—उपाध्यक्ष महोदय मैं बोलना शुरू करूं? अब मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा आखिरी प्वाइंट है इसको सुन लिया जाय। यह बाद में उसका जवाब दे लेंगे। मेरा आखिरी प्वाइंट यह है उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल सरकार की डिगनिटी के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात कही जाय एक तरफ और दूसरी तरफ यह कोशिश की जाय कि सरकार में इनस्टेबिलिटी के एलीमेंट्स पैदा हो जायं तो मैं इस को ठीक नहीं समझता। आज हिन्दुस्तान के अन्दर मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि इस संकटकाल के अन्दर कोई अगर नेतृत्व कर सकता है हिन्दुस्तान का तो पंडित जवारहरलाल नेहरू कर सकते हैं। (करतलध्वनि) पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान.....

श्री काशीनाथ मिश्र—यह मेनन समर्थक लोग तालियां बजा रहे हैं, इस बात को जरा नोट कर लिया जाय।

श्री जेड० ए० अहमद—आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुनियादी नीतियां सही हैं। ताज्जुब होता है और अफसोस होता है कि जब हमारी नाव हिन्दुस्तान की मंझधार में है तो कहा जाता है कि नेहरू को हटाओ, इसको बिठाओ, उसको ले आओ। क्या मजाक आप करना चाहते हैं मुल्क के भविष्य के साथ में? मैं साफ तौर पर कहता हूं कि आज इस बात की जरूरत है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के हाथ मजबूत किये जायं। चाहे हमारे भाई कितना ही चिल्लायें उनकी नीतियों का समर्थन डटकर किया जाय, जिला-जिला, गांव-गांव में जा जा कर उनकी नीतियों का समर्थन किया जाय। आज संकट काल में एक मौका हासिल कर के राष्ट्रीय एकता की बात करें और नीचे-नीचे उखाड़ने की कोशिश करें पूरे शासन को, मैं इसको सही तरीका नहीं समझता। मैं समझता हूं कि अगर आज कोई नेतृत्व कर सकता है हिन्दुस्तान का तो पंडित नेहरू कर सकते हैं। क्या उन्होंने नहीं किया? कौन करेगा? मुझे बताया जाय और कौन करेगा? बाहर लोग बात करते हैं करिअप्पा को लाओ, लोग बात करते हैं किसी और को लाओ। मैं इसको बिलकुल गैरजिम्मेदाराना हरकत समझता हूं। मैं समझता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों को जो मजबूत नहीं करता, उनके हाथ जो मजबूत नहीं करता, वह देश को कमजोर करता है, देश के अन्दर अराजकता का वातावरण पैदा करता है। इन अल्फाज के साथ मैं इसका समर्थन मजबूती के साथ करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। श्रीमन्, भाषण खत्म हो गया एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। आन ए प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन सर। (व्यवधान) मैं बन्द नही करूंगा। क्लेरिफिकेशन करा लेने दीजिए।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं कुछ निवेदन करूं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जिस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में और जिस शक्ल में फिर दोबारा इस सदन में आया है वह सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है। मैं कुछ और कहने जा रहा था ..... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष---शोर न कीजिये।

श्री रामचन्द्र विकल---मेरा यह विश्वास कुछ और दृढ़ उस समय हुआ जब हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने इन शब्दों में उसका समर्थन किया। सही बात यह है कि यह समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी का वैसा ही समर्थन है जैसी चीन की युद्ध बन्द करने की घोषणा है। (शोर) अगर हमारी सरकार और सरकार के समर्थक लोग आज इस तरह से समझ लें कि यह समर्थन सच्चा समर्थन है तो देश का दुर्भाग्य है। अब सही बात है कि हमने चीन की बातों को बहुत दिन तक विश्वास किया था। उसी तरह से जिस तरह से वह कह रहे थे कि जबान से ही विश्वास होता है दिल चीरकर क्या दिखायें। आज भी यह सौभाग्य की बात है कि युद्ध घोषणा के बाद हमारे देश के नेता सतर्क हैं और उन नेताओं से भी अधिक आज इस प्रदेश और देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो इतनी जागरूक है और इतनी सतर्क है कि जो सब कुछ बलिदान और त्याग करने के लिये तैयार है। आज जनता को जेड० ए० अहमद साहब को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सितम्बर में जब यह टैक्स बिल आ रहा था तो अचानक मेरे मुंह से एक बात निकल पड़ी और वह यह निकली थी कि हमारी मन्त्रि परिषद् के लोग राणा प्रताप बनें, इस देश की जनता भामाशाह बनी हुई है और आज इस देश और प्रदेश की जनता ने भामाशाह का पार्ट प्ले कर के सचमुच दिखा दिया। मैं जनता को इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछली विधान सभा में दुर्भाग्यवश मौजूद नहीं था। मैं जनता में गांव-गांव में इसी काम के लिये घूम रहा था। मैंने देखा कि जनता में आज उत्साह और मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि मैं सच बताता हूं कि जितना चीन के युद्ध का संकट देश पर है उतना ही यह भाषणों का संकट है। यह संकट हट जाय, अब इसकी जनता को जरूरत नहीं है। इतना मनोबल बढ़ गया है कि जहां भी हम गये, किसी भी गांव में छोटे में या बड़े में किसी जगह हम लोगों को लैक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ी, भाषण देने की नौबत नहीं आई। तन-मन-धन जिस पर जो है वह सब हाजिर है। कोई इनकार नहीं। जवान चाहिये, जवान तैयार हैं। मेरठ कमिश्नरी में मैं कई जिलों में घूमा और मैंने अपने कमिश्नर से भी कहा कि जवान लौटकर जा रहे हैं। भरती नहीं किये जा रहे हैं वे ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। मुझसे कई जगह जवानों ने शिकायत की। खून भी मिल रहा है। धन भी मिल रहा है। वस्त्र मिल रहे हैं। जो चाहिये वह सब मिल रहा है।

पिछली विधान सभा में यहां पर एक घोषणा हुई हमारे मुख्य मंत्री जी की तरफ से कि संकट-काल की वजह से इस जोत-कर विधेयक को वापस कर रहे हैं। उसको स्थगित करने का वादा किया गया था। वह एक वादा था इस सदन के समक्ष, और जनता के समक्ष वह वादा किया गया था। क्या कारण हुआ कि वही विधेयक एक महीने के अन्दर फिर से आगया ? संकट काल उस समय भी था और आज तो उससे भी अधिक संकट बढ़ा हुआ है मैं इसको मानता हूं और इनकार कोई नहीं कर सकता कि चाहे चीन ने फौजी आक्रमण बन्द कर दिया है लेकिन मैं मानता हूं कि संकट है। तब इस विधेयक को एक और शकल दे कर लाने की क्या जरूरत समझी गई ? एक वादा था तो वह वादा करके ही यहां से उसको स्थगित किया गया था। विरोधी दल के नेताओं से क्या बातचीत हुई मैं जानता नहीं, लेकिन उनके बहुत वादे पकड़े जा रहे हैं। दो दिन से मैं उन वादों को सुन रहा हूं। लेकिन उस वादे का क्या जवाब है जो जनता के सामने यहां पर दिया गया था ? कि संकटकाल में इस विधेयक को नहीं लाया जायगा ? कोई कहता है कि ५ करोड़ आयेगा और कोई कहता है कि ५।। करोड़ आयेगा।

[श्री रामचन्द्र विकल]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव में घूम रहा था। अपने निर्वाचन क्षेत्र के चिपयाना गांव में मैं घूम रहा था। वहां पर बड़ा लम्बा वादा था। उन लोगों ने ५ हजार रुपये देने का वादा किया था। उस समय मेरे साथ बी० डी० ओ० भी थे। उस वायदे के वावजूद हम जब उस गांव में जा कर बैठे तो दुर्भाग्य से यह बात निकल गयी किसी अखवार में कि लगान बढ़ रहा है। हालांकि बात सच नहीं थी, लेकिन निकल गयी कि लगान सवाया हो रहा है। तो वहां गांव के बुजुर्गों ने सवाल किया कि जब आप लगान ही सवाया कर रहे हो तो हम यह चन्दा नहीं देना चाहते। घर-घर जाने के वाद कुल ४०० रुपया उस गांव ने दिया जबकि वे ५००० रुपया देना चाहते थे। धन की कमी नहीं है, लेकिन इस विधेयक के द्वारा एक ठेस लगी और मैं उसका यह ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं। जगवीर सिंह जी यहां बैठे हैं। उन्होंने बतलाया कि हमारे यहां रुपया जमा हुआ था, लेकिन जब इस बिल की वात वहां पहुंची तो लोग बहस करने लगे कि लगान क्यों वढ़ रहा है। मैं समझता हुं कि धन स्वेच्छा से और काफी तादाद में आ रहा है और उस प्रोग्रेस में इस विधेयक के कारण कमी आयेगी और भारी कमी जायेगी। यह ठीक है कि असंतोष होते हुये भी जनता धन देगी।

हमारे डाक्टर अहमद साहब कह रहे थे कि गरीब को जगाना है; उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने सरकार की नब्ज को पहचाना इस मौके पर। वह सरकार की नब्ज पहचान कर ही उसकी हां में हां मिला रहे हैं। एक की घरवाली हठीली थी, बहुत हठीली। वह उसकी राड़ काटना चाहता था और उसकी आदत थी कि वह उल्टी बात ज्यादा मानती थी। तो उसने उल्टी बात कहनी शुरू कर दी। उसने एक दिन सबेरे ही कहा, भगवान, आज गंगा नहाने मत जाइयो। मौसम बड़ा खराब है। उसकी घरवाली ने कहा कि नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। उसने कहा कि अगर जाना भी तो चक्की का पाट साथ में न ले जाना। नहीं, जरूर ले जाऊंगी। अच्छा भाई, उसने कहा कि अगर ले भी जाना तो उसे सीने पर बांध कर न रखना। नहीं साहब, उसने उसे सीने पर भी बांध लिया। बाद में उसने कहा कि अरे, अगर ऐसा किया भी है तो नदी में किनारे पर ही नहाना, बीच में न जाना। नहीं, वह तो बीच में ही चली गयी और काम आ गयी। जेड० ए० अहमद साहब ने भी चक्की का पाट बंधवा दिया है सरकार के। यह चक्की का पाट है और मैं समझता हूं कि वह उन्होंने क्यों बंधवाया।

मैं एक बात और बतला दूं। जेड० ए० अहमद साहब को आज देश की जनता भी समझती है। वह उनको भूली नहीं। मैं यह कह रहा था कि मेरा यह निश्चित मत है और निश्चित धारणा है, और मैं इस संकट को वास्तव में बड़ा संकट मानता हूं कि यदि इस विधान सभा से यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो तो सरकार को इसे सहर्ष लाना चाहिये और अगर इसमें किसी को विरोध हो तो नहीं लाना चाहिये। आज जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं जानता हूं कि आज गांव और देश की जनता अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारे मतभेद भुला कर एक है। भले ही जेड० ए० अहमद साहब कुछ भी कहें, लेकिन जनता एक है, पिछले एलेक्शन के ही भेदों को भुला कर वह एक है और आर्थिक मतभेद का सवाल जनता में नहीं है। नेताओं में भेद भले ही हो। इसलिये विधान सभा में यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि जो विधेयक संकट काल में यहां आयें वे सर्वसम्मति से आयें तभी मैं उनका समर्थन करने के लिये तैयार हूं और अगर हम उसी प्रवृत्ति का परिचय दें कि जो यहां थोड़ी देर पहले हो रहा था तो उसे देखते हुये मेरी हिम्मत नहीं होती कि हम गांव में जाकर लोगों से कहें कि हम को सुरक्षा के लिये पैसा दो। आज गांव वाले पूछने लगते हैं कि विधान सभा में तो यूं लड़ते हो, और हम को यहां उपदेश देते हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को हम पर नुक्ताचीनी करने का मौका मिलेगा। अगर कर लाना ही है तो नेताओं से बातचीत करें आप, और उसके बाद सरकार को सर्वसम्मति से कोई बिल उस केलिये यहां लाना चाहिये। रुपया आ रहा था तो यह बिल लाना नहीं चाहिये था।

एक और मेरी शिकायत है सरकार से। जिसके पास कुछ नहीं है वह सर्वस्व देने के लिये तैयार है, लेकिन जिनके पास संब कुछ है वह कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उनके लिये सरचार्ज का बिल आप क्यों नहीं लाये, यह शिकायत है? सरचार्ज का बिल उनपर आना चाहिये था जो दबाये बैठे हैं, जिनके पास बैंको में रुपया जमा है। सरकार का जितना बकाया-है उसकी बात कहना, पुरानी बात को दोहराना कहा जायगा, लेकिन मेरी जानकारी है कि सरकार इस संकट काल में भी अपना बकाया रूपया वसूल करना नहीं चाहती। क्यों पंजाब सबसे आगे है? ११ या १३ जिलों का छोटा सा प्रान्त है, लेकिन वह यू० पी० के मुकाबले में आगे क्यों है? मुझे बतलाया प्रतापसिंह कैरो ने, उस दोस्त के यहां जिस के यहां वे चीफ मिनिस्टर होने के नाते से खाना खाते थे। वहां जाकर सुरक्षा कोष के लिये भीख मांगी तो ५० हजार का उसने वायदा किया। करीब २ घंटे या २।। घंटे के बाद जेल आदि देखने के बाद जब वहां पहुंचे तो ढाई लाख का चेक वह ले आये थे। पर ऐसा कुछ सरकार ने इधर नहीं किया है। मैं कहता हूं कि यहां पर भी स्वेच्छा से देना चाहिये और सरकार को भी लेना चाहिये। लेकिन वह किस वक्त होगा और कब होगा? आज प्रदेश की जनता तो अपने जवान बेटों को भी दे रही है और खून भी दे रही है इसलिये ऐसे वातावरण में यह जो आपने किया है यह कदापि उचित नहीं कहा जायगा। यह एक गलत मिसाल है। लेकिन आज सरकार गरीब पर ही अधिक बोझा डाल रही है। सरकार के बारे में तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि वह उसी को दबाना जानती है जो दबना जानता है और जो नहीं दबना जानता है उसको नहीं दबा पाती है।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं जब कि आज देश में संकट की स्थिति है। आप क्या यह समझते हैं कि जनता के दिमाग में क्या इस बड़ी मिनिस्ट्री की बात नहीं आती है? मैं आपको स्वयं अपना तजुर्बा बताता हूं कि जब मैं अनूपशहर में गया तो लोगों ने कहा कि यह सरकार मिनिस्ट्री कम करके क्यों नहीं अपना खर्च घटाती है? मैं चुप रह गया और मैंने केवल यही कहा कि भई मंत्रियों से कहो मैं क्या कर सकता हूं। जब जनता यह चाहती है कि खर्चा कम हो तो उसको कम करके क्यों नहीं आप उससे भीख मांगते हैं उससे तो और भी अधिक मिलेगा? इसलिये मैं यह कहता हूं कि सरकार को बड़ी मिनिस्ट्री अवश्य कम करनी चाहिये। उसके बाद आप को यदि जनता से धन न मिलता तो आप इस प्रकार के विधेयक लाते तब वह एक चीज कायदे की कही जा सकती थी। मैं तो यही कहूंगा कि यह बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्री को मुख्य मंत्री जी उसी प्रकार से गले में चिपकाये हुये हैं जिस प्रकार से बंदरिया अपने मरे हुये बच्चे को चिपकाये रहती है और सोने से अलग नहीं करती। मैं कहता हूं कि इसको हटाने में उन्हें बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है और शायद त्याग-पत्र देने के लिये तो कोई उनमें से तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

आज जनता की यह मांग है कि आप खर्च घटाइये। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो माननीय डा० अहमद साहब ने कही और उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में कौन-सा शक नजर आया। आज कौन नहीं नेहरू जी का नेतृत्व चाहता है। यह बात तो संकट काल में ही क्यों बल्कि शांति काल में ही नहीं उठती है। सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि सारी दुनियां में नेहरू जी से ऊंचा आदमी नहीं है। कौन उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहा है? लेकिन मैं यह कहता हूं कि वह स्वयं खतरा हैं जो नेहरू जी के नेतृत्व में संकट काल में भी सत्य बात न कह कर असत्य बात कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि वह भ्रम में डाल रहे हैं आपको। पर आप अचेत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज खतरे के समय में जनता के मनोबल के बराबर ही नेताओं के मनोबल की आवश्यकता है। मनोबल के लिये त्याग, सादगी और बलिदान की आवश्यकता है। उसके लिये उदाहरण भी देना होगा। मैं इन शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही कहूंगा कि सरकार इस विधेयक को इस सदन में सर्वसम्मति से पास करे और मतभेद से उसको पास करने में कोई शोभा की बात नहीं है और खासकर इस विधेयक का ऐसे वातावरण में तो पास ही नहीं करना चाहिये। बल्कि इसको शांत करना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि जितनी बातों का मुझे भय था वे ही हुईं। कल भी जब मैंने अपील की थी कि इस एकता के बने वातावरण में सरकार को द्वैत नहीं लाना चाहिये। मुझे दुख है कि मेरी अपील पर विचार नहीं किया गया। मैं सरकार की दोहाई शब्दों के (कमिटल में), पकड़ में बहुत सुन रहा हूं। मैं इस विषय पर यह जानना चाहता हूं कि उसको समुचित उत्तर कहूं या उसके उत्तर में समुचित प्रश्न। उसे मेरे पूर्व वक्ता महोदय माननीय विकल जी ने स्वयं कर दिया है कि जो सरकार अपने शब्दों का कोई मूल्य नहीं रखती वह दूसरों के शब्दों की बात करे, यह थोड़ा आश्चर्यजनक है। परन्तु मैं इन्हीं की बातों को विचार कर बात करता हूं।

श्रीमन्, एक ही बात कही जाती है कि संकट है। यह सत्य है कि संकट है। मगर हमारे दल के उप नेता ने जो आपको पत्र लिखा था कि संकट है, आप अपनी आवश्यकतायें हमको बतायें, क्या वह आपने बतायीं? मैंने भी जो पत्र यहां सदन में पढ़ा था, यह कहा था कि आप पहले यह तो बतायें कि आप संकट काल में किस खर्च के लिये पैसा मांग रहे हैं। भाषण दिया जाता है, संकट कालीन अधिवेशन कहा जाता है, पर संकटकाल अधिवेशन में आवश्यकता किस बात की है? प्रदेश की सुरक्षा के कार्य को करने के लिये आपके सामने पैसे की बाधा किस मात्रा में है? उसके लिये कोई पूरक बजट तो सामने हो। अगर वह न हो तो उसकी मोटी-मोटी बातें, उसका एक चित्र तो हमारे सामने आना चाहिये। संकट का सामना करने के लिये आज धन की आवश्यकता अगर, है तो उस धन को इकट्ठा करने में सरकार का क्या योगदान है, यह भी तो हमारे सामने नहीं आया। कहा जाता है कि हम बचत करेंगे। यह उसी तरह से है कि आइ प्रामिस टु पे, समथिंग, समवेयर, समहाऊ। हम से तो यह 'ब्लैंक चेक' चाहते हैं और स्वयं क्या करना चाहते हैं इसका पता नहीं, वह कुछ नहीं बताते।

श्रीमन्, वार फंड और अल्प बचत का रुपया भारत सरकार को जाता है, यह सही है, परन्तु आपने भी क्या कभी भारत सरकार से यह मांग की, उनसे विचार-विमर्श किया, कि उसमें हमारा क्या हिस्सा होगा? उसके बारे में कहा जाता है, विचार करेंगे। सब चीज विचार करके आती है इनके सामने कि टैक्स लगाओ। अच्छा यही मान लो कि टैक्स लगाओ। इससे कितना रुपया आपके पास आयेगा? साढ़े १३ करोड़ का बजट में घाटा है, ८–१० करोड़ के करीब आप 'इमर्जेन्सी' के नाम पर भी खर्च करेंगे तो यह सब जाकर करीब २३ करोड़ का 'डेफिसिट' होगा। इसको आप कैसे पूरा करेंगे? जो आपने टैक्स लगायें हैं, प्राहिबिशन हटाया है, इस सब से क्या आमदनी होगी, उसका भी कोई हिसाब आपने नहीं बताया? मेरा अन्दाज है कि इस सब से हमको करीब ४–५ करोड़ की आमदनी होगी और अगर यह भी मान लिया जाय कि ५ करोड़ की आमदनी इस भूमि कर से हो जायेगी, तब भी आपको १३ करोड़ का और घाटा पूरा करना होगा। यह कैसे होगा? ३ करोड़ भी मान लिया जाय आपने और बचत कर ली, फिर भी १० करोड़ का 'डेफिसिट कैसे पूरा होगा? इसका स्पष्ट चित्र हमारे सामने आना चाहिये। अगर 'डेफिसिट' है तो 'इमर्जेन्सी' के नाम पर सुरक्षित कोष (रिजर्व फंड) से लेंगे? बात यह है कि संकट नहीं है, बल्कि आपकी यह हाट हाबी है। आपकी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता स्पष्ट सामने है। आप इमर्जेन्सी के नाम पर अपनी योजनाओं के लिये रुपया चाहते हैं अन्यथा अगर वास्तविकता है कि इस समय इमर्जेन्सी है और सही रूप में पैसे की कमी है तो हमारे सामने उसका चित्र आना चाहिये। यही मांग पीताम्बर दास जी ने अपने पत्र में जनसंघ की ओर से की और यही कृष्णपाल जी ने जो पत्र लिखा, जिसका बहुत जिक्र किया गया, उसमें भी यही मांग है। मैंने भी जो यहां पत्र पढ़ा उसमें भी यही मांग है। आप हमको बताते क्यों

नहीं हैं कि आपका चित्र है क्या ? आप तो चाहते हैं कि हम आंखों पर पट्टी बांध कर आपका सहयोग देते जायं और विरोधी पक्ष केवल एक दरबारी बन कर रह जाय, जो आप करें उसके लिये एवमस्तु कह दे ।

श्रीमन्, एकोनामी के बारे में कहा जाता है । वार टाइम की एकोनामी ऐसी नहीं होती कि १० करोड़ रुपया बचाया और जेब में रख लिया । उसमें प्रायोरिटीज का प्रश्न होता है । एक जगह से बचा कर दूसरी जगह लगाया जाता है । दूसरी एकोनामी ऐसी होती है जिसके द्वारा जनभावनाओं का निर्माण किया जाता है । विकल जी की यह बात बिलकुल ठीक मालूम होती है कि जनता के मन में यह विश्वास सा जमता जा रहा है कि सरकार इमर्जेन्सी का नाम लेकर टैक्स लगाना चाहती है लेकिन अपने वृहताकार मंत्रिमंडल में कोई घटाव नहीं करती । सरकार त्याग की बात कहती है लेकिन जरा अपनी कुर्सी का त्याग करके देखें । जो आवश्यक है वह रहे और जो अनावश्यक हो उसको स्वयं छोड़ दिया जाय । वैसे आप बैलेट बाक्स के आशीर्वाद से बहुमत में हैं और अगले एलेक्शन तक आप बहुमत में रहेंगे । लेकिन आप थोड़ा त्याग का नमूना जनता के सामने रख कर दिखाइये । यह मैं मानता हूं कि आपकी तनख्वाह कम है केवल एक हजार है और उस पर इनकम टैक्स देते हैं लेकिन आप अपने सब एमाल्यूमेंट्स को जोड़ लीजिये और जोड़ कर उसमें घटाव कीजिये । आप करके तो दिखाइये अगर उसके बाद और भी पैसे की आवश्यकता होगी तो सदस्यों को भी अपने वेतन के छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन आप आगे बढ़िये ।

मुझे आश्चर्य हुआ कि डाक्टर अहमद सरीखे सुलझे हुये विद्वान यह कहें कि आलोचना के माने होते हैं आक्रमण । आलोचना मित्र की होती है और खुशामद शत्रु की होती है । शत्रु की खुशामद करके मीठा बोल कर किसने डंक मारा ? भाई-भाई का नारा लगा कर पीठ में छुरा भोंक दिया । वह मिलिटरी फ्रन्ट पर था और अब यह सिविल रूप में मित्रता का नारा दिया जा रहा है । मैं आज विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आज हमारे चाहे जितने मतभेद हों लेकिन देश की सुरक्षा के लिये हम पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा लगा कर चलते रहे हैं और चलते रहेंगे । लेकिन जो गलती होगी उसकी आलोचना करेंगे और आलोचना के माने जनतंत्र में शत्रुता के नहीं होते और मैं जो आलोचना कर रहा हूं वह मित्र के नाते कर रहा हूं । समाज की आज जो मांग है उसको यह न कहा जाय कि इससे थोड़ी सी एकोनामी होगी । मिनिस्टीरियल डिस्क्रीशनरी फंड को आप छोड़ दीजिये । यह चीज समाज के सम्मुख आती है । आज आप उसके अनुरूप एकोनामी करें और जो आज आवश्यक है उसको छोड़कर जहां आप एकोनामी कर सकते हैं वहा एकोनामी करें । वह आप अवश्य करें और उसका चित्र व उसकी रूप रेखा इस सदन के सामने लावें जिससे हम भी समझें, हम भी कंविन्स्ड हों कि हमारी सरकार सही है औरवह सही ढंग से सही रास्ते पर चल रही है । जनसंघ का यह स्पष्ट मत है कि हम किसी भी टैक्स के माफिक या खिलाफ नहीं है । आज इमर्जेंसी में देश की रक्षा के लिये आवश्यक होने पर हम तो यहां सदन में और सदन के बाहर भी खड़े होकर कहने के लिये तैयार हैं कि आज सम्पूर्ण प्रापर्टी पर टैक्स लगे लेकिन इसकी बड़ी आवश्यकता है कि आप उसकी गंभीरता को और उसकी परिस्थिति को हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखें । आप भी दिल खोल कर आवें । मुझे क्षमा किया जावे, मैं करबद्ध सबसे प्रार्थना कर लेता हूं कि तीन चार दिन के भाषणों के बाद मेरे मस्तिष्क पर यही प्रतिक्रिया हुई और जैसा कि विकल जी ने भी कहा कि यह लैन्ड टैक्स बिल एक दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में आया है और मैं तो साफ तौर पर कहने के लिये तैयार हूं कि इमर्जेंसी के नाम पर केवल राजनीतिक दांव-पेंच ही इसके अन्दर भरा पड़ा है । माननीय गोविन्द सहाय जी हंस रहे हैं, श्रीमन्, अब उनके लिये मैं क्या कहूं ? यह वे ही गोविन्द सहाय जी हैं जिनको चीन में जूते का उपहार मिला था और वे उसे यहां बड़े गर्व के साथ पहन कर घूमा करते थे । श्रीमन्, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे हंसी उन पर आती है और इस बात पर आती है कि "मुख में राम बगल में छुरी" वाले लोग हवा को देख कर रंग बदलते हैं । व्हाइट टु रेड, रेड टु पिंक और पिंक टु नेशनलिज्म, यह तो श्री गोविन्द

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

सहाय जी का इतिहास है जिससे सभी परिचित होंगें । ऐसे लोग क्या हैं, क्या यह उनके देश प्रेम की शक्ल है ? मैं क्षमा किया जाऊं, मेरे पूरब में एक कहावत है और हमारे गुरुदेव पंडित कमलापति त्रिपाठी जी पूरब के ही रहने वाले हैं, वे भी इस मसल को जानते हैं कि "गाने वाली भी सौभाग्यवती और सती बनने लगीं ।"

दूसरी चीज यह भी विचार करने की है कि इसकी उपादेयता और व्यावहारिकता क्या है । मैंने माना कि आपको इससे ५ करोड़ मिलेगा लेकिन किस मूल्य पर मिलेगा ? यह सत्य बात है कि आपका बहुमत है और अपने बहुमत के बल पर इसे पास भी करा लेंगे और हमने यह भी माना कि यह सत्य है कि आप ५ करोड़ रुपये वसूल भी कर लेंगे लेकिन यह भी देखना आवश्यक है कि उसका मूल्य क्या है । इस इमर्जेंसी के नाम पर जो सब के हृदय में एकता की भावना आ चुकी है और जिस एकता की भावना के लिये इतनी दुहाई दी जाती है, उस भावना में विच्छेद करने का श्रेय आपको ही प्राप्त है । इतना ही नहीं, यहां आज जो मतभेद है और स्पष्ट बात है और मानी हुई बात है कि मतभेद है, इस का प्रतिविम्ब समाज पर भी पड़ेगा जिस के बल पर देश की विजय की हम कामना करते हैं ।

यह भी सत्य है कि देश पर कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण पर नेता नहीं जगे हैं, पार्टियां नहीं जगी हैं वरन् जनता जगी है देश जगा है, सरकार नहीं जगी है समाज और देश की जनता जगी है और देश और समाज की भावनाओं को प्रतिविम्बित करने के लिये आज नेताओं को और पार्टियों को जगना पड़ा है । आज जनता के रोष और क्रोध से जलने के भय से बचने के लिये शंकर के त्रिनेत्र से बचने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं वह भस्म न कर दे । आज समाज का छोटा व्यक्ति जगा है जो वास्तव में समाज का बल है और जिसकी आर्थिक स्थिति आज भी सब जानते हैं कि अच्छी नहीं है । आप भी आज जानते हैं कि अन्न का मूल्य घट रहा है जिस की सारी आर्थिक कमाई अन्न से है जो उसकी खेती से पैदा होता है । उसके रोज की आवश्यकताओं के सामान का मूल्य बराबर बढ़ रहा है । किरोसीन आयल का एक संकट सा खड़ा है उस को बहुत दाम देने पर मिलता है, मैं ज्यादा ब्यौरे और आंकड़ों में नहीं जाना चाहता । मैं केवल एक इशारा मात्र करता हूं जैसे कि एक कहावत है जिस को हमारे वित्त मंत्री जी माननीय कमलापति जी जानते होंगे 'घोड़े को एड़ और समझदार को एक बात' काफी होती है ।

आज जिस का आर्थिक विकास खेती पर निर्भर है और जिस की कमर टूटी जा रही है उस पर और टैक्स लगाकर आप उस की कमर को रहा सहा और झुका रहे हैं जब कि आप उस के सामने इमर्जेंसी में आप क्या करना चाहते हैं उसकी कोई तस्वीर नहीं रखते कि किस इमर्जेंसी के लिये, किस सिविल डिफेंस के लिये, किस योजना के लिये आप उससे पैसा लेना चाहते हैं । अगर आप इस की एक कल्पना उस के सामने नहीं रखते तो आप उस के मन में एक विद्वेष खड़ा करते हैं कि क्यों आप उस से यह पैसा मांगते हैं । मैं माननीय बनारसीदास जी का आभारी हूं कि उन्होंने सही बात कही और यह सत्य है कि जिन भामाशाहों के पास आज वाकई में धन है, मैं भामाशाह उन को पैसे वाला होने के सेंस में कहता हूं मैं उन की प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं, जिन के पास आज असंख्य धन है उन का आज राष्ट्र के महान् संकट में जो सहयोग अभी तक है वह नगण्य है । जब उन से टैक्स लेने की बात कही जाती है तो यह कह कर भागा जाता है कि यह सेन्टर का मामला है, लेकिन आप और सेन्टर कोई भिन्न नहीं हैं, जो सेन्टर में शासनारूढ़ दल है वही यहां भी है और इसी दल के प्रमुख महान, नेता केन्द्र के प्रधान मंत्री हैं । तो इस तरह से एक थोथे एक्सक्यूज को लेकर कांस्टीट्यूशन की ओट में न भाग कर आप क्यों नहीं कहते कि इन पूंजीपतियों पर वारलेवी और एक्स्ट्रा प्राफिट्स टैक्स पहले लगाया जाय । आप ९९ प्रतिशत एक्सेस प्राफिट्स टैक्स और ९० प्रतिशत प्राफिट्स टैक्स उन पर लगाइये जो दे भी सकते हैं ।

मैं माननीय बनारसीदास जी की स्पष्टवादिता का आभारी हूं और उन को बधाई देता हूं कि उन्हीं ने यह बात प्रकट की कि आज जिस के पास सब कुछ है उस का सहयोग संकट की परिस्थिति

में अभी तक नगण्य है। लेकिन जिस के पास कुछ नहीं है केवल जीवन मात्र है, कोई साधन जिस के पास नहीं है वही देश की रक्षार्थ सब के आगे है। आप इस बिल को लाकर अब क्यों भगवान के वास्ते उस के मन में एक विद्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, आप समझें कि इसका परिणाम क्या होगा, ५ करोड़ पाने का मूल्य इतना न होगा जितना कि इस से समाज में और जनता में असन्तोष और विद्वेष खड़ा होगा। असंतोष खड़ा हुआ, हमारी एकता को धक्का लगा और इस आपत्ति काल में देश की रक्षा द्वैतभाव से नहीं होगी, एकता से होगी। मैं भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, आखिर वार इकोनोमी क्या होती है ? सब तरफ से हल्ला पैसा। इतने बड़े विश्व युद्ध हुये १९१४–१८ और १९३९–४५ में पैसे की चिन्ता नहीं हुई। वार इकोनोमी भी होती वार और मेटीरियल की। मनी तो फ्लो करता है। राष्ट्रों के पास पैसा नहीं रह गया तो याद दिला दूं क्रेडिट नोट्स हुये हैं। लेकिन कभी किसी राष्ट्र ने अपने युद्ध की तैयारी, अपने राष्ट्र की रक्षा की तैयारी पैसा नहीं है इसलिये नहीं कर सकते, यह नहीं कहा। उसने राष्ट्रीय रक्षा की योजनायें बनायी, चलायी और आवश्यक मैन और मैटीरियल लगाया, धन उसके पीछे आया। लेकिन यहां रक्षा की बात कहो, सिवलि डिफेंस की बात कहो तो कहते हैं धन दो। अरे बाबा धन तो आयेगा तुम योजना तो लाओ। इस प्रान्त में रक्षा का वातावरण क्या खड़ा किया ?

हमारे प्रान्त के अन्दर पी० ए० सी० है, एन० सी सी० है, ए० सी० सी है, अच्छी बात है, लेकिन ८ वर्ष का बालक उससे लेकर ८० वर्ष के बूढ़े के अन्दर मिलिटराइज करने, केवल मार्चिंग और डंडा चलाने की कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था की ? आज तक नहीं। पैसा दो तब करेंगे। पैसा तो आयेगा आप एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूकिलियस खड़ा करो। इंगलैन्ड में डनकर्क की लड़ाई के बाद न धन रह गया था न शस्त्र रह गये थे। कहां से लाये धन, कहां से लाये शस्त्र ? लैन्ड लीज आपको भी आ रहा है, भारत सरकार के सामने अपनी आवश्यकता रखिये, सुरक्षा तो एक ही है सब की। आप न कुछ करिये, डंडा भी हटाइये मार्चिन्ग ही कराओ। क्या आपने दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों, मंत्रियों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा हम सब को कोई मिलिटरी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था खड़ी की ? प्रान्त में एक वातावरण तो हो। इंगलैन्ड में जितने खाकी ड्रेस पहन कर हाउस आफ कामन्स में जाते थे क्या सब लड़ने ही जाते थे ? लेकिन वार टाइम में चर्चिल से ले कर नीचे तक सब खाकी ड्रेस में आते थे, एक वातावरण बनता है, एक विश्वास खड़ा होता है, लोगों को लगता है हां कुछ हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हमारे रक्षा कार्य में जीवन है। आज कोरे भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कोई योजना नहीं, स्टेटिक मामला है इमरजेन्सी के नाम पर राजनीतिक हथकंडे खेलते चले जांय यह अच्छा नहीं है। इसमें आन और प्रतिष्ठा का सवाल है, विचार करें और एक दूसरे की आलोचना न करें। ऐसे विवाद से आज कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज द्वैत उत्पन्न करने से क्या हमारी रक्षा होगी, हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा, क्या हमारे विश्वास होंगे ?

(लाल बत्ती जलने पर)

आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे १० मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—५ मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे १० मिनट चाहियें। आप न चाहें तो मैं बैठने को भी तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इस द्वैत का परिणाम आत्मविश्वास का हनन होगा, समाज के अन्दर संघर्ष होगा, असंतोष होगा और यह सब असंतोष, रोष और अनैतिकता लेकर हम जिस विजय की ओर जाना चाहते हैं, नहीं जा सकेंगे। यह टैक्सेशन बिल जिस दृष्टि से आप लगा रहे हैं वह उस दृष्टि को पूरा नहीं करेगा। दूसरी दृष्टि से बिचार करें कि हमारे समाज के सबसे गरीब, समार्थ्यहीन व्यक्ति किसान जिस पर यह सरचार्ज पड़ेगा तो उसकी जो लिमटेड केपिटल है

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

उस पर वह पड़ेगा । कृषि उत्पादन के भाव घट रहें हैं । पूंजी योंही संकुचित होगी । जब लिमिटेड पूंजी से और थोड़ा पैसा निकल जायगा तो कृषि के उत्पादन कार्य के लिये जो आवश्यकतायें हैं, उनको पूर्ण करने के लिये उसके पास पूरी पूंजी नहीं होगी और जब पूरी पूंजी नहीं होगी तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा नहीं, और आपका कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा तो आपके वार एफर्ट इमर्जेंसी एफर्ट असफल हो जायेंगे । इसलिये इस टैक्सेशन मेजर के जो भयानक परिणाम हैं उन परिणामों को सामने रखिये और मैं समझता हूं कि अगर इनको अपने सामने रख कर आप विचार करेंगे और देखेंगे शांति के साथ, मान, अपमान, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा की बात को अलग रख कर तो आप भी मेरी बात पर आ कर राजी होंगे कि अगर यह बिल आज न लाया जाय और सरकार इसे वापस ले ले तो वास्तविक लाभ होगा, हानि नहीं होगी ।

मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि आप बड़े हैं । आपकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है । जो जितना बड़ा होता है, जितनी ज्यादा उसकी जिम्मेदारी होती है वह उतना ही नय जाता है । बबूल में फल नहीं आते । खड़ा रहता है । लेकिन आम में ज्यों-ज्यों फल होता है त्यों-त्यों नय जाता है । आपकी महानता झुकने में है, न कि बहुमत के बल पर मनोभावनाओं को रौंदने में । आज इस एमर्जेंसी में मनोभावनाओं को रौंदना उचित नहीं है । इस दृष्टि से आप देखें, सोचें कि इसके भीषण और भयानक परिणाम, हानिकारक परिणाम होंगे । समाज की समष्टि की हानि है । इस एमर्जेंसी में जो हमारा विजय का लक्ष्य है उसकी हानि है । यह सब केवल ५ करोड़ के लिये । क्या इन मनोभावनाओं का मूल्य ५ करोड़ ही रह गया है ? आज उन हानियों को सम्मुख रख कर इस ५ करोड़ के लिये आप टैक्स लगा रहें हैं तो भी १० करोड़ का डेफिसिट रह जाता है । वह कहां से पूरा करियेगा ? आप कहते हैं कि हमारी सेविंग्स होंगीं । हमारे शार्ट फाल्स होंगे । अगर १० के होंगे तो १५ के कर लीजिये । तीन महीने में आसमान नहीं फट पड़ेगा । आपका यह टैक्सेशन मेजर अगले बजट के बाद आना चाहिये था जब कि आप सब रिसोर्सेज सामने रखते, आपके सामने एमर्जेंसी के सारे चित्र स्पष्ट होते और आप क्या कर रहें हैं और क्या करना चाहते हैं यह भी स्पष्ट होता तब आप स्पष्टतया हमसे कह सकते थे । आज केवल इमर्जेन्सी के नारे में आंख पर पट्टी चढ़ा कर लोगों को ले चलने का प्रयास मत करो ।

बहुत बार हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने और माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा कि सब लोगों ने हमसे कहा इसलिये हमने किया । २१ तारीख को जो मीटिंग हुई थी—मैं था नहीं, हमारे उपनेता आये थे उसमें जो ब्लू प्रिन्ट दिया गया था उसमें जो भी लिखा हो केवल एक वाक्य पढ़ कर मैं सुना देना चाहता हूं—

"I would request you kindly to treat this information strictly confidential and it should not be communicated either to the press or any other person".

हमारे मुंह पर ताला लगा दिया गया और हमारे बड़े-बड़े महारथी मंत्री लोग अपने राजनीतिक हथकंडे दिखाने को कि हम शुद्ध बुद्ध हैं, विरोधी पक्ष सब गड़बड़ है खूब ढोल पीटते हैं । अगर आप कहते हैं तो हमारे मुंह से भी ताला हटा दीजिये ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं एक बात पूछना चाहता हूं राजा साहब से ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—राजा साहब 'फ्यूडल' शब्द है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह फ्यूडल तो है ही और क्या प्रोलिटेरियन हैं ? स्ट्रिक्टली कांफीडेन्शल चाहे कुछ रहा हो इस बात को तो आप कह ही सकते हैं कि राजा कृष्णपालसिंह जी ने २१ तारीख वाली मीटिंग में इसको स्वीकार किया था । नहीं तो वे कह दें कि नहीं स्वीकार किया था ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं उसी बात पर आ रहा था, आप इतने रुष्ट क्यों हो जाते हैं ? मैं फ्यूडल हूं और आप भी फ्यूडल हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जितना प्रश्न है उसी पर आइये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं उसी पर आ रहा हूं । चलिये आप ही की बात मान लेता हूं एक मिनट के लिये कि उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन आप भूल जाते हैं उनका २६ तारीख का पत्र जिसमें उन्होंने अपनी बात को भी स्पष्ट किया था । शायद वह २६ तारीख का पत्र अखबारों में भी आया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं तो २१ तारीख की बात पूछ रहा हूं । २६ तारीख को तो आपका आफटर-थाट आ ही गया था ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं उसी पर आ रहा हूं । आपको तो १२ तारीख से लेना पड़ेगा, आप भाग क्यों रहे हैं । अगर एक मिनट को यह भी मान लिया जाय कि उन्होंने कहा कि हां, हो सकता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया २६ तारीख को कि हमारी ये ये बातें हैं । आप क्लैरिफिकेशन को क्यों भूल जाते हैं ? चित भी मेरी और पट भी मेरी । आप पूरी परिस्थिति पर ध्यान दें कि १२, १९, २१ और २६ तारीखों को क्या हुआ ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—और तारीखों को कोई मीटिंग नहीं हुई ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन पत्र गये मुख्य मंत्री के पास और उसमें जनसंघ का स्टैन्ड स्पष्ट किया गया । वह पत्र समाचार-पत्रों में भी आया और आज भी हमारा वही स्टैन्ड है । आपने वह नहीं किया, इसलिये हम आपका विरोध कर रहें हैं और इसलिये विरोध कर रहे हैं कि इससे समाज में द्वत खड़ा होगा । पांच करोड़ रुपया भले ही मिल जाय परन्तु इसके परिणाम बहुत खराब होंगे । अगर वास्तव में इमरजेन्सी हो तो ५ क्या १० करोड़ देने के लिये हम तैयार हैं लेकिन आप स्पष्ट आइये । इमर्जेन्सी के नाम पर आप हमसे प्लान पूरा करने के लिये पैसा मत मांगिये और उस प्लान के लिये जो असफल रही है ।

इन शब्दों के साथ, मैं फिर माननीय त्रिपाठीजी का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करूंगा । फयूडल और नाना फयूडल इन दो शब्दों से कोई अन्तर नहीं पड़ता है । यदि मैं फयूडल हूं तो श्रीमान भी हैं । इन बातों को हमें छोड़ना चाहिये । हम स्पष्ट सिद्धान्त के आधार पर आयें । क्या यह समझा जाय कि फयूडल बुद्धिहीन होता है और नान फयूडल बुद्धिमान होता है । मैं अर्ज करूंगा कि इन चीजों पर विचार शांति से किया जाय, आपस में आरोप और प्रत्यारोप न होने चाहिये और गंभीरता से विचार किया जाय कि इसका परिणाम क्या होगा और उसको मद्देनजर रखकर तब विचार किया जाय । खाली इमरजेंसी के नाम पर राजनीतिक हथकन्डे सफल करना अनुचित होगा । इसलिये इस बात की जरूरत है कि इसके दुष्परिणाम पर विचार किया जाय और मैं समझता हूं कि यदि इस पर विचार होगा तो सरकार इसको वापस लेगी जिससे समाज में बनी हुई एकता को ठेस न लगे और प्रदेश के रक्षार्थ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें । इस दृष्टि से विचार करके मैं समझता हूं कि सरकार इसको वापस लेने का निर्णय करेगी ।

* कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा प्रारम्भ में आज की बहस में हिस्सा लेने का नहीं था और मेरा खयाल था कि जिस पृष्ठभूमि में यह बिल आया है उसमें इतना वाद विवाद नहीं होगा । परन्तु इसके संबंध में जो बातें कही गई हैं और जैसा वातावरण पैदा हुआ उसमें मैं समझता हूं कि कुछ कहने की आवश्यकता है ही । जहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दसहाय]

तक इस बिल का ताल्लुक है। सभी लोगों में जितने भी बोले हैं, एक ही नीयत से दो बातें कही हैं। किसी तरह से इस देश और प्रदेश के सुरक्षा के प्रयत्नों को बढ़ाया जाय और इसमें सभी पार्टी के लोगों ने एक मत से सहयोग देने का वायदा किया है और उत्साह दिखाया है। इसलिये मसला सिर्फ इतना रह जाता है कि क्या यह कदम जो सुरक्षा के लिये जराये इकट्ठे किये जाने के लिये उठाया जा रहा है, उससे सुरक्षा के प्रयत्न बढ़ेंगे, बल मिलेगा या इसके विपरीत होगा। अगर विपरीत होगा तो सही बात है कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये। विपरीत होगा इसका अन्दाजा कैसे लगाया जाय, इसका क्या अन्जाम होगा? जहां तक मुझे मालूम है, बहुत डिटेल्स में नहीं मालूम है, पहले यह तय हुआ था कि यह बिल नहीं लाया जायगा। लेकिन इमर्जेन्सी के जमाने में, सब पार्टियों के नेताओं ने, सही बात है कि उनमें हमसे ज्यादा जोश है और जिनमें जोश है उनकी कदर करनी चाहिये और जिनको जोश था उन्होंने यह बात कबूल की कि वे इस काम में सहयोग देंगे।

आदरणीय कमलापति जी ने जो प्रश्न पूछा राजा साहब से, माफ कीजिये मैंने यह कह दिया बल्कि यादवेन्द्रदत्त जी से, उससे पता चलता है कि किसी मीटिंग में यह बात तय हुई और स्वतंत्र पार्टी के जो नेता थे उनके बारे में भावुकता का चार्ज नहीं लग सकता है और उनकी बात में वजन होता है, उन्होंने स्वीकार किया कि हमने निश्चय किया था और हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने भी ऐसा कहा और जनसंघ और प्रजा समाजवादी पार्टी के नेताओं का खयाल है कि उनके नुमायन्दों ने आगे सफाई दी तो यह सब बाकयात बतलाते हैं कि जब यह बिल बनाने की पृष्ठभूमि बनी थी तो बिल बनाने वालों के सामने यह वाकया था कि इस पृष्ठभूमि में मिल-जुल कर सब लोग मदद करना चाहते हैं, इसमें उनको भी कोई गुरेज नहीं होगा, इस तरह से बिल का आगमन हुआ। अब सिर्फ यह सवाल है कि अगर इस बिल से किसानों का मनोबल टूटता है, उनका उत्साह भंग होता है, तो इसको पास नहीं होना चाहिये और अगर नहीं टूटता है, तो इसको बरकरार रखा जाय।

मैं बिलकुल मैटर आफ फैक्ट बात करना चाहता हूं। मेरा खयाल है कि यह लड़ाई एक लम्बी लड़ाई होने जा रही है। महज चन्दों से आप लम्बी लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक उमंग होती है, आवेश होता है, लोग चन्दा देते हैं लेकिन चन्दा ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लम्बी लड़ाई का प्लान कर सकते हैं। आपको ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें हर एक आदमी किसी न किसी मात्रा में साझीदार हो। यह मान कर कि लोगों में उत्साह है और मैं विरोधी दल की बात भी कबूल करके चलता हूं कि जनता में और उनमें हमसे ज्यादा उमंग है, देशभक्ति भी है। इसको बहस नहीं। यह मानकर भी लोंग रेंज प्लानिंग के लिये आवश्यक है कि कोई हमारा ऐसा तरीका हो जिससे आम गरीब किसान उसमें सहयोगी बन सके। इसलिये मेरी निश्चित राय है कि इस बिल से इमर्जेंसी पीरियड में जो उत्साह किसानों का है, उस पर इससे बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे हो? कांग्रेस सरकार की एक राय है। पार्टी की भी एक राय है। पार्टी में एक दो आदमी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ईमानदारी से खिलाफ राय हो। लेकिन जो गवर्नमेंट चलाने का तरीका होता है, वह यही होता है, इसका रिएक्शन अपोजीशन की तरफ क्या होगा, पार्टी में क्या होगा। जब यह देखा गया कि अपोजीशन भी राजी है, स्वतः इस बात का वायदा किया है, और पार्टी भी इन हालात में राजी हैं, तो यह बिल लाया गया। मैं समझता हूं कि यह दलील कि इससे किसानों का मनोबल घटेगा, मैं इसको नहीं मानता हूं। हो सकता है कि आप का अन्दजा ठीक हो। हमारा यह कहना है कि लड़ाई की लांग रेंज प्लानिंग के लिये यह ज्यादा अच्छा तरीका है।

और भी बहुत सी बातें इस संबंध में आयीं। अपोजीशन की तरफ से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में यह मानकर चला जाता है अपोजीशन की अक्ल पार्टी इन पावर से ज्यादा तेज होती है। सोशलिस्ट दोस्तों में बड़ी उमंग है। वह आज हमको चार्ज करते हैं कि हमने १५ साल पहले कह दिया था कि हिमालय की रक्षा करो। तो उनका अन्दाजा था। इस बहस में जाने

की जरूरत नहीं। आज मजाक में कहा जाता है, हिन्दुस्तान में हिन्दी–चीनी–भाई–भाई की बात कही जाती थी। सही बात है। हम अपने हम साया के साथ भाईचारे का बर्ताव रखना चाहते हैं। और जो भाई यकीन करता है और फिर धोखा खाता है, तो वह उतना ही लड़ सकता है। जो किसी पर विश्वास नहीं करते, उनके फारतूस खत्म हो जाते हैं, खाली गुस्सा रह जाता है। हमने ईमानदारी के साथ एक नीति अपनायी, एक फ्रंट पर धक्का लगा, लेकिन दूसरे फ्रांट पर हम को सफलता मिली है। (व्यवधान) कोई इसमें एजीटेट होने की बात नहीं है। आपकी बातों को हम बड़े गौर से सुनते हैं और यह कोई आपका परिचय भी अच्छा नहीं देता कि एक आदमी की जरा सी बात अच्छी न लगी तो आप फौरन रिऐक्शन करें। यह बहुत अनडेव-लप्ड लोगों की पहचान होती है। आखिर हमें कोई दावा नहीं है और जो बातें आज हमारे लिए आप कहते हैं इतिहास उठाकर देखिए, यह बातें हो जाया करती हैं। जब कोई देश किसी एक खास चीज के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे सेट बैक होता है। आखिर अंग्रेजों का इतना बड़ा एम्पायर था, वह जर्मनी से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वक्त जर्मनी से लड़ाई हुई, उनको आपसे ज्यादा डिबैकिल हुआ। तो सरप्राइज अटैक्स में डिबैकिल होता है।

अमेरिकन्स को आप जानते हैं इतने सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं। कोरिया की लड़ाई में वह तैयार नहीं थे चीन से लड़ने के लिए, उसके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की थी उनकी प्लानिंग नहीं थी कि चीन भी कोरिया में आ सकता है। एकाएक एक रात को चाइना कूद पड़ा और अमेरिकन जैसे लोगों की सेना को भी नार्थ कोरिया से एकदम साउथ कोरिया के समुद्र तक पीछे हटना पड़ा और जो बात आज हम कहते हैं वही बात अमेरिकन जनरल कहने लगे कि चाइनीज तो बिलकुल चीटियों के झुंड की तरह आने लगे। तो इस तरह से सरप्राइज अटैक्स हुआ करते हैं और उसमें इस तरह के सेटबैक्स होते हैं। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमको झटके लगे। एक फ्रंट पर झटका लगा, दूसरे फ्रंट पर गैरमामूली मदद हमको मिली। गैर मामूली से मतलब है इस चाइना इंडिया कान्फ्लिक्ट के अन्दर वर्ल्ड में जितने पुराने सोचने के ढंग थे आप देखेंगे उनकी बुनियादें तक हिल गईं। अमेरिका और पाकिस्तान का मिलिटरी एलाइनमेंट था, चाइना और रशा का मिलिटरी एलाइनमेंट था। मिलिटरी एलाइनमेंट के माने होते हैं कि अगर एक पर हमला होता है तो दूसरा फौरन उसकी मदद के लिए आये। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी बुनियादें हिलने लगीं। आखिर ६२ मुल्कों ने खुलकर हिन्दुस्तान का साथ दिया। आखिर अगर मिलिटरी फ्रंट पर आपको कामयाबी नहीं हुई तो कोई कारण तो होगा, कोई प्रेशर तो है कि जब चीन आसाम में आ जाता है, जब चाय के बगीचों और तेल के जखीरे पर उसकी निगाह पड़ जाती है उसके बाद कोई प्रेशर तो है कि वह मजबूर होता है पीछे जाने के लिए। आज आप चाहे जो कुछ कहें कि यह नीयत थी या वह नीयत थी लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात आपसे करता हूं। इसमें बहुत से अनुभव लोगों को हुए हैं, बहुत से मिसकैलकुलेशंस हुए हैं। हमको भी मिसकैलकुलेशन हुआ है। पाकिस्तान को भी हुआ है और चाइना को भी हुआ है।

श्री यादवेन्द्रदत्त––आपको भी हुआ है ?

श्री गोविन्दसहाय––आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं है। मेरी आपके बारे में बड़ी अच्छी राय है और मैं पहले ही कह चुका कि यह खसलत कोई अच्छी नहीं है। (व्यवधान) अभी तो आपका नम्बर आयेगा। जो बेसिक फैक्ट्स हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस लड़ाई में आप देखिए मिसकैलकुलेशंस किसे नहीं हुए पाकिस्तान ने मिलिटरी एलाइनमेंट किया। आप सारी प्रोसीडिंग्स उनके यहां की पढ़ लीजिए। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे यहां की गवर्नमेंट ने बड़ी गलती की कि मिलिटरी एलाइनमेंट की पालिसी को अख्तियार किया। हमको न्यूट्रलिज्म को अपनाना चाहिए। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हिन्दुस्तान वाले होशियार रहे कि जब चाहा अमेरिका को भी प्रयोग कर लिया और जब चाहा रूस को भी प्रयोग कर लिया। चाइना को मिसकैलकुलेशंस हुए कि उसके इस वार एफर्ट में दुनिया के तमामकम्युनिस्ट

[श्री गोविन्दसहाय]

मुल्क उसकी मदद करेंगे । क्यूबा में लड़ाई होगी, रूस उधर फंसेगा और हम इधर अपने एम्पायर को बढ़ा लेंगे या जो भी उनके सोचने का ढंग रहा हो, उसके अनुसार कर लेंगे । लेकिन हम देखें कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो कि बड़ा ही रेजिमेंटेड वर्ल्ड होता है, फ्री वर्ल्ड में तो ऐसा हो भी जाता है कि कभी अमेरिका एक तरफ हो जाय और इंगलैंड दूसरी तरफ हो जाय, लेकिन कम्युनिस्ट वर्ल्ड में इतना रेजिमेंटेशन होता है कि वहां कभी डिवीजन नहीं होता है । आप देखें इस मसले पर डिवीजन हुआ । (व्यवधान) अरे साहब, आप तो लीडर हैं । आप तो जिम्मेदारी से बात कीजिए । आप भड़कते क्यों हैं ? (व्यवधान) मुझे आश्चर्य यह है कि आप लोग जब बोलते हैं तो कोई आदमी भी अगर हमारी तरफ से गुस्सा करता है या गलती करता है तो उसको पकड़ा जाता है, बैठाया जाता है । क्योंकि आप वार में जाना चाहते हैं और लम्बी लड़ाई है तो उसमें गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है और गुस्से का सबसे पहले असर अक्ल पर ही होता है । इसलिए उससे कुछ फायदा नहीं है । आप एजीटेट क्यों होते हैं ? आखिरी आपकी बात होती है, आपको मौका मिलता है । उसको भी शान्ति से लोग सुनते हैं । कल भी इस पर डिबेट है । आप कृपया शान्ति से सुनें । जो बातें उठाई गई हैं उनके ऊपर मैं हार्ड फैक्ट्स ही कह रहा हूं । आज मैं आपसे कहता हूं कि हम आपोजीशन के आभारी हैं और सब लोगों के आभारी हैं कि इस मौके पर सब लोगों ने सहयोग का वादा किया है और जनता के ऊपर हमको फख्र है । अभी ४ साल पहले हमारे देश के अन्दर एक मसला पेश था कि यहां पर कम्युनिज्म बढ़ रहा है । यहां पर नेशनलिज्म कैसे लाया जाय, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस किस्म की उमंग और उत्साह हिन्दुस्तान में कामन मैन में आज दिखाई दे रहा है । इससे पता चलता है कि हमारे लोगों में राष्ट्रीयता भी बहुत है । वक्त के ऊपर उठना भी जानते हैं । एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह जरूर हो सकता है कि इतना उत्साह जो आज पैदा हो गया है अगर उस उत्साह को हमने ठीक से प्रयुक्त नहीं किया तो वह तलखी में परिणत हो सकता है । इसलिये हम सब को अपना दिमाग उस तरफ लगाना चाहिये कि जो उत्साह पैदा हो गया है उसको कैसे प्रयोग किया जाय । इसमें सब का सहयोग मिलना चाहिये ।

जहां तक पोलिटिकल पार्टीज का सम्बन्ध है, मैं इस मामले में अपना सिर नवाता हूं और मानता हूं मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब आप वार एफर्ट्स की बात करें तो उसमें सही माने में एकता होनी चाहिये । एकता के माने यही हैं कि जो हमारी पालिसी और प्रोग्राम है उसमें भी आपका हमको सहयोग मिले । अगर आप हमारे वार एफर्ट्स में हमको सहयोग देते हैं तो हम यह समझते हैं कि हमारी हर पालिसी और प्रोग्राम में आपकी मदद है । अगर ऐसा नहीं है तो फिर एकता का नाम सिर्फ रह जाता है । इससे लोगों का मनोबल तैयार नहीं होता । मिसाल के तौर पर मैं दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा अनुभव हमको बतलाता है कि आज के जमाने में पिछड़े हुये राष्ट्रों को अपनी विदेशी मुद्रा सुदृढ़ करने के लिये और विदेशों से सामान खरीदने के लिये सोने के लेने की जरूरत है । चुनांचे हमने उसी वजह से लोगों से सोने के बारे में अपील की और लोगों से कहा कि जो सोना घरों में रखा है वह राष्ट्र के काम नहीं आता है और आपकी हिफाजत भी नहीं करता है बल्कि उसकी हिफाजत खुद उनको करनी पड़ती है तो उस सोने को अपनी तिजोरियों से निकाल कर सरकार की तिजोरियों में दो । वहां पर वह सुरक्षित रहेगा और हमारे देश के काम भी आयेगा । लेकिन इस विषय में हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि यह बहुत गलत कदम है । इसमें हम सहयोग नहीं देंगे । यह तो स्त्री धन है । आप स्त्री धन को लेना चाहते हैं । यह धर्म के विरुद्ध काम किया जा रहा है । इसमें धर्म पर हमला किया जा रहा है । अगर इस प्रकार से किया जाय तो फिर हमारे प्रोग्राम के साथ आपकी एकता नहीं रहती है । यदि यह कहा जाय कि इसमें हम मदद करना चाहते हैं तो फिर वह बात सही नहीं मालूम होती । एकता का मतलब नहीं रह जाता है.....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—कहां से आपने कोट किया कि जिसने यह कहा हो कि यह स्त्री धन है इसको नहीं देना चाहिये । यह धर्म के विरुद्ध है । हम जानते हैं

कि हमारी स्त्रियों ने सोने का अपना मंगल सूत्र तक उतार कर दे दिया है। उसको आपने नहीं कहा।

श्री गोविन्दसहाय---राजा साहब, अभी आप इस सोसायटी में बिलकुल नये हैं। आपको पता नहीं है कि जो आपकी पार्टी का आर्गन है उसने ही यह लिखा है आप मसलहतन पहुंच गये कितरतन नहीं, इसलिये मैं आपसे शिकायत नहीं करता हूं। फिर भी जो मसला पेश किया गया उसमें उससे कोई मदद नहीं मिलती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या आप कृपया उस आर्गन का नाम बता सकते हैं?

श्री गोविन्दसहाय---वह आर्गनाइजर अखबार है। और आपके पास मैं उसकी वह कापी भेज दूंगा। एकता जो है वह महज ऐसी नहीं कि वह एक तरफ कहने से हो गई। एकता का मतलब होता है कि जो वार एफर्ट्स हैं, और जो हमारी पालिसीज हैं उनमें एकता होती है या नहीं; ऐसा नहीं कि जैसी स्पीच अखबारों में देखने में आती हैं। उन स्पीचों में नीचे से ऊपर तक तारतम्य नहीं होता है, जैसी कि इस सदन में स्पीचें होती हैं। बहुत से हमारे कांग्रेस पार्टी के मेम्बर भी कई साल से इस किस्म की स्पीच देने में माहिर हो गये हैं। पहले वह कहते हैं कि मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आगे यह गड़बड़ है वह गड़बड़ है और फिर बाद में वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही रुख और स्पीचेज यहां रहीं। वैसे तो लीडर नालायक हैं, और हमने १२ साल पहले कहा था, वह १५ साल पहले कहा था, लेकिन खैर, हम मदद करना चाहते हैं। अगर आप १० कतरे अमृत में १ कतरा जहर मिला देते हैं तो अमृत का असर खत्म हो जाता है। अगर हम मदद करना ही चाहते हैं तो उस एक कतरा जहर को हमें खुद ही पी जाना चाहिये। इससे कोई वातावरण नहीं बनता, कोई मनोबल नहीं बनता, इससे लोगों में कोई धारणा नहीं बनती। आप जिस मनोबल की बात करते हैं उसके लिये जरूरी है साइकालाजिकल ट्रान्सफारमेशन और उसके लिये जरूरत है कि आपका रूख अगर मगर का न हो। हां, गलती की जहां तक बात है, हम उसके लिये दावा नहीं करते कि सारी अकल हमारे ही पास है।

मैंने देखा है कि मिलिटरी फंड्स पर बड़े बड़े माहिर मुल्कों के अंदाजे गलत निकल जाते हैं। यह एक मिस्ट्री है। चाहे अंग्रेजी अखबारों में देखिये अथवा किन्हीं और में हर लेख के आखिर में एक लाइन निकल जाती है कि आखिर चीन का मलतब इस हमला करने से क्या है यह निश्चित नहीं हो पाता। अगर वह यह समझता है कि वह सैनिक शक्ति से हिन्दुस्तान पर हुकूमत कर सकता है तो यह महज मिड समर मैडनेस है। अगर हम कमजोर भी हैं तो कम्युनिज्म के खिलाफ तो इतने खुदायी खितमतगार पैदा हो गये हैं कि जान दे देंगे, लेकिन उसे पनपने नहीं देंगे। अगर हिन्दुस्तान कमजोर भी है तो वर्ल्ड फोर्सेस का एलाइनमेंट ऐसा है कि जिसकी वजह से चीन हिन्दुस्तान पर हमला करके कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम को सबक मिला। लड़ाई भले ही न हो, लेकिन लड़ाई न होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि कभी हो नहीं सकती। जितने अमरीकन प्रेस हैं उन्होंने भी यह अंदाजा लगाया है कि चीन की स्ट्रेटेजी बोल्डर की तरह हिमालय पर बैठने की है। हम लिमिटरी फ्रन्ट पर एक दम तैयार नहीं थे। हमारी स्ट्रेटेजी यह होनी चाहिये कि हम पहले उसे पूरा करें और मुस्तैदी के साथ।

सवाल यह है कि मिलिटरी फ्रन्ट पर तैयारी के लिये क्या क्या काम करने पड़ते हैं। मेरा खयाल है कि पहले दो, तीन काम बहुत जरूरी हैं। एक सिपाही जो फ्रन्ट पर लड़ता है उसके पीछे १०० आदमियों को काम करना पड़ता है। राजा साहब ने जो कुछ जिक्र किया उस संबंध में मैं थोड़ी बहुत मेरी भी जानकारी है। दुनिया के जितने भी मिलिटरिस्ट हैं यह उनका फारमूला है मिलिटरी प्रीपरेशन के लिये एक सोल्जर के पीछे १०० आदमी रहते हैं। अगर आप सारे देश का मिलिटराइजेशन कर दें, तो बात दूसरी है लेकिन मैं उसे अच्छा नहीं समझता। उससे लड़ाई में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। हमको चाहिये कि किसान, मजदूर, राइटर सब को तैयार

[श्री गोविन्द सहाय]

रखें और सबसे बड़ी चीज, जिसका जिक्र जनसंघ के उपनेता महोदय ने किया मनोबल है। उसको मैं भी काफी महत्व देता हूं। मेरा खयाल है कि फौजों की तैयारी से ज्यादा, हथियारों से ज्यादा वह काम करता है। अगर मनोबल टूट जाता है तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। फ्रान्स का पतन १४ दिन में इसीलिये हो गया था कि उसका मनोबल टूट गया था और उसके लिये सबसे बड़ी चीज है पराजय का वातावरण पैदा करना और उसके लिये पहली चीज है सिम्बल पर अटैक करना। लड़ाई के जमाने में तो करोड़ों आदमी सीमित हो जाते हैं एक आदमी में। तो हमारे देश में जो यह मदद की बात है यह खुशी की बात है और मैं उसका आदर करता हूं। अपने से जो काबिल हैं उनका आदर करता हूं और कम से कम एक बात के लिये तो उनको हमारा आभारी होना चाहिये कि कम से कम आजादी के जमाने में इतना लाभ तो उनको हुआ ही है कि जिनकी अक्ल और जबान कभी खुलती नहीं थी वह अक्ल और जबान काफी तेज हो गयी है। कम से कम इतना तो मैं समझता हूं कि फायदा उनको हमारे पहले आपरेशन से हुआ है। इसलिये बड़ी खुशी की बात है। आज जो भी सहयोग देना चाहे उसका स्वागत है।

एक बात और कहूंगा कि पहले अगर किसी प्रकार भी लोग सोचते थे तो यही कि यदि लड़ाई हुई तो पाकिस्तान से ही होगी। आप इस संबंध में अखबार उठा कर देख लीजिये। मैं कहता हूं कि उस वक्त चीन कहां था।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---आचार्य कृपालानी कह रहे थे।

श्री गोविन्दसहाय---खैर, वे कह रहे थे। लेकिन उनकी हर बात तो मुझे नहीं मालूम हो सकती है। वह यह भी शायद कह रहे हों कि वारफ्रंट किस तरह होगा। खैर, यह तो कैलकुलेशन की बात है।

श्री रामायणराय---आप कृष्णा मेनन साहब को भूले जा रहे हैं।

श्री गोविन्दसहाय---देखिये, जहां तक कृष्णा मेनन का ताल्लुक है वह एक क्लोजज्ड चैप्टर है। वह प्रश्न नहीं होना चाहिये। वह बात यहां पर नहीं उठानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---अभी मेनन साहब का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। सोमवार को बहस होगी।

श्री उग्रसेन---अभी शास्त्रार्थ होगा उस पर खुल कर।

श्री गोविन्दसहाय---मैं यह कहूंगा कि २ बातें यहां पर उठाई गई हैं। एक तो यह कि माननीय जनसंघ के नेता ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि इस सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह जनता की अपने में आस्था पैदा करने के लिये अपनी मिन्सिट्री का साइज कम करे। मेरे खयाल में सारी बातों का मतलब यही था। यह हो जाने पर उनको कोई आपत्ति नहीं रहेगी। यह मामला बड़ा एम्बेसिंग है। लेकिन इस संबंध में एक आफर जरूर कर सकता हूं कि अगर यह मसला सिर्फ इतनी ही बात पर अटक गया है और रुक गया है तो मैं आपसे यह वायदा करता हूं कि यदि आप यह विश्वास दिला लें कि जब तक लड़ाई चलेगी तब तक आप सब सरकार की मदद उसकी सारी प्रोजेक्टों में करेंगे बिना सीन मेक किये हुए, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे बहुत से साथी आपको ऐसे मिल जायेंगे जो कि वालन्टेरीली रिजाइन कर देंगे। लेकिन आप सब पहले मिल कर एक बात तय कर लें कि मामला केवल यहीं पर रुकता है। यदि आपकी तसल्ली केवल इसी बात से होती है तो मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इस पर एतराज नहीं होगा। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि मैं पहला आदमी

होऊंगा जो कि बगैर किसी अगर मगर के रिजाइन कर दूंगा । मैं हट जाऊंगा बिना किसी शर्त के ।

(व्यवधान)

यदि आप इकानामी वाकई में चाहते हैं तो वह हो सकती है । अभी आप मिनिस्ट्री की बात करते हैं और फिर आप मुलाजिमों को कम करने की बात करेंगे । असली बात तो यह है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं । यह पोलिटिकल नस्ल के लोगों में कमजोरी होती है कि वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं । आप कल को कहेंगे कि यह ऐसेम्बली भी बेकार है इसको भी खत्म कीजिये । लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि आप को यह तय करना है कि जो एक चीन जैसे टोटलाइटेरियन देश ने भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश पर हमला किया तो आपको यह तय करना है कि आप उसका सामना जनतन्त्र कायम रखते हुए करेंगे या उसको खत्म करके करेंगे । यदि आप टोटलिटेरियन खुद भी बन जाना चाहते हैं तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता है । लेकिन यदि आपको जनतंत्र को कायम रखना है तो ऐसी बात और खास कर वार के जमाने में नहीं करनी चाहिये । आपको मालूम होगा कि वार के समय काम बढ़ता है । लोग भर्ती किये जाते हैं, उत्पादन बढ़ाया जाता है । तो इसके लिये आदमियों की जरूरत होती है । यदि वह नहीं होंगे तो काम नहीं होगा । इसलिये ऐसी बात करना मिथ्या है कि मिनिस्ट्री का साइज कम कर दिया जाय । वार के लिये यह कहा गया है कि वार इज ए प्रोसेस आफ वेस्टेज एन्ड डिस्ट्रक्शन बोथ । आपकी सरकार है आपको उनसे काम लेना है । वार में हजारों लाखों काम बढ़ जाते हैं तो उसको सुपरवाइज करने के लिये मशीनरी तो आपको चाहिए ही । इसका असर मुझ पर यही पड़ता है कि इसमें इतनी विवेक की बात नहीं है जितनी कि उसमें झुंझलाहट की बात है । लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि यह सब चीज हमारे चीफ मिनिस्टर के लिये मुश्किल नहीं है, वह हो सकता है, अगर आप और आप दोनों पार्टीज मिल कर जो मैंने अभी कहा उसको तय कर लें । वार के टाइम में डिस्ट्रक्शन भी होता है वेस्टेज भी होता है, दूसरी ओर एफीसिएन्सी भी बढ़ानी होती है, और एकोनामी भी करना पड़ती है । इस खयाल से जो भी सुझाव आयेंगे आपकी तरफ से उन पर विचार किया जायेगा और जितना सम्भव होगा काम किया जायेगा । कोई भी सिम्बालिक सुझाव आपकी तरफ से आयेगा तो हमें आप पीछे नहीं पायेंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि इस नाजुक वक्त में आप वातावरण को विषाक्त न करते हुये ऐसी आबोहवा पैदा करेंगे जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले जब लैंड बिल आया था उस समय परिस्थितियां दूसरी थीं, तब हमारी स्वतंत्र पार्टी ने पूर्ण विरोध किया था । आज जब देश के ऊपर संकट उपस्थित हो गया है तो परिस्थितियां भी दूसरी पैदा पैदा हो गयी हैं । आज की परिस्थिति में हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने इस बिल का समर्थन किया है और अपना सहयोग प्रदान करने का वायदा किया है पर कुछ शर्तें के साथ । इस २५% की एक एक पाई सुरक्षा कोष में खर्च होगी; यह बिल केवल एक वर्ष को ही होगा ।

मान्यवर, आज देश की परिस्थितियों को देखते हुये यह स्पष्ट है कि चीन के हमले से मुकाबला करने के लिये हमें एक लम्बी लड़ाई की जरूरत होगी । इसके लिये हमें हर प्रकार की सुरक्षा का प्रबन्ध करना होता है । और सुरक्षा के लिये हमें तीन बातों पर ध्यान देने व खर्च करने की जरूरत होती है—पहला डिफेन्स पर, दूसरा एग्रीकल्चर पर, तीसरा इन्डस्ट्रीज पर । डिफेन्स का सम्बन्ध सेन्टर से होता ही है पर र ज्यों से भी होता है । इसके बाद हर प्रदेश का काम अपने यहां प्रोडक्टीविटी कांशसनेस को बढ़ाना है क्योंकि संकट काल में प्रोडक्टीविटी कांशसनेस के वातावरण बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है । युद्ध में एक सिपाही के पीछे १० सिपाही तथा सभी आवश्यक सामान की आवश्यकता होती है । देश को खाद्यान्न में स्वनिर्भर होना जरूरी होता है सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि पहले वह अपनी ओर से कुछ त्याग दिखाये । उसके बाद ही वह दूसरों से उसके लिये कह सकते हैं । ऐसा अगर हुआ होता , और विरोधी पार्टियों की तब कुछ आलोचना होती तो ठीक होता । आज सरकार

[श्री विजयसिंह]

यह मिसाल पैदा नहीं की---यथा राजा तथा प्रजा। कई महीनों से यह संकट काल चल रहा है और अब तक सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं दिखाई जैसा कि पंजाब सरकार ने यह प्रोपोजल रखा कि हम कैबिनेट को छोटी रखेंगे। माननीय गोविन्द सहाय जी ने अवश्य यह कहा है कि हम स्वेच्छा से अपने से रिजाइन कर सकते हैं अगर यह बात तय हो जाय कि विरोध न होगा। देहात में आज जनता हर तरह से सहयोग के लिये तैयार है और बड़ा सहयोग दे भी रही है। सरकार ने यहां किसानों पर यह लेवी लगाई है वहां धनपतियों पर भी कुछ किया होता, जिन्होंने किसानों का ही पैसा इकट्ठा कर रखा है, या ऐसा कोई बिल आया होता, जिससे उनसे भी धन ले लिया गया होता और फिर भी कमी की पूर्ति को यह बिल आता तो यह समझा जाता कि अब सरकार के पास और साधन नहीं रहे हैं, इसलिये किसानों के ऊपर लेवी लगाने की बात आई है। यह ठीक है कि परमानेंट साधनों की आवश्यकता है पर इसके लिये कई अन्य साधन हो सकते हैं पर इस लेवी को तो तभी उपयोग में लाया जाना चाहिये था जब और सब साधन समाप्त हो जाते।

मान्यवर, एक बात और है। जैसा अभी माननीय विकल जी ने कहा, कि देश का भामाशाह किसान जागरूक है पर करोड़पति भामाशाह जागरूक नहीं है। हमारे यहां जालौन में २० नवम्बर, ६२ को माननीय सहकारिता मंत्री जी ने भी कहा था कि धनीमानी लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, पैसा उस गरीब जनता ने ही दिया जिसने समझा कि आज हमारा देश संकट में है और हमारे ही नौजवान लड़के देश की रक्षार्थ लड़ रहे है। बड़े बड़े धनपति चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने दिया भी तो कारपोरेशन की या कम्पनी की ओर से, जिसमें १०,१५ रुपया ही उनके हिस्से में पड़ा होगा। इसका भी कोई कारण हो सकता है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सोने की अधिक आवश्यकता है। ठीक है। गरीब किसानों ने अपने गले के कंठे और कानों की बालियां उतार कर दी हैं। स्त्रियों ने अपने सुहाग के तिलक भी दिये हैं। लेकिन कानपुर जैसे शहर के धनपतियों ने जिनके पास १००-१०० और २००-२०० सोने के थालों के सेट मौजूद हैं, वे नहीं लिये जा रहे हैं। गरीब जनता को ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से तमाम करों को देना पड़ता है, चाहे वह खाने का सामान खरीदे या कपड़ा खरीदे या यात्रा करे।

मान्यवर, सरकार में स्वयं सहयोग की भावना कम है। वह क्यों नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाती? यह सोचा जा सकता है कि संभवतः विरोधी दल के लोग यह चाहते हैं कि वे भी सरकार में सम्मिलित हों। परन्तु ऐसा नहीं है। आप नेशनल सरकार बनाइये, और मंत्रिमंडल कम कीजिये। अंग्रेजी काल में केवल ३ मिनिस्टर ही होते थे, आप दुगुना कर लीजिये। मेरा सुझाव है कि आप इस विषय में सन् ४८ के आधार पर आ जावें। जब आप ऐसी मितव्ययिता दिखायेंगे तो आपकी कोई आलोचना नहीं कर सकेगा। और आप एक मिसाल पेश करेंगे उससे सभी को प्रेरणा मिलेगी।

मान्यवर, इस विधेयक से केवल ५ करोड़ रुपया आने की बात है जैसे इलेक्शन में हम और आप करोड़ों रुपया चन्दा कर लेते हैं केवल पार्टीज के आधार पर, तो उसी प्रकार जैसे इलेक्शन में १० या १५ करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाता है वैसे ही अगर सरकार चाहती है तो यह पैसा आ सकता है। प्रदेश के सभी लोगों ने सहयोग की भावना व्यक्त की है। पर सरकार अपने अन्दर कुछ पालिटिकल करप्शन का भाव अवश्य रखे हुए है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं लगता कि वह भी अपना सहयोग देना चाहती है। सरकार ने अपने विभागों में जो बेकार के हैं तथा डुपलीकेशन में है उस डुप्लीकेशन तक को नहीं हटाया है। एग्रीकल्चर विभाग तथा सिंचाई विभाग की मिसाल मैं देना चाहता हूं कि जैसे एक चीफ मिनिस्टर होता है वैसे ही एक हैड आफ दि डिपार्टमेंट होना चाहिये। उसमें ५ और ६ डाइरेक्टर्स हैं। एक रेगुलर ऐग्रीकल्चर डाइरेक्टर एक हार्टीकल्चर डाइरेक्टर, और फिर एडीशनल डाइरेक्टर लाइंट डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर (एक्सटेंशन) है। यह एक्सटेंशन डाइरेक्टर

और भी एक नयी बात चली है। यह यू० एस० ए० नकल है। इसमें एक सज्जन केवल उर्दू में एम० ए० हैं और कृषि विभाग में एक्सटेंशन डाइरेक्टर हैं। यह है सरकारी घांधली। इसी प्रकार सात-सात चीफ इंजीनियर है जहां केवल एक ही होना चाहिये था। यह है सरकार की मितव्ययिता। मान्यवर इसमें जो डायरेक्टर्स बने हुये हैं वे अपने विषय के एक्सपर्ट भी नहीं है। हो सकता है कोई एम०एस० सी० हो लेकिन अपने विषय का माहिर नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपको जो पैसा इस समय इकट्ठा करना है वह उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आप इलेक्शन के समय में करते है। आपको प्रदेश में प्रोडक्टिविटी कांशसनेस के बढ़ाने और खर्च घटाने की तरफ खास तौर से ध्यान देना है। तो जिस प्रकार एग्रीकल्चर विभाग में मैंने डुप्लीकेशन बताया वैसा हर विभाग में है अगर उनको कम कर दिया जाय तो समझा जाय कि सरकार ने कोई आवश्यक कदम उठाया है। यह बात अवश्य सरकार की ओर से हुई है कि इमरजेंसी पीरियड में लोगों के काम करने का समय १/२ घंटा बढ़ा दिया गया है। जो केवल एक तमाशा है लेकिन सबसे अधिक आवश्यक बात यह होती कि लोगों पर काम का लोड बढ़ाया जाता। आप काम के सिस्टम को तब्दील करें। एमर्जेन्सी पीरियड में सुबह ७ से ९ तक ट्रेनिंग दें। बाद में १२ बजे से ५ बजे तक काम लें और काम का लोड प्रति व्यक्ति बढ़ायें। आपकी टाइम बढ़ाने की स्कीम से अधिक काम नहीं होगा यह मेरा निश्चय है। सरकार अपने अन्दर यह दृष्टिकोण पैदा करे वर्ना दिखावे से काम नहीं चलेगा।

इस बिल के संबंध में मैं पहले कुछ आपस में सभी पार्टियों में तय हुआ था लेकिन बाद में परिस्थिति दूसरी आ गयी, यह समय की बात है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन सरकार कभी कभी नहीं पर सदैव हठ कर जाती है। और इसकी मिसाल यह है कि वह २५ प्रतिशत किसानों के लगान पर ही बढ़ा रही है और उससे सरकार को ५ करोड़ रुपया ही मिलेगा। यह तो एक छोटी सी बात है उस पर हठ करना उसी प्रकार है जैसे एक कहावत है। एक आदमी किसी न किसी बात पर अपनी स्त्री को रोज पीटना ही चाहता था। कोई न कोई बहाना जरूर निकाल लेता था। चाहे वह उसके इच्छानुसार कोई काम कैसा ही क्यों न करे। कभी वह चारपायी अन्दर बिछाती तो कहता बाहर क्यों नहीं बिछाई। एक दिन उसने कोई कमी किसी काम में नहीं रखी और चारपायी अन्दर भी बिछाई और बाहर भी बिछाई। कहीं उसको कोई मारने की गुंजाइश नहीं दिखायी दी तो बाहर जब लेटा हुआ था बोला कि यह ऊपर आकाश में क्या है। उसकी स्त्री ने कहा कि यह आकाश गंगा है। इस पर इन्द्र का रथ चलता है। बस वह कहने लगा कि अगर रात को इधर से इन्द्र का रथ आया और उसका पहिया खिसक गया तो मेरे ऊपर गिर जायगा और मेरा सिर टूट जायेगा और उसने इसी बात पर अपनी स्त्री को पीट दिया। इसी प्रकार सरकार का इस टैक्स को लाने का हठ है। माननीय जेड० ए० अहमद डाक्टर साहब ने कहा कि इससे राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, किसान के अन्दर भी उससे चेतना आयेगी लेकिन उसके साथ साथ और वर्गों पर भी ऐसा होना चाहिये था सरकार अपने समर्थकों की बात भी नहीं मानती। तो किसान का लड़का भी फौज में जा रहा है और धन भी दे रहा है। इसलिये सरकार को पहले अपनी मिसाल पेश करनी चाहिये थी जिसका सभी लोग अनुकरण करते। इससे इस आपत्तिकाल में सब का सहयोग हो जाता और देश का मनोबल बढ़ता ही जाता। इन शब्दों के साथ अन्त में दुख प्रकट करते हुये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवचरण (जिला आगरा)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोशलिस्ट पार्टी के नेता, श्री उग्रसेन जी के संशोधन पर बोलूंगा और बढ़ती हुई मालगुजारी का विरोध करूंगा। अभी मुझे सूचना मिली कि आपत्तिकालीन अधिवेशन हो रहा है लेकिन यहां आने के बाद मैंने वही बीमारी देखी जो पहले यहां थी जिसके खिलाफ हजारों आदमियों को जेल में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवचरण]

बन्द कर दिया गया था। एक एक महीने के लिये हमारे साथी बाहर निकाले जाते थे और वही बीमारी हमें यहां आकर मिली। बाद में माननीय मंत्री जी ने इमरजेंसी की स्थिति पैदा होने की वजह से इस बिल को वापस लेने की घोषणा की। इस बात को सुनकर हम लोगों ने अपने जिले में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घोर प्रचार किया कि किसानों पर जो डेढ़ गुना लगान बढ़ रहा था वह समाप्त हो चुका।

किसान का बेटा देश की रक्षा के लिये हर बलिदान करने के लिये तैयार था और स्वतः ही देश की सुरक्षा के लिये सोना, चांदी व पैसे देने को तैयार है और तैयारी कर रहा है और दे रहा है। वह अपना खून भी दे रहा है और यहां तक कि एक गांव की नयी ब्याहिता पुत्र बधू ने अपना सारा जेवर उतार कर देश की रक्षा के लिये दे दिया। मेरे जिला आगरा में तहसीलदार ने, चौधरी मुख्तान सिंह, एम०एल०ए० ने और मैंने मिल कर अपने यहां से ८ लाख रुपया वसूल करने की योजना बनायी थी लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक तहसील एतमादपुर से ८ लाख रुपया वसूल कर देश की सुरक्षा के लिये देना तय किया है। हर गांव गांव में घूम कर हमने देश की रक्षा के लिये धन एकत्रित किया है और कर रहे थे लेकिन अचानक अखबारों से यह मालूम हुआ कि सरकार किसानों पर मालगुजारी बढ़ा रही है, आबपाशी बढ़ा रही है। इसे सुनकर किसानों में एक लहर सी दौड़ गयी और वे कहने लगे कि आप लोग हमें दिवा-स्वप्न ही दिखा रहे हैं, अब हमारे ऊपर लगान क्यों बढ़ने जा रहा है? श्रीमन्, प्रत्येक ब्लाक से डेढ़ लाख रुपया एकत्र करने की हमारी योजना थी लेकिन क्या मालगुजारी बढ़ने पर किसानों का मनोबल कमजोर नहीं होगा, क्या उनकी ताकत कम नहीं होगी और उसका साहस कम नहीं होगा? फिर अब किस मुंह को लेकर हम उनसे चन्दा वसूल करने जायेंगे? वे तो कहेंगे कि २० रुपया हमने लगान दे दिया और ५ रुपया देश की रक्षा के लिये चन्द दे दिया, अब क्यों दें? बी०डी०ओ० तहसीलदार और सारे सरकारी कर्मचारी कार में बैठ कर इलाके में जाते हैं और उसी के साथ साथ हमलोग साइकिलों पर जाते है। अगर वे सब भी साइकिलों पर जायं तो उसका प्रभाव गांव के किसानों पर अच्छा पड़ेगा। किसान अभी भी देश की रक्षा के लिये सब कुछ करने को तैयार है लेकिन २५ परसेंट मालगुजारी बढ़ाने की बात सुन कर किसानों का साहस टूट रहा है।

भारत मां की बलिवेदी पर और भी खून बहाना है,
देश न बने गुलाम चीन का, वीरों तुम्हें बचाना है,
भारत की सीमा के ऊपर बाज रही रणभेरी है,
नेफा और लद्दाख दुष्ट ने चौतरफा से घेरी है।
रण के दूल्हा बनो चलो रण माहि, मरो मति देरी है,
भारत के भट सुभट करो चट, मारि शठन की ठेरी है,
भारतवीर यह भूमि वसुन्धरा, धब्बा नहीं लगाना है,
देश न बने गुलाम चीन का वीरों तुम्हें बचाना है।
खटिया पड़ कर जो मरता है, मांस काग नहीं खाते हैं,
रणभूमि में मरे स्वर्ग हो, वीरगति को पाते हैं,
उन माता को धन्य कि जिन ऐसे बेटों को जनम दिया
देश की सेवा में धन, दौलत शरीर को अर्पण किया।
जनम लिया सो मरे, देश में ही फिर मर जाना है,
देश न बने गुलाम चीन का, वीरों तुम्हें बचाना है।
इसी देश में पृथ्वीराज की, गौरव भरी कहानी है,
स्वाभिमान सम्मान शेर की युग युग रहे निशानी है।
चन्द कवि ने पृथ्वीराज की ताकत का वर्णन किया,
नेत्रविहीन बहादुर के कर धनुष वाण जब दे दिया।

चार बांस चौबीस गज और अंगुल अष्ट प्रमाण है,
एते पर सुल्तान विराजै, मति चूकै चौहान है।
शब्द सुना चट वाण चला गौरी का बना निशाना है,
देश न बनै गुलाम चीन का, वीरों तुम्हें बचाना है।
इसी देश में टीपू की तलवार भी झंकारी थी,
इसी देश में झांसी वाली रानी भी हुंकारी थी।
इसी देश में वीर शिवा ने, दुश्मन को ललकार दी,
इसी देश में राणा ने शत्रु को करारी हार दी।
यह इतिहास, शिव चरन वीरों तुमको फिर दुहराना है,
देश न बने गुलाम चीन का, वीरों तुम्हें बचाना है।

"धोखो भयो चीन की यारी में, ओछे की प्रीति बुरी है,
हिन्द चीन भाई भाई में भूला हिन्दुस्तान,
उत दुश्मन लद्दाख पर करे सड़कों का निर्माण।
लागे रहियौ लड़िबे की तैयारी में। ओछे की प्रीति।
चाऊ चीन कुलीन था किया भारत ने सम्मान,
दुनिया की पंचायत में हो चाइना का स्थान
कमी न राखी शिष्टाचारी में।
धोखो भयो चीन की यारी में ओछे की प्रीति बुरी है।
दगाबाज की दोस्ती बन गई जी का जंजाल,
चाऊ धोखेबाज का यह पंचशील का जाल,
भरा निकला सथरा मक्कारी में।
धोखो भयो चीन की यारी में ओछे की प्रीति बुरी है।
फूल सम जिथर के बनाया जिसे गले का हार,
वह बनि बैठा नाग अब हमें डसने को तैयार,
झूठा चूको नहीं गद्दारी में।
धोखो भयो चीन की यारी में ओछे की प्रीति बुरी है।
सोने की चिड़िया रहौ सदा हमारो देश,
भारत बाग है हड़पिये दुश्मन की नजर विशेष,
गीदड़ धसै नहीं फुलवारी में।
धोखो भयो चीन की यारी में ओछे की प्रीत बुरी है।
आवै मौत सियार की भागि गांव को जाय,
चींटी चीन के पर जमे सोवत सेर जगाय,
बसरिना अंतिम जीत हमारी में,
धोखो भयो चीन की यारी में ओछे की प्रीति बुरी है।
तुम्हीं गदा बनि भीम की तुम अर्जुन के वाण,
बहै 'शिवचरन' चीन लंक में घुसि जाउ बनि हनुमान,
आगी देऊं चाऊ की सिरदारी में।
धोखो भयो चीन की यारी में ओछे की प्रीति बुरी है।"

आज किसान मजदूर और उस का बच्चा देश की रक्षा के लिये तैयार है। हमारी, मंत्री जी से अपील है कि वह इस बिल को वापस ले लें। हम भी उत्साह के साथ किसानों में जाकर सब कुछ कर रहे हैं और पैदल हम गांवों में डोल रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिये हमें सब कुछ बलिदान करना चाहिये। किसान उसके लिये तैयार है

[श्री शिवचरण]

लेकिन अगर वह इस मालगुजारी के इजाफे की बात सुन लेगा तो हमें कठिनाई होगी। हमने किसान को उत्साहित किया है और कहा कि "देश न बने गुलाम चीन का वीरों तुम्हें बचाना है।"' अगर आप इस तरह से किसानों पर मालगुजारी बढ़ायेंगे तो उन का उत्साह रुक जायगा उसका साहस खत्म हो जायगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस विधेयक को वापस ले लें।

*श्री रक्षपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पिछली बार इस सदन से सेशन समाप्ति पर गये थे और उस समय जो यहां वातावरण था उसी प्रकार का वातावरण पैदा करने वाला यह बिल फिर विचारार्थ आ गया है, उस का नाम अवश्य बदल गया है और आपतकालीन उसको बताया गया है, वही बिल, वही किसान, वही प्रदेश की ७५ प्रतिशत जनता पर असर डालने वाला विधेयक आ गया है। जैसे ही पिछली बार जोतकर विधेयक वापस हुआ था तो किसानों में एक लहर दौड़ गई थी, उन में एक जिन्दगी की लहर छा गई थी और उस के फलस्वरूप इस आपतकालीन स्थिति में हम ने देहातों में जाकर किसानों से बात की तो उन में एक उत्साह, की भावना और बलिदान करने की इच्छा थी।

परन्तु एक मंडल की बैठक में हम लोग बातचीत कर रहे थे। वहां यह प्रश्न आया कि फिर से लगान बढ़ने जा रहा है। वहां गांव के प्रधान ने ५०० रुपये एकत्र कर रखे थे और एक किसान ने १०० रुपये दिये थे। उनके मुख से यह सुन कर फौरन मुख से निकल गया लगान बढ़ने वाला है। अब हम रुपया नहीं देंगे और न रुपया इकट्ठा करायेंगे। तो यह भावना पैदा होती है। तो सरकार ५ करोड़ रुपया इसके जरिये एकत्र करके जिस भावना को बना रही है, उससे जो वातावरण बिगड़ेगा उसके बाद १० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी सरकार अच्छा वातावरण नहीं बना सकेगी। जो किसान आज सिपाही देता है, खून देता है अगर उसके सामने यह लगान बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जायगा तो उसका अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है।

दूसरे लोगों पर कर लगाने के लिये सरकार कहती है कि उसे अधिकार नहीं है। क्या विधान सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सदस्यों की तनख्वाहों में कमी कर सके? हम स्वयं आदर्श उपस्थित करें। यह प्रदेश तो आदर्श के पीछे चलने वाला है। जितने पेशे करने वाले लोग हैं, वकील है, व्यवसायी वर्ग है, नौकरी पेशा है सरकार ने उन पर किसी पर टैक्स नहीं लगाया। लेकिन किसान जिसकी आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है उस पर वह टैक्स लगाने जा रही है। जोतकर विधेयक में तो ८ एकड़ पर छूट भी थी लेकिन इसके जरिये तो छोटे से छोटे किसान पर भी कर लगेगा।

इसके अलावा बी०डी०ओ०, ए०डी०ओ०, लेखपाल किसान के पास चन्दा जमा करने जाते हैं। सीमेंट किसान लेने जाता है तो उससे चन्दा वसूल किया जाता है। रोडवेज के स्टेशन पर टिकट लेने जाता है तो उससे चन्दा वसूल होता है वर्ना पीछे ढकेल दिया जाता है। फिर अधिक बचत योजना भी सरकार की देहात में ही अब अधिक चलाई जा रही है।

आज मनोबल की बात कही जाती है। देश में जो चीनी ऐजेंट मौजूद हैं वे छिपे रूप में प्रदेश में काम कर रहे हैं। डाक्टर जेड०ए०अहमद ने बड़ी खूबसूरती से भाषण दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की जो परिषद् है उसका पैमफ्लेट सबके पास बटा हुआ है। उसे जरा पढ़ें उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें कहा गया है कि देश और प्रदेश की मेहनतकश जनता पर बहुत कर लगे हुये हैं। अब उन पर किसी तरह का और बोझ न पड़े। उसमें कहा गया है कि विधान परिषद् तथा विधान सभाओं में जो विधेयक प्रस्तुत हैं इस तरह के, उन्हें वापस ले लिया जाय। यही डाक्टर जेड०ए० अहमद और इनके साथी कम्युनिस्ट देहात में जा कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहेंगे, हमने तो यह पर्चा बांटा है लेकिन कांग्रेस ने कर लगा दिया। इस तरह वे सरकार और किसान के बीच भ्रम पैदा करेंगे। यहां वह यह चाहते हैं कि इस विधेयक को पास करवा दिया जाय जिससे जनता में भ्रम डलवा कर सरकार की नीतियों में अड़ंगा लगाया जा सके। उस पर्चे में यह भी कहा गया है कि बाहर से हथियार मंगाने के उनकी पार्टी विरुद्ध नहीं है लेकिन व्यवसायिक आधार पर बिना शर्त के मंगाये जायं तो ठीक है।

अमेरिका और इंगलैन्ड जो हमारे मित्र हैं उनका बिना पैसे के हथियार देना उनको खलता है। तो इस तरह का प्रचार यह कम्युनिस्ट देहातों में करते हैं। कहते हैं कि १८ फीसदी रिजरवेशन जिन हरिजनों को दे रखा है उनको फ्रंट पर लड़ने के लिये क्यों नहीं भेजा जाता। बड़े-बड़े पूंजीपति जो हैं उनसे सरकार पैसा वसूल क्यों नहीं करती ? इस तरह का षड्यंत्र रच कर ये कम्युनिस्ट विषाक्त वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि कुछ भ्रम और चापलूसी में आकर हमारे कांग्रेसी भाई भी तालियां बजाने लग जाते हैं। यह काम तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अनेक वर्षों से किया, हमारे प्रधान मंत्री को भ्रम में डाला और लोक सभा में भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्णामेनन के समर्थन में तालियां बजा बजा कर उनको कम्युनिस्ट विचारधारा का बनाया। उनको अब हटाया गया, लेकिन अगर तीन साल पहले पंडित नेहरू ने यह किया होता तो नेफा में हमको पीछे न हटना पड़ता। हम तो विरोधी पक्ष का जो काम है जनसंघ वह करेगा और सरकार को सचेत करेगा और हमें प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री ने उन बातों को मानना भी शुरू कर दिया है। आज देश में उतना मनोबल किसी अन्य चीज से नहीं पैदा हुआ जितना उन मंत्री को हटाने से पैदा हुआ।

हमारे जेल मंत्री विदेश यात्रा कर के आये हैं। मैं उनको कम्युनिस्ट विचारधारा वाले तो नहीं कहूंगा लेकिन सोशलिज्म में विश्वास करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनसंघ के आरगन में– मैं यह बता दूं कि यह बिल्कुल गलत है, जनसंघ का कोई आरगन नहीं है–शार्ट टेम्पर की बात लिखी है, हालांकि स्वयं उन्होंने बीच में टोका और माननीय कमलापति त्रिपाठी ने भाषण के बीच में टोका। उन्होंने हम सब को कहा कि पूरा सपोर्ट करो, अगर मगर के साथ नहीं लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम यह नहीं करेंगे।

हमारा प्रदेश नैपाल और तिब्बत की सीमा से मिला हुआ है। इन कम्युनिस्टों ने बाराहोती आदि ६ स्थानों पर पहले से ही गड़बड़ी कर रखी है। इसलिये हमको सतर्कता बरतनी है और देश के गद्दारों के ऊपर वाच करते हुये अपने देश को आगे बढ़ाना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इसको वापस लें।

*श्री मुल्तानसिंह (जिला आगरा)––उपाध्यक्ष महोदय, मालगुजारी बढ़ाने वाला जो विधेयक पेश है मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय उग्रसेनजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो सवाया लगान बढ़ाया जा रहा है मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो वैसे ही इकट्ठा हो जाता। माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा था अपने भाषण में कि अगर लगान बढ़ाने से नुकसान होता है और चन्दे से फायदा होता है तो वैसा ही सोचा जायगा, लगान बढ़ाने की जरूरत नहीं है। श्रीमन्, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि सवाया लगान जो आप लेने जा रहे हैं मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी से, जब तक लड़ाई चलेगी, मैं सवाया नहीं बल्कि ड्योढ़ा देता रहूंगा और ऐसे ही हर विधायक दे सकता है। अगर सरकार यह समझे कि मैं यों ही कह रहा हूं कि इसके लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुलतान सिंह]

एक लाख रुपये की जमानत देने के लिये मैं तैयार हूं। ६ माह तक इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय क्योंकि इनको ३३ फीसदी वोट मिले और ८० फीसदी जनता पर यह टैक्स लगाया जा रहा है। श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी ने अपने भाषण में यहां अपोजीशन के नेताओं की ओर संकेत करते हुये यह कहा है कि जिसकी बात का ठिकाना नहीं उसके बाप का ठिकाना नहीं नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने नहीं कही। मैंने खाली यह कहा कि जिसकी बात का ठिकाना नहीं, उसके बारे में क्या कहूं।

श्री मुलतानसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, जोतकर विधेयक को.....

श्री बलवानसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इस बात को साफ कर दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने यह कहा कि जिनकी बात का ठिकाना नहीं, उनके बारे में क्या कहूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप लोग मतलब जो चाहे निकालिये। लेकिन उनका कहना है।

श्री मुलतानसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं।

श्री मुलतानसिंह---अच्छा, दो मिनट ही सही। पिछले सैशन में जोत कर विधेयक को यह कह कर पोसपोन किया गया था कि इस संकटकालीन समय में यह विधेयक नहीं लिया जायगा। लेकिन उसके एक महीने के बाद माल मंत्री जी फिर से इस विधेयक को ले आये हैं और सदन के सामने किसानों पर कर लगाने का प्रस्ताव रख दिया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी का बाप मर गया तो उसकी मां ने अपने पति रेवती के मरने के बाद देवकी से विवाह कर लिया और फिर उसका नाम रेवती कर दिया। यह हैं असली बाप की औलाद के कारनामे। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान की मालगुजारी बढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---देखिये, पढ़ने का कायदा नहीं है।

श्री मुलतानसिंह---बल्कि किसान पर जो लगान है वह भी माफ करना चाहिये। आप अमीरों पर टैक्स नहीं लगाते हैं और गरीबों पर टैक्स लगाते हैं। आप नहीं लायेंगे तो कोई दूसरा लायेगा। लेकिन दोमुंही बात नहीं करनी चाहिये, गरीबों के साथ और अमीरों के साथ और। आप लगान किसान से लेते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि माल विभाग का नाम बदल कर दंड विभाग कर दिया जाय और माल मंत्री का नाम भस्मासुर रख दिया जाय। अगर लगान बढ़ाया तो किसान विधान भवन को अन्याय भवन कह कर पुकारेगा और जो लगान लगाने के समर्थक हैं उनको हिरण्यकश्यपु और राक्षस कह कर पुकारेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मुलतानसिंह---कुछ विधायक महोदय छिपे शायद बैठे हैं जैसे द्रोपदी का चीर जिस समय खिंच रहा था उस समय भीष्म पितामह जैसे महारथी.....

श्री उपाध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया। बैठ जाइये।

श्री मुलतानसिंह---एक मिनट और दे दीजिये। अत्याचारी दुर्योधन के सामने उस समय खड़े थे। लेकिन उसका विरोध इसलिये नहीं कर सके क्योंकि उस अत्याचारी का अन्न खाते थे इसी तरह से दुर्योधन रूपी गुप्ता जी के राज्य में दबे लोग चुप बैठे हैं और किसान रूपी द्रोपदी का चीर खींचा जा रहा है। इससे इस प्रदेश का किसान और उसका बच्चा-बच्चा त्राहि-त्राहि कर रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को वापस ले लें वरना बहुत गम्भीर और बुरे नतीजे निकलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---अब हम उठते हैं। कल साढ़े दस बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
७ दिसम्बर १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

जिलों की सूची जिनमें चकबन्दी क्रियायें आंशिक रूप से समाप्त हो चुकी हैं—

क्रमसंख्या	जिले का नाम	क्रमसंख्या	जिले का नाम	क्रमसंख्या	जिले का नाम
१	सहारनपुर	१५	पीलीभीत	२९	उन्नाव
२	मुजफ्फरनगर	१६	फर्रुखाबाद	३०	रायबरेली
३	मेरठ	१७	इटावा	३१	सीतापुर
४	बुलन्दशहर	१८	कानपुर	३२	हरदोई
५	अलीगढ़	१९	फतेहपुर	३३	खीरी
६	मथुरा	२०	इलाहाबाद	३४	फैजाबाद
७	आगरा	२१	मिर्जापुर	३५	गोंडा
८	मैनपुरी	२२	जौनपुर	३६	बहराइच
९	एटा	२३	गाजीपुर	३७	सुल्तानपुर
१०	बरेली	२४	बलिया	३८	बाराबंकी
११	बिजनौर	२५	गोरखपुर		
१२	बदायूं	२६	बस्ती		
१३	मुरादाबाद	२७	आजमगढ़		
१४	शाहजहांपुर	२८	लखनऊ		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

व्यक्तियों का नाम जिन्हें भूमि दी गई	दी गयी भूमि का क्षेत्रफल	अन्य भूमि का क्षेत्रफल जो उनके पास है।
१—शिवपूजन	२.०००	१.७७०
२—शिवनाथ	०.८८०	१.७७०
३—चौथी	०.७८४	३.७४७
४—मगरू	०.६००	१.२२३
५—रज्जू	०.६००	०.३८०
६—राम लाल	१.०००	०.३५८
७—राजदेव	०.५६०	२.८९५
८—रादवर	०.२६५	१.७७०
९—शिवनन्दन	०.५६०	१.३२९
१०—श्रीपत	०.५००	३.८५९
११—बरसाती	०.५००	०.२२३
१२—चैइत्र	२.०००	५.६६१
१३—रामदास	१.०००	२.०२१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

ग्राम	फसल	खेत नम्बर जिसमें गलती पाई गई है	मालिक का नाम
खरिहनिया	खरीफ	१५	जैप्रकाश, शिवप्रसाद ।
आलापुर	खरीफ	९५	शिवपूजन, शिवनाथ, राम दुवार ।
आलापुर	खरीफ	१०२	टूड़ी, बालगोविंद रेखा खुशी, मुखलाल शोभा ।
आलापुर	खरीफ	११०/१	शक्ल ।
वल्दापुर	खरीफ	८३	गुनराज व बुद्धन
वल्दापुर	खरीफ	७२।१/१	गांव समाज
वल्दापुर	खरीफ	७२।१/२	गांव समाज
वल्दापुर	खरीफ	७२।१/३	गांव समाज
आलापुर	रबी	८३	देवनरायन

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

खीरी जिले की मुहम्मदी, लखीमपुर तथा निघासन तहसीलों के कलेक्शन विभाग में स्थायी और साल भर वाले अमीनों और साल भर वाले चपरासियों की कुल संख्या २४४ है। उनमें से १७ हरिजन हैं। तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है—

नाम तहसील	तादाद अमीन	हरिजन अमीन	तादाद चपरासी	हरिजन चपरासी
लखीमपुर	४६	१	४६	५
मोहम्मदी	४५	..	४५	४
निघासन	३१	३	३१	४
योग ..	१२२	४	१२२	१३

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उतर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

क्रम-सं०	ग्राम सभा/पाठशाला	धनराशि जो दी गई	किसके द्वारा धन-राशि दी गई	धनराशि जो बाकी है	दिनांक जिसमें दी गई	भवन की स्थिति	धनराशि क्यों बाकी है	न बनने वाले भवन की धनराशि का क्या हुआ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		रु०	रु०	रु०				
१	धरनीपुर बिसया ..	३०००	३००० डी०पी०सी०	२५०	१६-१०-६१	करीब करीब पूर्ण	पूर्णरूप से निर्मित होने पर दिया जायगा।	अंतरिम जिला परिषद् के कोष में है।
	(भूतपूर्व राजकीय) ..	१०००	५०० पहले					
			२५० जिला परिषद्		१-५-६१			
२	रीवा विशुनपुर (डी०वो०)	२४००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२८-८-६१	पूर्ण हो गया	..	..
३	कयामुद्दीन गोरा	२०००	डी०पी०सी०जिला	कुछ नहीं	२८-७-६१	पूर्ण हो गया	..	..
		२०००	परिषद् १०००पहले		..			
			५००		३१-३-६१			
			५००		३१-३-६२			
४	छांऊं (इस्लामियां) ..	२५००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	३०-११-६१	पूर्ण हो गया	..	..
५	मकदूमपुर (भूतपूर्व राजकीय)	३६००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२८-८-६१	पूर्ण हो गया	..	..
६	मगरांवा (डि०वो०) ..	२९००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	७-८-६१	पूर्ण हो गया	..	..
७	सरसेना लहवरिया (मकतब)	३६००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२८-७-६१	पूर्ण हो गया	..	..
८	शिवराजपुर (डी०वो०) ..	२०००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२८-७-६१	पूर्ण हो गया	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

९	रानीपुर रजमी भू०रा० ..	२०००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२६-६-६१	अभी कार्य आरम्भ नहीं है। बड़े माडल का भवन बनाना चाहते हैं। अतिरिक्त अनुदान की प्रतिक्षा है	..	प्रधान के पासबुक में जमा है।
१०	जहनियांपुर (डी०वो०) ..	१५००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२८-९-६१	निर्माण हो रहा है	.. .. ..	
११	गम्भीरपुर (डी०वो०) ..	२०००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२५-७-६१	अभी कार्य आरम्भ नहीं जमीन विवाद ग्रस्त	..	प्रधान के पासबुक में जमा है।
१२	अरारा (डी०वो०) ..	१५००	,,	कुछ नहीं	१०-१०-६१	कार्य आरम्भ नहीं। बरसात के कारण आवागमन की असुविधा	..	प्रधान के पास जमा है।
१३	सुरजनपुर (डी०वो०) ..	२५००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	३०-११-६१	कार्य आरम्भ नहीं भूमि विवाद ग्रस्त।	..	सामान खरीद कर रक्खा है।
१४	उमरी गणेशपुर (६१,६२)	२५००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	३०-११-६१	कार्य आरम्भ है	..	शेष रकम पासबुक में जमा है।
१५	फैजुल्लापुर (६२,६३)	२०००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२८-९-६१	निर्माण हो रहा है	..	..
१६	विसहम (मकतब) ..	२५००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	३०-११-६१	कार्य आरम्भ है		..
१७	परशुरामपुर (सहायता प्राप्त)	२०००	डी०पी०सी०	कुछ नहीं	२६-६-६१	कार्य आरम्भ नहीं। वरसात में आवागमन की असुविधा	..	प्रधान के पासबुक में जमा है।
१८	आंवक (डी०वो०)	१०००	जिला परिषद्	कुछ नहीं	१५-११-६१	पूर्ण हो गया है।	..	..
			५००		३१-३-६२	..	..	..
			५००		..	..		
१९	जमालपुर (इस्लामियां) ..	१०००	जिला परिषद्	कुछ नहीं	पहले	पूर्ण हो गया ..	..	
			७५०		८-१२-६१			
			२५०	..	..			

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६९ पर)

दिनांक ६-१२-५९ को नैशनल इन्टर कालेज, भोगांव (मैनपुरी) के अध्यापकों द्वारा प्रेषित ज्ञापन में मुख्य-मुख्य मागें

कार्यवाही जो की गई

१--अध्यापकों के वेतन की कटौती उनकी इच्छा के विरुद्ध न की जाय ।	जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने प्रबंधक तथा अध्यापकों के आपसी मतभेदों को दूर करा कर समझौता करा दिया ।
२--कालेज के अनेक अध्यापकों को उचित ग्रेड समय ग्रेड, अतिरिक्त कार्य का भत्ता अथवा समय से प्राविडेन्ट फंड कटने में अनियमितता न की जाय ।	
३--प्रबंधक द्वारा अध्यापकों में दलबन्दी उत्पन्न न की जाय, इत्यादि ।	

विधान भवन

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

जिला नैनीताल में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६१–६२) में खुलने वाले प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों की तालिका

मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल

१—प्रेमपुरलोशग्यानी
२—धपोला
३—विदरामपुर
४—हल्द्वानी चोछी
५—गंगापुर कबदल
६—हल्दूचोर दिनी
७—चार्याल सुयाल
८—देवपुर कुरिया गांव
९—गुल्जारपुर बंकी
१०—देवला मल्ला
११—चन्दनी चावलधुरदौरा
१२—हरीपुर थतोला
१३—काटबांस
१४—पनियाली
१५—रतनपुर फार्म नं० ३
१६—फुल संगी
१७—क्वेरापानी
१८—कुलेटी
१९—रतनपुर फार्म न० २
२०—शक्ती फार्म नं० २
२१—सेलालेख
२२—गैरखाल
२३—लेतीबंगा
२४—मोतीपुर खुशालपुर
२५—खेमपुर हल्का गेवुवा
२६—शिवपुर बैलजुरी
२७—लालकुवां
२८—गंगापुर चैथरियावाला
२९—स्योराजपुर
३०—जुरखा
३१—गुलारबाज
३२—झगड़पुर
३३—रामपुरा संका

कन्या जूनियर बेसिक स्कूल

१—मुखतेश्वर
२—दमुवाधुंगा बंदोबस्ती
३—खेरा
४—कालाढुंगी
५—खातिमा
६—लोहियाहेड
७—दराऊ
८—रामेश्वरपुर

लार्ज साइज जूनियर बेसिक स्कूल बालकों के स्कूल

१—शिधांन
२—शिंधान
३—रामपुर रोड
४—लखुआ (रामनगर)
५—पुराना आबकारी (रामनगर)

बलिकाओं के स्कूल

१—शिंधान
२—शांति निकेतन विद्यालय, नैनीताल ।
३—काठगोदाम ।

जिला नैनीताल में तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष (१९६२–६३) में खुलने वाले जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों के स्थानों के नाम

मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल

१—हिम्मतपुर
२—सैंजनी
३—कनकपुर
४—जाकरपुर
५—बैरिया दौलत
६—मुकन्दपुर

बालिकाओं के स्कूल

१--हरिपुर बच्ची

२--गदरपुर

३--केलाखेड़ा

४--मडुवाखेड़ा

५--नानक भत्ता

६--सुयालखेत कमोली

७--करनपुर

८--बैतालघाट

लार्जसाइज जूनियर बेसिक स्कूल

बालक

१--जूनियर बेसिक स्कूल, तल्लीताल ।

बालिका

१--जूनियर बेसिक स्कूल, विजिटर्स होम, तल्लो ताल ।

२--जूनियर बेसिक स्कूल बद्रीपुर, हल्द्वानी ।

३--सुदामल जूनियर बेसिक स्कूल, काशीपुर ।

बालिका जूनियर हाई स्कूल

१--टनकपुर (राजकीय विद्यालय)

२--वाजपुर (आनुदानिक आधार पर)

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

नाम थाना	तादाद मुकदमा गांजा, भांग, शराब आदि मादक वस्तु	तादाद मुकदमा सजा	तादाद मुकदमा रिहा	पेंडिंग
शिवरतनगंज ..	.. ६	६	..	..
महराजगंज ..	.. ३०	३०	..	..
सलवन ..	.. ४	४	..	.
डलमऊ ..	.. १३	१२	१	..
मोहनगंज ..	.. २०	२०	..	..
जगतपुर ..	.. ८	८	..	..
मुस्तफाबाद ..	.. १७	१७	..	..
कोतवाली ..	.. ७९	५७	२२	..
बछरावां ..	.. ३४	२१	१०	३
गुरुबख्श गंज ..	.. २९	२०	७	२
सरेनी ..	.. ९	६	२	१
लालगंज ..	.. २१	१५	२	४
नसीराबाद ..	.. १३	१०	३	..
योग ..	२८३	२२६	४७	१०

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७३ पर।)

पटवारी एसोसिएशन, कुमायूं डिवीजन की मांगें

प्रस्ताव १

कुमायूं डिवीजन में पटवारी पोस्ट १-४-१९५६ से पेन्शनेबल हो गई है किन्तु कुमायूं डिवीजन में पटवारी जब तक छुट्टी पर जाता है तो उसे वेतन नहीं दिया जाता है। अतः यह कमेटी निवेदन करती है कि पर्वतीय पटवारी को अन्य सरकारी स्थायी तत्समय कर्मचारियों की भांति वर्ष भर में सवैतनिक अवकाश दिये जाने की कृपा की जावे।

प्रस्ताव २

कुमायूं डिवीजन में पटवारी ६०-१।।-९० रुपये वेतनक्रम पर है जब कि तत्सम अन्य विभागीय कर्मचारियों का ६०-४-८०-५-१२० आदि वेतनक्रम है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जहां पटवारी जमीन के अलावा पुलिस, सिविल, फारेस्ट आदि का काम भी करता ह, उसका वेतनक्रम बहुत कम है। अतः वेतन एवं वार्षिक बढ़ोत्तरी दोनों में वृद्धि की जाने की कृपा की जाय।

प्रस्ताव ३

पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी को इस महंगाई के युग में भी कुली गोशवारा लम्बे अरसे से बराबर १५ रुपये ही मिलता है। अतः कुली गोशवारा एलाउन्स १५ रुपया मासिक से बढ़ा कर ४५ रुपया मासिक किये जाने की कृपा की जाय।

प्रस्ताव ४

जिन पट्टियों में चौकी नहीं हैं, पटवारियों को वहां चौकियों का प्लान के अनुसार बना दिये जायं और जब तक चौकी तैयार होती है तब तक ४ रुपये मासिक किराया जो पटवारी को मिलता है, में वृद्धि की जाकर १५ रुपया मासिक की जाने की कृपा की जाय ताकि पटवारी को पूरी एकोमोडेशन मिल सके।

प्रस्ताव ५

पहाड़ी क्षेत्र में पटवारियान को आने जाने में बहुत असुविधा है अतः हार्स एलाउन्स (घोड़े का भत्ता) दिये जाने की कृपा की जाय।

प्रस्ताव ६

इस क्षेत्र में पटवारियों को प्रमोशन केवल सीनियारिटी पर ही होता है। कार्य-दक्षता पर कोई विचार नहीं किया जाता है। अतः ५० प्रतिशत स्थान कार्य-कुशल पटवारियान के सुरक्षित किये जाने की कृपा की जाय।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

संबंधित कार्य का टेन्डर जनवरी, १९६१ में तखमीना बनते ही मांग लिया गया था पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण तखमीने को संशोधित करना पड़ा था और फिर प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार से टेन्डर्ड रेट पर कार्य करने की स्वीकृति लेनी पड़ी थी। तत्पश्चात् ठेकेदार से बांड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया किन्तु उसने लगभग एक मास बाद हस्ताक्षर किये। अतः बांड की स्वीकृति ४-८-६१ को प्रदान की गयी।

१ मार्च, १९६२ को पीस वर्क एग्रीमेन्ट इसीलिये बनाया गया कि तत्संबंधित कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके और बांड बनाने में होने वाला विलम्ब उसमें बाधक न हो।

गिरधारी लाल,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८० पर)

बाढ़ से क्षतिग्रस्त नवानगर, मनियर तथा पन्दह ब्लाक को दी गई सहायता का विवरण

ब्लाक का नाम	मुफ्त सहायता जो दी गई					तकावी	मालगुजारी जो स्थगित की गई	मालगुजारी में जो छूट दी जायेगी
क्रम-संख्या	गृह सहायता	राशन	दियासलांई	नमक	मिट्टी का तेल			
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		म०से०छ०		म०से०छ०	म०से०छ०	रु० न०पै०	रु०न०पै०	रु०न० पै०
नवानगर ब्लाक (९१ ग्राम)	२,७२५·००	२९–३–१२	२९७	९–३६–८	२–२८–०	१७,८६०·००	५२,४६३·१२	५०,८१६.६३
पन्दह (८३ ग्राम)	.. ..	४–५–०	८३	१–१२–४	०–३५–०	७७०.००	६८००५.२३	४५,११७.२७
मनियर (१२५ ग्राम)	.. १,८८५·००	५४–१०–०	६३२	१२–२५–८	७–३९–८	१,४७५.००	५४४००.६७	८६,३६२.२५

लेजिस्लेटिव सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

	तहसील	दुरुस्ती कागजात के कुल मुकदमे	मुकदमे जिनमें अमल-दरामद के आदेश जारी हुए	तहसील-दारों द्वारा निर्णीत मुकदमे	परगना-धीशों द्वारा निर्णीत मुकदमे	दाखिलखा-रिज के कुल मुकदमे	मुकदमे जिनमें अमल-दरामद के आदेश जारी हुए	तहसील-दारों द्वारा निर्णीत मुकदमे	परगनाधीशों द्वारा निर्णीत मुकदमे
१९६१–६२ का का वित्तीय वर्ष	फतेहपुर	२६५	१२	..	२६५	१,२६७	१९७	६५	१,२०१
	बिन्दकी		३९				१७६		
	खागा		१७५				७९७		
चालू वर्ष का १९६२–६३..	फतेहपुर	१२२	२०	..	१२२	१,२०५	२६८	३१	९९४
	बिन्दकी		२०				१६४		
	खागा		२९				५२६		

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

FROM

THE DIRECTOR OF EDUCATION, U. P.,
EDUCATION (I-2) SECTION,
ALLAHABAD,

TO

THE DISTRICT INSPECTORS OF SCHOOLS,
UTTAR PRADESH.

No. I(2)/334/XXXI—139(2)/1961-62. *Dated May* 30, 1961.

Subject—**Scheme no. 6 "Opening of 180 large size Junior Basic Schools for Boys and 290 for Girls in urban areas under the Third Five-Year Plan of the Educational Development of the State during 1961-62.**

SIR,

I HAVE to invite a reference to D.O. no. OSD(M)/B-2/320, dated April 27, 1961 and to say that under Scheme no. 6 of the Third Five-Year Plan of the Educational Development of the State, Government have approved the opening of 180 large size Junior Basic Schools for boys and 290 for girls in urban areas during the year 1961-62. The district-wise break-up showing the number of Junior Basic Primary Schools to be opened in each Nagar-Palika or Maha Nagar Palika during the year 1961-62 is given in the enclosed statement. These schools will be opened from 1st August, 1961. The details of the expenditure for seven months, i.e. from 1st August, 1961 to 28th February, 1962 for each school for boys and girls are given below separately.

Large size (five teachers) Junior Basic Schools for boys

Recurring

(*a*) One Head teacher in the scale of Rs.51—66 (Pay + P.F. and D. A.)at the rate of 476 per unit.

(*b*) Two trained Assistant teachers in the scale of Rs.41—56 (Pay and P.F. and D.A.) at the rate of 396 per unit.

(*c*) Two untrained teachers at Rs.36 per mensem at the rate of 358 per unit.

(*d*) Contingencies at Rs.20 per teacher (i.e. Rs.100 per school).

(*e*) Rent or repairs at Rs.15 per teacher per month for five teachers, i.e. Rs.75 per mensem per school.

(*f*) Additional D.A. at Rs.5.50 nP. per month per teacher.

Non-recurring

Equipment at Rs.200 per teache, i.e. Rs.1,000 per school.

Large size Junior Basic School for Girls

Recurring

(*a*) One Head Mistress in the scale of Rs.51—66 (Pay and P.F. and D.A.) at the rate of Rs.476 per unit.

(*b*) One trained Mistress in the scale of Rs.41—56 (Pay + P.F. and D.A.) at the rate of Rs.396 per unit.

(*c*) Three Untrained Mistresses at Rs.36 (fixed) per month (Pay + P.F. and D.A.) at the rate of 358 per unit.

(*d*) One Maid Servant in the scale of Rs.25—30 (Pay + P.F. and D.A.) at Rs.377 per unit.

(*e*) Contingencies at Rs.20 per mistress or Rs.100 per school.

(*f*) Free supply of text books at Rs. 20 P. A. per mistress or Rs.100 per school.

(*g*) Rent or Repairs at Rs.15 per teacher per month for five teachers, i.e. Rs.75 per month per school.

(*h*) Additional D.A. to each teacher and maid servant at Rs.5.50 nP. per month.

Non-recurring

(*a*) Equipment for five teachers at Rs. 200 per teacher, i.e. Rs.1,000 per school.

(*b*) Buildings at Rs.10,000 per school (for girls schools only).

N.B.—Provision for the construction of school building has been made for the girls Junior Basic Schools only.

2. In order to start the schools with effect from August 1, 1961, you may please direct the Municipal Boards concerned to make suitable arrangements for buildings in the locality where the schools are to be opened. The localities where the schools are to be opened will be decided by the Municipal Boards themselves. All essential preliminary steps should please be taken for the appointment of teachers and maid servants from August 1, 1961. A list of equipment, furniture and other things should be drawn up for each school and the same may please be purchased as soon as the grants are sanctioned so that there be no short-coming and the schools start working from the scheduled date.

3. As regards construction of buildings for girls schools, necessary sites should be selected, land acquired, plans and estimates got prepared and sent to the authorities concerned for necessary approval. The construction work should start as soon as the approval to the plans and estimate is obtained.

4. Formal sanction of Government for the above charges will be communicated to you in due course.

5. In order to implement the scheme by the scheduled time, you may personally look into the matter and direct the Municipal Boards concerned to get everything ready so that newly opened schools may begin to function positively with effect from August 1, 1961.

The receipt of this letter should please be acknowledged immediately.

Yours faithfully,
Sd. D. N. CHATURVEDI,
D.D. (G),
for Director of Education, U.P.

Endt. No. 1(2)/334-I/ of date

COPY forwarded to the Presidents/Mayors, Municipal Boards/Corporations concerned for information and immediate necessary action. They should please contact the District Inspector of Schools in respect of selection of sites, renting of buildings, appointment of staff and purchase of equipment, etc.

Sd. D. N. CHATURVEDI,
Deputy Director (General),
for Director of Education, U. P.

Endt. No. I(2)/334-II/ of date

COPY forwarded to the following for information and necessary action—

(1) The Regional Deputy Diretors of Education, U. P.

(2) The Director of Education, U. P., Camp Office, Lucknow.

(3) The Regional Inspectresses of Girls Schools, U. P.

(4) The Planning Section, Lucknow.

(5) The Education (1-2) Section, D.E.'s office, U. P., Allahabad.

(Sd.) D. N. CHATURVEDI,
Deputy Director of Education (Genl.)
for Director of Eudcation, U. P

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८३ पर)

सूची–अ

सूची कन्या पाठशाला जिला जालौन, उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	नाम विद्यालय जूनियर हाई स्कूल	
१	जू० हा० स्कूल ..	जालौन
२	,, ,, ..	माधोगढ़
३	,, ,, ..	नदीगांव
४	,, ,, ..	हरुख
	कन्या पाठशालायें बोर्ड	
५	प्रा० पा० ..	पिन्डारी
६	,, ..	बंगरा
७	,,	अंडा
८	,,	धनीरा कोच
९	,,	ईगुई माधोगढ़
१०	,,	क्योलारी
११	,,	कुठोंद कोच
१२	,,	खकसीस
१३	,,	बबई
१४	,,	एट
१५	,,	गढ़र
१६	,,	कुसमिलिया
१७	,,	हरदोई गूजर
१८	,,	कोटरा
१९	,,	जसारी कलां
२०	,,	सैदनगर
२१	,,	सेरावन
२२	,,	भदेखू
२३	,,	हरौली
२४	,,	खरो
२५	,,	भडोरा
२६	,,	शेखपुर बु०
	विलीन क्षेत्र कन्या पाठशाला	
२७	,,	कदोरा
२८	,,	हरचन्दपुर
२९	,,	नदीगांव
	नवीन कन्या पाठशालायें	
३०	,,	अटरिया
३१	,,	टिमरी
३२	,,	खरका

क्रम-संख्या	नाम विद्यालय जूनियर हाईस्कूल	
३३	नवीन कन्या पाठशालायें	खरुसा
३४	,,	गुढा
३५	,,	अटागांव
३६	,,	वीरपुर
३७	,,	वावली
३८	,,	पिरौना
३९	,,	बुद्वारी माधोगढ़
४०	,,	सामी
४१	,,	मगरौल
	जागीर क्षेत्र कन्या पाठशाला	
४२	प्रा० पा०	रामपुरा
४३	,,	जगम्मनपुर
	भूतपूर्व राजकीय कन्या पाठशालायें	
४४	प्रा० पा०	ऐर
४५	,,	डकोर
४६	,,	अमखेड़ा
४७	,,	कलिया
४८	,,	मोहन
४९	,,	कठाद
५०	,,	मजीठ
५१	,,	सिकरी राजा
५२	,,	मिझौना
५३	,,	सिरसा वी गड़ी
५४	,,	रूम सिरसा
५५	,,	सिरसा कलार
५६	,,	जायघा
५७	,,	टीहर
५८	,,	ऊमरी
५९	,,	आटा
६०	,,	नवीना
६१	,,	छोक
६२	,,	मुसमरिया
६३	,,	मेड़
६४	,,	वसांव
६५	,,	सतोह

क्रम संख्या	नाम विद्यालय जूनियर हाई स्कूल
	कन्टीन्युयेशन क्लास
	६६ जू० हा० स्कूल, मुसमरिया
	तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खुले कन्या पाठ० १९६१–६२।
६७	प्रा० पा० पुरासन
६८	,, चुखी
६९	,, बमरास
७०	,, गोपालपुर
७१	,, चाकी
७२	,, निनावली
७३	,, अतीता पुरा
७४	,, पहाड़ गांव
७५	,, करमेर
७६	,, मुहम्मदाबाद
७७	,, रेढ़र
७८	,, नांवली

क्रम-संख्या	नाम विद्यालय जूनियर हाईस्कूल
७९–	प्रा० पा० सहाव
८०–	,, ओरेखी
	तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खुले कन्या पाठशालायें १९६२–६३
८१	,, मरगाया
८२	,, कुसमरावारा
८३	,, जखा
८४	,, छौना
८५	,, पलराही
८६	,, करसेड़ा
८७	,, गारा भूपका
८८	,, सिकरी रहमनपुर
८९	,, उरगांव
९०	,, गणेश नगर
९१	,, रूरा अइड
९२	,, अकोडी

सूची 'ब'

तृतीय पंचवर्षीय योजना के वर्षों में खुलने वाली कन्या पाठशालायें १९६३–६४

१––नरौल रामपुरा क्षेत्र
२––नावेर रामपुरा क्षेत्र
३––नरपुर महेवा
४––महेवा
५––मडेवा
६––कुसमरा नदी गांव
७––विजयगढ़
८––विजदवा माधोगढ़
९––कुरेहना कदोरा
१०––बड़ा गांव
११––पर्वतपुर (एट)
१२––धगवा कलां
१३––थन्तोली जालौन
१४––मोहना डकोरे

१९६४–६५

१––मइरामपुरा क्षेत्र
२––उसर गांव कदौरा क्षेत्र
३––पचोखरा रामपुरा क्षेत्र
४––मिटारी महवा
५––सरसई
६––लोहई देवारा कुठौंद
७––सागरपुर नदी गांव
८––पैपत पुर नदी गांव
९––मेडोरी माधोगढ़
१०––सालाबाद जालौन क्षेत्र
११––छिरिया सलेमपुर जालौन क्षेत्र
१२––अकबरपुरा कदोरा
१३––पिपराया कदोरा क्षेत्र
१४––बरसार डकोर

१९६५–६६

१––मिर्जापुर रामपुर क्षेत्र
२––न्यामतपुर महवा
३––निपनिया (महेवा)
४––वतनगर नदी गांव
५––प्रतापगढ़ नदी गांव
६––कुठोदा बुजुर्ग जालौन
७––धमौरा कला (जालौन)
८––शाहजहांपुर
९––बागी कदोरा
१०––चतेला कदोरा
११––मेड़ी कदोरा
१२––वेरा गढ़ कदोरा
१३––चन्द्रगढ़
१४––बघोली (डकोर)

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

सरकार द्वारा सन् १९६१–१९६२ में एच० टी० सी० मड़ियाहूं (जौनपुर) के लिये नामजद किये गये अभ्यर्थियों की संख्या

क्रम-संख्या	नाम शिक्षार्थी	किसके द्वारा मनोनीत	जाति	योग्यता		विशेष विवरण
				परीक्षा पास	श्रेणी	
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री हवलदार सिंह	शासन द्वारा	क्षत्री	८वीं कक्षा	पास	
२	श्री ब्रजनाथ सिंह	,,	,,	जू० हा० स्कूल	तृतीय	
३	श्री हरिराम	,,	चमार	,,	,,	
४	श्री भुइधर राम	,,	यादव	,,	,,	
५	श्री त्रिलोकीनाथ	,,	कायस्थ	,,	,,	
६	श्री विरेन्द्र सिंह	,,	क्षत्री	,,	द्वितीय	
७	श्री महाबीर यादव	,,	यादव	हाई स्कूल	,,	
८	श्री कैलाशनाथ दुबे	,,	ब्राह्मण	पूर्व मध्यमा	तृतीय	
९	श्री अतिबल सिंह	,,	क्षेत्रीय	हाई स्कूल	द्वितीय	
१०	श्री केशवराम	,,	कुर्मी	,,	तृतीय	
११	श्री भगवानदास	,,	अहीर	८वीं कक्षा	पास	
१२	श्री हरिहर प्रसाद पाल	,,	गड़रिया	इन्टरमीडिएट	तृतीय	
१३	श्री रामसूरत यादव	,,	अहीर	जू० हा० स्कूल	,,	
१४	श्री राजपति	,,	कुर्मी	,,	,,	
१५	श्री सभाजीत तिवारी	,,	ब्राह्मण	पूर्वमाध्यमिक	द्वितीय	
१६	श्री रामचेत विश्वकर्मा	,,	लोहार	इन्टरमीडिएट	तृतीय	
१७	श्री सूबेदार सिंह	,,	क्षत्री	८वीं कक्षा	पास	
१८	श्री लल्लन सिंह पांडेय	,,	ब्राह्मण	८वीं कक्षा	पास	
१९	श्री मथुरा प्रसाद यादव	,,	यादव	हाई स्कूल	द्वितीय	

बी० एन० जोशी
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

सरकार द्वारा सत्र ११६१–६२ में एच० टी०सी० केराकत (जौनपुर) के लिए नामजद किये गये अभ्यर्थियों की संख्या

क्रम-संख्या	नाम अभ्यर्थी	किसके द्वारा मनोनीत]	योग्यता		जाति	विशेष विवरण
			परीक्षा पास	श्रेणी		
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री सभाजीत चौबे	शासन द्वारा	८वीं कक्षा	..	ब्राम्हण	..
२	श्री बद्री नरायन सिंह	,,	जू० हा० स्कूल	द्वितीय	क्षत्रीय	..
३	श्री बंशी लाल कुर्मी	,,	हा० स्कूल	,,	कुर्मी	..
४	श्री श्रीमति सिंह	,,	जू० हा० स्कूल	,,	क्षत्रीय	..
५	श्री अमर जीत सिंह	,,	हा० स्कूल	,,	क्षत्रीय	..
६	श्री पारस नाथ राय	,,	हा० स्कूल	,,	भूमिहार	..
७	श्री राज नारायण सिंह	,,	जू० हा० स्कूल	,,	क्षत्रीय	..
८	श्री प्रेमचन्द सिंह	,,	हा० स्कूल	,,	क्षत्रीय	..
९	श्री धरतीनारायण उपाध्याय	,,	जू० हा० स्कूल	,,	ब्राह्मण	..
१०	श्री सीताराम मिश्र	,,	जू० हा० स्कूल	तृतीय	,,	..
११	श्री राम लखन सिंह	,,	,,	,,	क्षत्रीय	..
१२	श्री फौजदार सिंह	,,	जू० हा० स्कूल	,,	,,	..
१३	श्री रामपाल पांडेय	,,	हा० स्कूल	द्वितीय	ब्राह्मण	..
१४	श्री राजदेव सिंह	,,	हा० स्कूल	तृतीय	क्षत्रीय	..
१५	श्री हरिमूरत सिंह	,,	हा० स्कूल	,,	क्षत्रीय	..
१६	श्री राजनाथ उपाध्याय	,,	हा० स्कूल	,,	ब्राह्मण	..
१७	श्री बदलूराम	,,	जू० हा० स्कूल	द्वितीय	चमार	..
१८	श्री केदारराम	,,	हा० स्कूल	तृतीय	अहिर	..

बी० एम० जोशी,
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे ३८८ पर।)

नाम पद	कुल संख्या कार्य करने वालों की	संख्या अनुसूचित वर्ग की	संख्या पिछड़े वर्ग की
१—तहसीलदार	४	..	..
२—नायब तहसीलदार ..	४	..	..
३—कलेक्शन नायब तहसीलदार ..	६	..	१
४—कुर्क अमीन मुस्तकिल ..	४	..	..
५—कलेक्शन अमीन	१००	३	१०
६—लेखपाल	२११	४	१६
७—क्लर्क कलक्टरी	१०६	..	११
८—नाजिर	१	..	..
९—वासिल बाकी नवीस ..	४	..	१

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८९ पर।)

हमीरपुर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनी पक्की सड़कें तथा अधूरी सड़कों की अनुसूची

क्रम संख्या	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनी लम्बाई	सड़कों के लम्बाई जो नहीं बनी हैं और तृतीय योजना में बनाई जा रही हैं	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
		मील फ०			
१	हमीरपुर-कालपी सड़क	१४ ०	१–०	——	१३ मील प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी।
२	मौदहा–मसकरा सड़क	१५ ४	१५–४	——	
३	उरई-रथ सड़क	१८ ०	१३–४	४–४	
४	मौदहा-कपसा सड़क	१० ०	——	१०–०	
५	धगवान-जरैया सड़क	५ ३	——	५–३	
६	गौहडंड-जरैया सड़क	६ ४	——	६–४	
७	चरखारी-मुसखरा	१५ ५	——	१५–५	
			३०–०	४२–०	४२ मील जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बन रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९१ पर।)

प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में बनाई गई पक्की सड़कों की सूची

क्रम संख्या	सड़क का नाम	लम्बाई प्रथम तथा द्वितीय योजना में बनी	ब्लाक का नाम
१	२	३	४
१	बांसी तलपुरवा	७–०	बांसी
२	उसका बृजमनगंज	३–०	उस्का
३	बस्ती मेहदावल	१४–४	बस्ती से सरियावां
४	डुमरिया गंज रूदौली	०–७	रूदौली नरखोरिया एवं डुमरियागंज
५	कलवारी टांडा	१–६	बहादुरपुर
६	नौगढ़ लुम्बिनी गार्डन सड़क ..	१५–४	नौगढ़ बड़ंपुर
७	बांसी नौगढ़	९–६	बांसी नौगढ़ जोगिया
८	नौगढ़-सेवरत गढ़ ..	१४–२	नौगढ़–बड़नी
		६६–५	

सी० सी० ट्रैक

१	हरइया बभनान	५–०	हरैया परशुरामपुर एवं गौर।
२	खलीलाबाद मेहदावल ..	५–०	बखौली खलीलाबाद
३	विश्वनाथ पुर महोली ..	२–६	खलीलाबाद एवं नाथ नगर
४	बस्ती मेहदावल	६–०	बस्ती सोनाघाट
५	एक्सटेन्शन या बस्ती मेहदावल ..	२–१	सेमरियावन
६	बस्ती कलवारी ..	४–०	बस्ती
७	बस्ती डोमरियागंज ..	२–१	बस्ती सलतउवा
८	हरइया शेरवा	५–६	हरइया
९	बभनान धारी घाट	७–०	गौर
१०	डुमरियागंज रोड से खरखोरल ..	१–४	..
११	जगदीशपुर से सेमरयावावन ..	०–६	सेमरियावा
		४२–०	

नत्थी 'ध'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९७ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र १९६२ के ७वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री लखी सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
२२—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के छाता क्षेत्र में जो खाली रकबे हैं उनमें सिंचाई के लिये वर्तमान योजना में कोई माइनर निकाली जायगी ? यदि हां, तो किस महीने में उस की खुदायी शुरू होगी ?	२२—छाता क्षेत्र में रामगंगा योजनाके अन्तर्गत १९ माइनरें बनाने का प्रस्ताव है जिनमें से दो माइनरों पर खुदाई का कार्य फरवरी, १९६२ में आरम्भ हो गया है तथा शेष पर सर्वेक्षण हो रहा है।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२५८ एल० ए०—१९६३ (प्रो०)—८५० ।